मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा चतुर्दश सत्र

जुलाई, 2017 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017

(30 आषाढ़, शक संवत् 1939)

[खण्ड- 14] [अंक- 5]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017

(30 आषाढ़, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01. बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

बधाई

नव-निर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को सदन द्वारा बधाई

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(मंदसौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है. सदन के अनेक सदस्यों ने जिनको मतदाता के रूप में कानूनी निर्वाचित करने का अधिकार था. देश के राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी निर्वाचित हुए हैं. सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं.

अध्यक्ष महोदय--यह सदन श्री रामनाथ कोविंद को भारत गणराज्य का चौदहवां राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता है. हम सभी को यह विश्वास है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और मजबूत होगी.

श्री बाबूलाल गौर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन खड़े होकर के माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को बधाई दें.

(सभी माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर सदन में श्री रामनाथ कोविंद जी को नव-निर्वाचित राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी गई)

श्री विश्वास सारंग(राज्यमंत्री, सहकारिता)--माननीय अध्यक्ष महोदय, (XXX)

श्री सोहनलाल बाल्मीक--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन के अंदर व्यवहार नहीं होना चाहिये तथा इस तरह की टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिये.

श्री विश्वास सारंग--टिप्पणी क्या सबको धन्यवाद एवं बधाई दे रहे हैं.

श्री सोहनलाल बाल्मीक--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौन सी बात हो गई? इतना भी अहंकार तथा घमंड नहीं होना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय--इसको कार्यवाही से निकाल दें.

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वाणिज्य संकाय के शिक्षकों की पदोन्नति

[स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 1589) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत वे सहायक शिक्षक जिनकी स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री वाणिज्य विषय से थी, उनकी पदोन्नति नहीं होने के कारण वाणिज्य संकाय को कला संकाय में समाहित करना है? यदि हाँ, तो इसे किस आधार पर किया जाएगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार की गई कार्यवाही के तहत ऐसे सहायक शिक्षक जो एक ही पद पर रहते हुए 20 से 30 वर्ष से भी अधिक सेवा पूर्ण करने के बाद भी पदोन्नति का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इनके लिये विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) रचनाक्रम एवं भर्ती पदोन्नति नियम में वाणिज्य विषय समूह नहीं होने के कारण इस विषय के लोक सेवकों की गणना कला संकाय (सामाजिक विज्ञान) में म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3/4अगस्त 2012 के बिंदु की अनुसूची चार में कॉलम (2) में अनुक्रमांक (2क) की प्रविष्टि एवं संचालनालय के पत्र दिनांक 13.02.2013 अनुसार की जाती है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** भर्ती एवं पदोन्नति नियम के अनुसार पात्रता एवं पद रिक्तता की दशा में पदोन्नति का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित पदोन्नति से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के परिपालन में पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

परिशिष्ट - "एक"

श्री सुदर्शन गुप्ता--माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं भी नव-निर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को बधाई देता हूं. मैं अपने प्रश्न की ओर आता है. हम अपना अधिकार मांगते हैं न किसी से भीख मांगते हैं. इस युक्ति के आधार पर यह शिक्षकगण शीघ्र न्याय की उम्मीद कर रहे हैं. माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर (ख) में स्वीकार किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम के अनुसार उनकी पात्रता एवं रिक्तता की दशा में पदोन्नति का लाभ दिये जाने का प्रावधान है, किन्तु उनको लाभ नहीं मिल रहा है. चूंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में स्टे के आधार पर लंबित है. शासन की भूमिका न्याय प्रक्रिया में शीघ्र निपटारे को लेकर उम्मीद पर टिकी है. कृपया कर यह

बतायें कि स्टे को वेकेट कराने में विभाग के द्वारा निरंतर प्रयास किये जाएंगे. जिससे शिक्षकों को भविष्य में उसका लाभ मिल सके.

कुंवर विजय शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोर्ट का सवाल है उसके बारे में विधान सभा के तौर पर कुछ कहना लगता है कि ठीक नहीं है. पदोन्नति वाले मेटर पर निर्णय होगा, लेकिन जो पदनाम की बात माननीय विधायक जी ने कही है. विभाग उससे सहमत है कि उन्हीं के साथ वालों का पदनाम बदल गया है इनकी पदोन्नति नहीं हुई है. केबिनेट में हम निश्चित रूप से लाकर के इनकी जो हक की लड़ाई है उस पर जो भी सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा और जो भी उनके हक में हो सकता है. पूरा-पूरा प्रयास सरकार करेगी.

श्री सुदर्शन गुप्ता--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाए, क्योंकि शिक्षकों को उनका हक नहीं मिल रहा है. माननीय मंत्री जी ने बोला है तो मैं उनके उत्तर से संतुष्ट हूं. धन्यवाद.

कुंवर विजय शाह--बहुत जल्दी कर देंगे.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 859) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्वालियर जिले के शा.प्र.वि. हुकमगण जनपद पंचायत घाटीगाँव में पदस्थ प्रधान अध्यापक श्री विजय सिंह बंजारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधान अध्यापक के पद पर पदस्थ हैं? क्या इस संबंध में गोविन्द सिंह पुत्र श्री लोकमन सिंह ग्राम हुकमगण के द्वारा शिकायत पर प्रश्नकर्ता विधायक के द्वारा पत्र क्र./कलेक्टर/2017-18/11, दिनांक 20.04.2017 को शिकायत की थी? यदि हाँ, तो उक्त दिवस से प्रश्न दिनांक तक ऐसे फर्जी अनु.जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत प्रधान अध्यापक के प्रति कोई जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो क्या जाँच में दोषी पाया? यदि हाँ, तो ऐसे दोषी प्रधान अध्यापक के विरूद्ध क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** भितरवार विधान सभा क्षेत्र में शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय में कौन-कौन कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी पदस्थ हैं? प्रत्येक विद्यालयवार अलग-अलग स्वीकृत पदों की संख्या तथा उनके विरूद्ध कितने कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक तथा

किस-किस विद्यालय में कितने-कितने किस स्तर के कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? प्रत्येक विद्यालय वार स्पष्ट करें। इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा? एक निश्चित समय-सीमा स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी नहीं। जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। पद रिक्तता एवं पूर्ति सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री लाखन सिंह यादव:-माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह आप भी देख रहे होंगे. आपने उत्तर में लिखा है कि (क) में जी नहीं, जी हां. जी हां.जी नहीं.शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है और समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. यह मेरे प्रश्न का उत्तर आया है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न लगाया था वह एक सहायक शिक्षक के बारे में था. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह विजय सिंह बंजारा, अनुसूचित जाति में आता है या पिछड़े वर्ग में आता है ? यदि यह पिछड़े वर्ग में आता है तो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में इसको प्रमोशन दिया गया था. यदि दिया गया तो क्यों दिया गया और फिर इसको 2008 में इसको प्रमोशन देने के बाद, फिर 2015 में इसका डिमोशन किसके कहने पर, किसकी शिकायत पर किया गया ? यह माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न है. कि यह विजय सिंह बंजारा किस कैटेगरी में आता था और इसको प्रमोशन किस कैटेगरी में मिला और फिर किसकी शिकायत पर इसका डिमोशन किया गया.

कुँवर विजय शाह :- विजय सिंह बंजारा की नियुक्ति वर्ष 22.7.1992 में हुई थी और उसके बाद जिस जाति के आधार पर उसकी पदोन्नति हुई थी, जब उसकी जांच करायी गयी तो वह उस जाति का नहीं पाया गया, जिस जाति के कारण उसने पदोन्नति का लाभ लिया. हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जिस अधिकारी/कर्मचारी ने बिना पूरी जांच के उसको पदोन्नति का लाभ दिया है उन लोगों पर हम सख्त कार्यवाही करेंगे. अभी उस टीचर को हमने वहां से हटा दिया है.

श्री लाखन सिंह यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने अभी स्वीकार किया कि उसकी पदोन्नति गलत कैटेगरी में की गयी. उसमें सच्चाई तो यह है कि वह पिछड़े वर्ग का था और अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट लगाकर उसने अपनी पदोन्नति करवा ली और लगातार साढ़े सात साल तक उसने अपने पद का दुरूपयोग किया. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आज वह सदन में घोषण करें कि ऐसे गलत तरीके से अपने

पद का दुरूपयोग करने वाले और गलत सर्टिफिकेट लगाने वाले ऐसे सहायक अध्यापक को, सहायक शिक्षक को आप इस सदन में तत्काल निलंबित करके उसकी जांच कराने की और वहां से हटाने की घोषणा करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- वहां से हटाने का तो मंत्री जी ने कह दिया है.

श्री लाखन सिंह यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको तत्काल निलंबित करें, यह इतना बड़ा घोर-अपराध है, वह अपने पद का गलत तरीके से साढ़े सात साल से दुरूपयोग कर रहा है.

कुँवर विजय शाह :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है पूरी-पूरी गलती उस शिक्षक की नहीं है. हमारे विभाग से भी कहीं न कहीं लापरवाही इसमें हुई है. इसलिये इसकी समग्र जांच करवायेंगे. इसमें बड़े लेवल पर जो अधिकारी यहां पर भी दोषी हैं, उन भी कार्यवाही करेंगे. जिला अधिकारी पर भी कार्यवाही करेंगे और उस संबंधित टीचर को वहां से हटाकर के जांच करवायेंगे. आज ही वह हट जायेगा.

श्री लाखन सिंह यादव :- इसमें बात यह है कि जिस व्यक्ति ने फर्जी सर्टिफिकेट अनुसूचित जनजाति का बनाया है, पहले जिसने नकली सर्टिफिकेट बनाया है तो आप उसको क्यों सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं. आप उनको सस्पेंड करके जांच करवा लें. उसको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है, उसने साढ़े सात साल अपने पद का दुरूपयोग किया.

अध्यक्ष महोदय:- मंत्री जी ने कहा है कि अभी तत्काल हटा रहे हैं.

श्री लाखन सिंह यादव:- मंत्री जी हटाना अलग बात है, आप उसको तत्काल सस्पेंड करें. उसने इतना बड़ा घोर-अपराध किया है.

अध्यक्ष महोदय :- (श्री रामनिवास रावत के खड़े होने पर) श्री रामनिवात रावत आप कुछ कह रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत :- विधायक जी का जवाब आ जाये.

श्री लाखन सिंह यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ...

अध्यक्ष महोदय :- उनके प्रश्न का जवाब आ गया है.उस पर कार्यवाही भी हो रही है.

श्री लाखन सिंह यादव- अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यवाही हो रही है, उसे हटाकर जांच करवाई जा रही है. हम चाहते हैं कि उसे निलंबित किया जाये जिससे उसे कुछ तो सजा मिले. जांच के बाद जो होगा, वह प्रश्न बाद में आता है. सदन में मंत्री जी इसकी घोषणा करें कि उसे निलंबित कर जांच करवाई जायेगी.

कुंवर विजय शाह- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी की जाति की जांच करवाने और उसका निराकरण करने की एक प्रक्रिया है.

श्री लाखन सिंह यादव- मंत्री जी, आपने स्वयं स्वीकार किया कि वह उस जाति का नहीं था, जिस जाति के वर्ग में उसने क्रमोन्नति प्राप्त की थी.

कुंवर विजय शाह- अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जाति के प्रकरणों में होने वाली जांच पी.एस. स्तर की कमेटी द्वारा होती है और वह माननीय उच्च न्यायालय से नामज़द होती है. हमने कार्यवाही करके उसकी पदोन्नति वापस कर दी है. जिला और प्रदेश स्तर के जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, उनके विरूद्ध भी कार्यवाही कर रहे हैं. उस मास्टर को वहां से हटा दिया गया है. उसके जाति प्रमाण-पत्र को हम जांच कमेटी को भेज देंगे.

श्री लाखन सिंह यादव- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही बड़ा अपराध है. उसे निलंबित करने में क्या आपत्ति है ? जब मंत्री जी सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि उसने गलत तरीके से क्रमोन्नति प्राप्त की है तो उसे निलंबित क्यों न किया जाये. यदि हमारा रवैया ऐसा ही रहा तो हर आदमी ऐसा करेगा. यह एक प्रकरण संज्ञान में आया है और भी बहुत से ऐसे प्रकरण होंगे.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आज मंत्री जी सदन में यह घोषणा नहीं करते तो मैं यह मानकर चलूंगा कि (XXX)

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय- इस तरह के आरोप सदन में नहीं लगाये जा सकते. इसको कार्यवाही से निकाला जाये.

श्री लाखन सिंह यादव- फिर मंत्री जी कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते, निलंबन की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं ?

....(व्यवधान)....

कुंवर विजय शाह- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी बात कार्यवाही से निकाली जाये. यादव जी, मैं आपको चुनौती देता हूं. आप मेरी जाति को चुनौती दे रहे हैं. आप लिखकर अनुसूचित जाति आयोग में दीजिए. इस तरह से सदन नहीं चल पाएगा और न ही जवाब दिए जा सकेंगे.

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय- मैंने वे शब्द कार्यवाही से निकलवा दिए हैं.

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें अपनी बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए. यह गलत तरीका है. क्या आप मंत्री जी के बारे में कुछ भी बोलेंगे ?

....(व्यवधान)....

श्री लाखन सिंह यादव- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे दोषी कर्मचारी को तो तत्काल निलंबित करना चाहिए था. उसने गलती की है और आप उसे हटाना नहीं चाहते हैं.

कुंवर विजय शाह- माननीय अध्यक्ष महोदय, (XXX)

....(व्यवधान)....

श्री लाखन सिंह यादव- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह सदन का अपमान है.

श्री रामनिवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है. यह आसंदी और सदन का अपमान है.

....(व्यवधान)....

श्री उमाशंकर गुप्ता- आप जो कह रहे हैं, क्या वह अपमान नहीं है ? आप कुछ भी बोलेंगे.

....(व्यवधान)....

श्री लाखन सिंह यादव- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन में यह स्वीकार किया जा रहा है कि उसने गलत तरीके से क्रमोन्नति प्राप्त की है तो उसे निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है. मंत्री जी ने जो कहा वह भी सदन की गरिमा के अनुसार उपयुक्त नहीं है. क्या आप अपने जनाधार का बल दिखा रहे हैं.

....(व्यवधान)....

श्री उमाशंकर गुप्ता- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी के बारे में कुछ भी बोलने का, यह गलत तरीका है. आप किसी मंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. क्या आपने सदन की गरिमा को कायम रखा ? आपने मंत्री जी के बारे में क्या बोला ? आपको माफी मांगनी चाहिए. आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप मंत्री जी के लिए कहें कि वह भी ऐसे ही गलत तरीके से जाति का लाभ ले रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय- यादव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी-भी इस तरीके के आरोप व्यक्तिगत नहीं लगाने चाहिए. आपके प्रश्नों का समाधान यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यक्तिगत आरोप लगायें. यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि माननीय सदस्यगण कुछ मांग करते हैं उनमें से कई मांगें मंत्रीगण मानते हैं और कई नहीं मानते हैं. इसमें व्यक्तिगत राग-द्वेष का

प्रश्न नहीं आता है. माननीय मंत्री जी ने क्रोध में आकर जो कह दिया है, मैं उसे भी अनुचित मानता हूं. माननीय मंत्री जी, आपने जो पहले अपने उत्तर में कहा है, वहीं कार्यवाही होगी, बाद की आपकी बात विलोपित की जाती है. जाटव जी आप अपना प्रश्न करिए उन्हें बोलने दीजिए. लाखन सिंह जी जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जाएगा. आप उन्हें पढ़ने दीजिए उनका प्रश्न भी महत्वपूर्ण है. आपकी बात हो गई है.

राज्यमंत्री, सहकारिता (श्री विश्वास सारंग) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इस पर खड़े होकर संज्ञान तो लें.

अध्यक्ष महोदय-- यह विषय समाप्त हो गया है, अब यह विषय आगे नहीं बढ़ेगा. डॉ. कैलाश जाटव जी अपना प्रश्न करें नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा.

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं सुनना आपकी बात. प्रश्नकाल होने दें.

विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 1404) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में विभाग द्वारा राशि रू. 1.17 लाख, 1.13 लाख के एवं एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त शौचालयों का कहाँ-कहाँ निर्माण किया गया? स्कूलवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन शौचालयों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाना थी? क्या जो सुविधायें उपलब्ध करायी जानी थी, वह सभी सुविधायें मुहैया करा दी गईं हैं? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जाना था? क्या समस्त स्वीकृत शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? पूर्ण एवं अपूर्ण शौचालयों की सूची उपलब्ध करावें। जहां शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, वहां उक्त शौचालयों का मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा किया गया? नाम,पद सहित, स्कूलवार सूची उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में विभाग एवं एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। शौचालय निर्माण की स्कूल वार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उक्त लागत के शौचालय निर्मित नहीं हुए। **(ख)** वर्ष 2013-14 में शौचालय

निर्माण के साथ मुख्य घटक रेम्प रेलिंग, इन्सीनेटर एवं पानी की टंकी आदि का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शौचालय निर्माण के साथ मुख्य घटक रेम्प रेलिंग, मा.शाला की छात्राओं हेतु इन्सीनेटर, फोर्सलिफ्ट पंप, हेण्डवाश यूनिट और पानी की टंकी आदि का प्रावधान किया गया था। जिन शालाओं में फोर्सलिफ्ट पंप का निर्माण नहीं हुआ है, संबंधित एजेंसी को फोर्सलिफ्ट पंप की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। **(ग)** जी हाँ। प्रश्नांश (क) में जिन स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जाना था, उन स्वीकृत समस्त शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शौचालय निर्माण, कार्य के मूल्यांकनकर्ता उपयंत्री के विवरण की स्कूलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

डॉ. कैलाश जाटव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो मेरे सवाल का उत्तर दिया है उसमें मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो शौचालय 8300 रुपए, 71000 रुपए, 86,300 रुपए और 1.13 लाख रुपए, 1.17 लाख रुपए के बने हैं इसमें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराना थीं. एक बार मंत्री जी बता देंगे तो ठीक रहेगा.

अध्यक्ष महोदय-- इसमें लिखा है फिर भी मंत्री जी आप एक बार बता दें.

कुंवर विजय शाह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय विधायक जी ने लिखा है. यह गोटेगांव नरसिंहपुर में एन.टी.पी.सी. कंपनी की ओर से स्कूलों में पानी की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था उसके लिए सी.एस.आर. फंड से राशि दी है. कुछ वर्ष कंपनी ने खुद काम कराया और कुछ वर्ष जो स्कूल की समिति होती है स्कूल की समिति को भी उन्होंने एक दो बार पैसा दिया है. शाला प्रबंध समिति जिसके माध्यम से यह काम हुआ. जहां तक राशि के डिफरेंस का सवाल है उसमें पांच घटक थे जिसमें फोर्सलिफ्ट पंप, पानी की टंकी, पंप रेलिंग, बालिकाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सेनेटरी नेपकिन जलाने के लिए इन्सीनेटर, हैण्डवॉश यूनिट तो जो राशि का अंतर आ रहा है वह सामान के हिसाब से है. किसी शौचालय में इन्सीनेटर नहीं लगा है किसी में इन्सीनेटर है, किसी में हेण्डवॉश यूनिट नहीं लगी है इसीलिए आप विस्तार से अगर आप चाहेगे तो मैं आपको पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगा.

डॉ. कैलाश जाटव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है अभी वर्तमान में मेरा विधानसभा क्षेत्र में जो दौरा हुआ उसमें एक भी जो मापदण्ड जो इसमें लिखे हैं और एन.टी.पी.सी. का मामला नहीं है. हमारी सरकार ने भी 71000 रुपए, 86300 रुपए और विधायक निधि से भी हमने 1.14 लाख रुपए की राशि शौचालय के निर्माण के लिए दी है. इसमें जो क्राइटेरिया बताया गया है इसमें जो इंसीलेटर और फोर्सलिफ्ट पंप के लिए बताया गया है यह

किसी भी शौचालय में उपलब्ध नहीं है. पानी की टंकी भी नीचे रखी हैं इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जितने भी शौचालय बने हैं अगर इनकी उच्च स्तरीय जाचं हो जाए तो यह जिस तरीके से बालिकाओं के साथ अन्याय हुआ है उनकी सुविधा के लिए मध्यप्रदेश शासन ने इतना पैसा खर्च किया है और किन लोगों ने इस पैसे में दलाली खाई है उसकी जांच होना चाहिए. मेरा ऐसा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है. अगर वह जांच का आदेश करेंगे तो मैं समझता हूं कि बालिकाओं के लिए जो सुविधा शासन देना चाह रही थी वह सही ढंग से उन तक पहुंच पाएगी.

कुंवर विजय शाह-- अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारी सूची है मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी को जहां-जहां शिकायत है उसकी सूची मिल जाएगी तो निश्चित रूप से यहां से कमेटी भेजकर हम जांच करवा लेंगे.

डॉ. कैलाश जाटव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक भी शौचालय जो सदन के अंदर पात्रता दी जा रही है उसमें पात्र नहीं है वह भी इसीलिए मैं चाहता हूं कि पूरे शौचालयों की आप जांच कमेटी बनाकर गोटेगांव विधानसभा की जांच करवाएं

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, आप पूरे की जांच करा लीजिए.

कुंवर विजय शाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है.

डॉ. कैलाश जाटव-- धन्यवाद मंत्री महोदय.

सर्जन, स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 108) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5842, दिनांक 22.03.2017 के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र के सर्जन,स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक का निर्धारण करने के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, जिसके उत्तर में जानकारी एकत्रित किया जाना बताया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या जानकारी संकलित कर ली गई है व प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? यदि संकलित नहीं की गई है, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही, कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रुस्तम सिंह) : (क) जी हां. जी हां **(ख) जी हां.** जानकारी संकलित कर ली गई है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री कालुसिंह ठाकुर-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से सर्जन, स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट के बारे में जानकारी चाही थी. मेरा क्षेत्र मांडव पर्यटन स्थल जो पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन हमारे यहां एक भी डॉक्टर नहीं है इसके लिए मैंने मंत्री जी से पूछा था पिछली बार मार्च में भी मेरा प्रश्न लगा था उसमें भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि "जानकारी एकत्रित की जा रही है" आज जो प्रश्न लगा है उसमें भी यही "जानकारी एकत्रित की जा रही है" मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चार माह में भी जानकारी एकत्रित नहीं हुई आप बताएं कि कब तक इसका समाधान किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय--जानकारी आ गई है.

श्री रुस्तम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है वह चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित था लेकिन आपका आग्रह था कि स्वास्थ्य विभाग ही जवाब दे तो उनसे हमको जानकारी मिल गई है और वह जानकारी हमने विधान सभा में उपलब्ध भी करा दी है. इनका प्रश्न था कि क्या सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर निजी क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें यह आग्रह है कि जो भी एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) की गाइड लाइन से अधिकृत है. सुपर स्पेशिलिटी का, सर्जरी का वह कर सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है. यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ और जानकारी भी आपको दे दी गई है.

श्री कालुसिंह ठाकुर--अध्यक्ष जी चार महीने में जानकारी नहीं आई है और अभी भी प्रश्न में लिखा है कि "जानकारी एकत्रित की जा रही है." मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि धार जिले में माण्डव पर्यटन स्थल है विश्व में उसका नाम है. वहां पर हॉस्पिटल ए.एन.एम. और अन्य स्टाफ के जरिए चल रहा है. वहां पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं उनको भी परेशानी उठाना पड़ती है.

अध्यक्ष महोदय--मंत्री जी, जो जानकारी आपने संकलित की है वह माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें.

श्री रुस्तम सिंह--अध्यक्ष महोदय, हमने विधान सभा में जानकारी भेज दी है, माननीय सदस्य को मिल जाएगी. दूसरी चीज अब जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह तो प्रश्न से उद्भूत होता ही नहीं है.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रियों की प्रतिबद्धता को बढ़ाएं.

श्री रुस्तम सिंह--हमने जानकारी भिजवा दी है.

अध्यक्ष महोदय--आप भिजवा दीजिए. माननीय सदस्य को शायद वह नहीं मिली है.

श्री रामनिवास रावत--कितनी गंभीर बात है. थोड़ी सी सदन की गंभीरता तो बनाए रखें.

श्री रुस्तम सिंह--अध्यक्ष महोदय, हमने यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग से ली थी हमारे पास आ गई थी हमने भिजवा दी है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय की पीड़ा दूसरी भी है कि माण्डू एक विश्व पर्यटक स्थल है वहाँ पर डाक्टर उपलब्ध नहीं है माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं अस्पताल एएनएम के भरोसे चल रहा है. वहां विदेशी पर्यटक भी आते हैं. कभी-कभी शायद आप भी दौरा कर लेते होंगे वहां का तो कृपा करके वहां एक ढंग का डॉक्टर तो पदस्थ कर दें.

अध्यक्ष महोदय--कालुसिंह जी बैठ जाएं, उत्तर ले लें उसके बाद कुछ पूछना होगा तो फिर मौका देंगे. माननीय मंत्री जी, दोनों विषय एक तो जो जानकारी है वह कह रहे हैं उन्हें प्राप्त नहीं हुई है वह उपलब्ध करा दें.

श्री रुस्तम सिंह--अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रश्न को पूछा ही नहीं है. इनका जो प्रश्न है वह केवल इतना सा है कि क्या स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट प्रायवेट में भी सर्जरी कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं. हमारा जवाब यह है कि जो एमसीआई से अधिकृत हैं एमसीआई की गाइडलाइन को पूरा करते हैं वे सर्जरी कर सकते हैं. जहां तक धरमपुरी के हास्पिटल का सवाल है उसके बारे में इन्होंने प्रश्न में कतई नहीं पूछा है, नाम भी नहीं लिया है कि हास्पिटल में डॉक्टर हैं या नहीं है, कम हैं या ज्यादा हैं. लेकिन मैं आपके जरिए उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर हम पदस्थ कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास पीएससी के सिलेक्टेड डॉक्टर आ गए हैं. उनकी सूची भी बन गई है. इनको बहुत जल्दी हम डॉक्टर दे देंगे.

श्री कालुसिंह ठाकुर--अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब हमने पूछा उसकी जानकारी नहीं दी तो मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया था कि किसी तरह तो मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डव में डॉक्टर मिले. चार महीने में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--विधायक जी, जानकारी आ गई है. मंत्री जी, आप विधायक जी को व्यक्तिगत रुप से जानकारी उपलब्ध करा दें. विधायक जी, डॉक्टर भी आपके क्षेत्र में पदस्थ किया जा रहा है, जानकारी के साथ यह आपको बोनस मिल रहा है.

श्री रुस्तम सिंह--हमने जानकारी भेज दी है शायद इन्होंने देखी नहीं होगी. हम उपलब्ध करा देंगे.

श्री कालुसिंह ठाकुर--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बस इतना ही निवेदन है कि हमारे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए और यह जानकारी मिल जाए. इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश तो दे दें कि समय पर जानकारी उपलब्ध कराया करें.

अध्यक्ष महोदय-- निर्देश दे दिए हैं. डॉक्टर भी पदस्थ कर देंगे और जानकारी भी एक बार फिर से भिजवा दीजिए.

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. (*क्र. 1255) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनके विरूद्ध कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से चिकित्सक कब से पदस्थ हैं और कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा सत्रों में बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2014 प्रश्न क्रमांक 984, दिनांक 24 जुलाई, 2015 प्रश्न क्रमांक 1077, दिनांक 18 जुलाई, 2016, प्रश्न क्रमांक 828, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 तथा प्रश्न क्रमांक 1441, दिनांक 08 मार्च, 2017 को पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, शीघ्र पद पूर्ति होगी, दिये गये उत्तर के बावजूद तथा प्रश्नकर्ता द्वारा चिकित्सकों की कमी के संदर्भ में लगातार शासन से पत्राचार करने के बावजूद प्रश्न दिनांक तक रिक्त पदों की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं? रिक्त पद की पूर्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी? **(ग)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य कार्यों हेतु किये गये समस्त कार्यों/सेवाओं/दवाओं आदि पर किये गये व्यय की जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में किये गये व्यय के संबंध में कब-कब क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं एवं प्राप्त शिकायतों पर कब क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रुस्तम सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जी हाँ यह सही है कि विभाग द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी रहने का लेख किया गया है, परंतु विभाग द्वारा प्रदेश में रिक्त 1896 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु मात्र 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1055विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। वर्तमान में पाटन में 01 विशेषज्ञ, 01 नियमित चिकित्सक, 01 संविदा आर.सी.एच. चिकित्सक तथा 01 आयुष चिकित्सक की पदस्थापना है। विधानसभा क्षेत्र पाटन अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लमकाना एवं इन्द्राना में ही चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, परंतु अन्य समस्त संस्थाओं में नियमित चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "दो"

श्री नीलेश अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार डॉक्टर की कमी है और यह मेरा विधान सभा में छटवां प्रश्न है. आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में डॉक्टर पदस्थ किया जाए. हमारे यहां दो तहसीलें हैं पाटन एवं मझौली. पाटन में लगभग 230 गाँव आते हैं, मझौली में लगभग 260 गाँव आते हैं.

श्री निशंक कुमार जैन--आपके तो 6 प्रश्न ही लगे हैं. मैं तो कम से कम 200 पत्र मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को दे चुका हूँ.

अध्यक्ष महोदय--निशंक जी आप बैठ जाएं.

श्री नीलेश अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पाटन में 11 पद स्वीकृत हैं और मात्र 2 ही डॉक्टर पदस्थ हैं. मझौली में 10 पद हैं और मात्र 2 डॉक्टर पदस्थ हैं. मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र की बात नहीं करना चाहता हूँ. कम से कम तहसील मुख्यालय में तो कर दें. अस्पताल में रोज विवाद की स्थिति बनी रहती है. डॉक्टर के न रहने के कारण आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं. मैं माननीय मंत्री जी को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मझौली में दो डॉक्टर हैं उसमें से एक डॉ. पारस का ट्रांसफर भी आपने अन्य स्थान पर कर दिया है. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे दो

निवेदन हैं, पहला यह है कि वह जो डॉ.पारस हैं जिनका ट्रांसफर हो गया, उसको निरस्त किया जाए और पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम मुझे 2 डॉक्टर दिए जाएँ.

श्री रुस्तम सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस डॉक्टर के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, वह पाटन या मझौली में नहीं था, वह दूसरे स्थान पर था और आपने मेरे से व्यक्तिगत आग्रह किया था, वह निरस्त कर दिया है, वह डॉक्टर इनके पास बना रहेगा. दूसरा, जहाँ तक पाटन सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) का प्रश्न है, वहाँ पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो जरूरी थी सर्जरी के लिए, चूँकि वहाँ पर कोई निश्चेतना विशेषज्ञ नहीं था, अभी हमने निश्चेतना विशेषज्ञ भी आपके यहाँ दे दिया है, अनुराग अतरौलिया, तो सर्जरी वहाँ होने लगेगी और इसके साथ साथ आपके यहाँ कल्पना चौधरी पदस्थ हैं, एक शालिनी गुप्ता, प्रगति कुशवाह, ये भी आपके पाटन में ही पदस्थ हैं और डॉ.आशीष श्रीवास्तव, जो था, बॉण्ड पर, वह बॉण्ड की वजह से 1 साल होने पर गया है. लेकिन आपको पुनः एक डॉक्टर और हम देंगे. आपके पाटन के डॉक्टर्स की पूर्ति हम करेंगे. वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है. हम कोशिश कर रहे हैं. हमने करीब 1900 डॉक्टर्स की पीएससी से डिमाण्ड की थी, आग्रह किया था, 1400 डॉक्टर्स इन्टरव्यू में गए और 700 की उन्होंने भर्ती की. अभी 500-550 डॉक्टर्स की नियुक्ति हमने कर दी है. बहुत सारी जगह ये पोस्टिंग्स हुई हैं, जो हमने पिछले 2 दिन में की हैं. ये सब की सब पोस्टिंग्स ऑन लाइन की गई हैं. जिससे डॉक्टर ने जो मेरिट के हिसाब से, जिसने जहाँ मांगा है, कम्प्यूटर से उसको वही मिल गया है, तो मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स इनको बहुत जल्दी, 2-3 दिन में ऑर्डर्स पहुँच रहे हैं, मिल जाएँगे.

श्री नीलेश अवस्थी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा. लेकिन उनसे एक सहयोग चाहता हूँ कि डॉक्टर की नियुक्ति जरूर हो जाती है लेकिन वे ज्वाईन नहीं करते. मैं चाहता हूँ कि सरकार कम से कम इसमें ध्यान दे कि अगर ज्वाईनिंग नहीं होती तो वहाँ कोई दूसरा डॉक्टर ज्वाईन हो....(व्यवधान)..

श्री तरूण भनोत-- अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में तो डॉक्टर नहीं हैं.....

अध्यक्ष महोदय-- पहले कृपा करके मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर तो आ जाने दीजिए. आपके प्रश्नों में भी फिर कोई दूसरा बोल देगा...(व्यवधान)..माननीय मंत्री जी बोलिए....(व्यवधान)..जो दूसरों के प्रश्नों में बोलेंगे उनके प्रश्न के समय फिर व्यवधान होगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा. यह कोई तरीका है. उन्होंने प्रश्न पूछा आप उसका उत्तर ही नहीं आने दे रहे हैं.. ...(व्यवधान)..मैंने आपको एलाऊ

नहीं किया. माननीय मंत्री जी, उनके प्रश्न का उत्तर दें, आप लोगों ने व्यवधान कर दिया तो वे इतनी देर में उनका प्रश्न भूल ही गए होंगे.

श्री रुस्तम सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि डॉक्टर ज्वाईन नहीं करते, अब पीएससी से जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी खुद की च्वाईस के अनुसार उनकी पोस्टिंग की गई है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी. दूसरी चीज, इस बार ट्रायबल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, डॉक्टर्स में कॉम्पिटिशन है कि कौन जाए. हमें आश्चर्य हुआ कि वह रिमोट एरिया जहाँ कोई जाता नहीं था, वह फर्स्ट मेरिट वाला लड़का जा रहा है क्योंकि पीजी करने के लिए रिमोट एरियाज़ के उनको मार्क्स मिलते हैं इसलिए अब दिक्कत नहीं होगी, आपको डॉक्टर्स मिल जाएँगे.

श्री नीलेश अवस्थी-- धन्यवाद. ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- सिर्फ सखवार को मैंने एलाऊ किया है.

श्री घनश्याम पिरौनियॉ-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएँ. जो घनश्याम जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं आएगा.

एडवोकेट श्री सत्यप्रकाश सखवार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक गुजारिश है और सुझाव भी है कि आज पूरे देश में, पूरे मध्यप्रदेश में, डॉक्टर्स की वास्तव में बहुत कमी है और जो प्रायवेट डॉक्टर्स हैं, इनको गाँव, देहातों में, सुदूर इलाके में जो लोग रहते हैं उनको वे
फर्स्ट-एड देकर के, प्राथमिक उपचार करते रहते हैं और मुझे लगता है उनके सहारे लोगों की जान भी बचती रहती है, तो मेरा मंत्री जी को एक सुझाव था कि इन डॉक्टर्स को शासन, जो प्रायवेट प्रेक्टिस करते हैं, उनको 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने की कोई ट्रेनिंग देकर के इन्हें एक प्रमाण पत्र दे दिया जाए और मुझे लगता है कि फर्स्ट-एड के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया जाए या फर्स्ट-एड के लिए इन्हें मान्यता मिल जाए. ऐसी मेरी गुजारिश है.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी सुझाव की ओर नियमानुसार विधिवत ध्यान देंगे.

श्री रुस्तम सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विधिवत ध्यान देंगे लेकिन हमारी मेडिकल कांउसिल आफ इंडिया कतई कोई चीज ऐसी परमिट नहीं करती और बिना उनके परमिट के हम लोग कुछ कर नहीं पाएँगे. ...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- तीन दिन हो गये 10 से ज्यादा प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान में आ गई इसलिए पूछना चाह रहे थे.

अध्यक्ष महोदय-- इस तरह से बीच बीच में दूसरे सदस्यों के बोलने से प्रश्नकर्ता सदस्यों को तकलीफ हो रही है मेरा माननीय वरिष्ठ,मेरा माननीय नये सदस्यों से अनुरोध है कि कम से कम प्रश्न काल बाधित ना करें. अब कोई सप्लीमेंट्री एलाऊ नहीं किया जाएगा.

युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

6. (*क्र. 721) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक/एफ-1/42/2014/ 20-1/भोपाल, दिनांक 04.05.2017 कंडिका क्रमांक 5 में नगरीय निकायों की शैक्षणिक संस्थाओं में अतिशेष अध्यापकों को उसी नगरीय निकाय के अंतर्गत अन्य शालाओं में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पदस्थ किया जायेगा? **(ख)** क्या अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना निकाय के बाहर नहीं की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या अध्यापक संवर्ग को उसी निकाय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उनका अतिशेष सूची से नाम हटा दिया गया है? यदि हाँ, तो परासिया विधान सभा क्षेत्र के नगरीय निकायों में पदस्थ अध्यापकों के नामों की सूची उपलब्ध करायें? यदि नाम नहीं हटाये गये हैं तो ऐसे अध्यापकों के नाम अतिशेष सूची से कब तक हटा दिया जायेंगे? **(ग)** युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष की गणना में शाला में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ में से किसे हटाने का प्रावधान है? यदि वरिष्ठ को हटाने का प्रावधान है तो परासिया विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वरिष्ठों का ही नाम सूची में आया है? क्या यह नियमानुसार है? अगर हाँ, तो पदस्थापना दिनांक के अनुसार स्कूलवार वरिष्ठ/कनिष्ठ की सूची उपलब्ध करायें? **(घ)** प्राथमिक शाला युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष की अंतिम सूची में प्रथमवार जिन अध्यापक/शिक्षक संवर्ग का नाम आया है? क्या उन्हें दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का समय दिया गया है? यदि हाँ, तो अंतिम सूची के बाद किस दिनांक व माह में इनको दावा आपत्ति करने का समय दिया गया? अगर दावा आपत्ति का समय नहीं दिया गया है तो इन्हें कब तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का समय दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। **(ख)** अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना निकाय के बाहर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नहीं की जाएगी। जी नहीं। वर्तमान में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** स्कूल शिक्षा विभाग

म.प्र. शासन के पत्र क्र. एफ-1/42/2014/20-1, भोपाल दिनांक 11.04.2017 की कंडिका 5 (द) अनुसार अतिशेष शिक्षकों की गणना संस्था में पदांकन दिनांक से वरिष्ठता के आधार पर की जावेगी अर्थात संस्था में पदस्थ दिनांक से वरिष्ठ शिक्षक को अतिशेष मानने के निर्देश हैं। जहां तक परासिया विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वरिष्ठों का ही नाम सूची में आया है, दावे आपत्तियों के निराकरण उपरांत अंतिम अतिशेष सूची का प्रकाशन होना लंबित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के पत्र क्र. एफ-1/42/2014/20-1, भोपाल दिनांक14.06.2017 द्वारा दिनांक 12.06.2017 को जारी परिपत्र शासकीय प्राथमिक शालाओं के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत प्रकाशित सूची में अभ्यावेदनों के निराकरण उपरांत मृत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों के डाटा पूर्ण रूप से समायोजित न होने, शारीरिक रूप से दिव्यांग एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के चिन्हांकन में सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण जारी सूची को निरस्त किया जाकर नवीन सूची एवं प्रक्रिया की समय सारणी पृथक से जारी किए जाने के आदेश जारी किए गए। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। यथासमय निर्देश जारी किए जाएंगे, तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

सोहनलाल बाल्मीक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न युक्तियुक्तकरण के संबंध में था मेरे प्रश्नांश (क) में यह था कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप सचिव,स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ-1.42.2014.20-1 दिनाँक 4.5.2017, कंडिका 5 में नगरीय निकायों की शैक्षणिक संस्थाओं में अतिशेष अध्यापकों को उसी नगरीय निकाय के अंतर्गत अन्य शालाओं में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पदस्थ किया जायेगा? इस पर मंत्री महोदय ने कहा जी हाँ. मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो युक्तियुक्तकरण के नियम लागू किये जा रहे हैं. पहली बात तो जो शिक्षाकर्मी से अध्यापक बने हैं, जो नगरीय निकाय में जितने भी शिक्षाकर्मी भर्ती हुए थे उनको नगरीय निकायों ने भर्ती किया था तो यह अध्यापक आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं?

अध्यक्ष महोदय-- आपका प्रश्न क्या है.

सोहनलाल बाल्मीक-- वह मैंने पढ़कर सुनाया तो है.

अध्यक्ष महोदय-- आपका पूरक प्रश्न क्या है.

सोहनलाल बाल्मीक-- यह जो युक्तियुक्तकरण की जो नीति बनाई गई है उस नीति के तहत नगरीय निकाय में जो शिक्षाकर्मी भर्ती हुए थे वह अध्यापक बन गये. इसमें मेरा यह कहना है कि क्या यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं?

कुँवर विजय शाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं और उसका शिक्षा विभाग में अभी कोई संविलियन नहीं हुआ है लेकिन वह नगरीय निकाय के कर्मचारी ही कहलाएंगे.

सोहनलाल बाल्मीक-- फिर युक्तियुक्तकरण के संबंध में इनका स्थानांतरण या इनकी सूची कैसे बुला रहे हैं. किस हिसाब से बुला रहे हैं, किस नियम के तहत बुला रहे हैं?

कुँवर विजय शाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे शिक्षक जो गाँवों में थे उन्होंने, चाहे हमारी सरकार रही हो या आपकी रही हो, अपने-अपने जुगाड़ करके सब शहर में चले गये. आप मेरी भावना सुन लें मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे. मेरा निवेदन है कि अधिकांश जो गाँवों के टीचर थे वह धीरे-धीरे सब शहर की ओर आ गये. जितने बच्चे हैं मान लीजिये 50 बच्चों पर 2 टीचर होना चाहिए लेकिन जो संख्या अभी आ रही है वह बड़ी आश्चर्यजनक है. शहरों में इतने टीचर आ गये हैं कि लगभग 20 हजार टीचर अतिशेष हैं, उन 20 हजार टीचर्स को हम गाँवों में भेजेंगे तो गाँव के बच्चों का भला होगा और इसलिए युक्तियुक्तकरण की नीति में हम भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के मापदंड के हिसाब से काम करेंगे. इसमें भी जो वरिष्ठ हैं, जिनके रिटायरमेंट में 1 साल शेष हैं उनको नहीं हटा रहे हैं, जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं उनको नहीं हटा रहे हैं, जो पति-पत्नी शहर में ही काम कर रहे हैं उनको नहीं हटा रहे हैं. इसके बाद जो अतिशेष हैं, उनको युक्तियुक्तकरण में हम ले रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार करते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि कई टीचर तो ऐसे हैं कि पद है गणित का, पद है अंग्रेजी का लेकिन भूगोल का टीचर है, हिंदी का टीचर बना हुआ है क्योंकि शहर में रहना है.

सोहनलाल बाल्मीक-- यह आप अपने विभाग की कमियाँ बता रहे हैं.

कुँवर विजय शाह-- हम कमी दुरुस्त कर रहे हैं. कमी वही बताता है जो दुरुस्त करने की क्षमता रखता है और मेरा आपसे निवेदन है.

सोहनलाल बाल्मीक-- अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- आपने जो कहा है कि निकाय से बाहर नहीं जाये उसका ही वह उत्तर दे रहे हैं थोड़ा लंबा उत्तर दे रहे हैं. मंत्री जी थोड़ा संक्षेप में करें.

एडवोकेट श्री सत्यप्रकाश सखवार-- वास्तव में मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी कमी को कहा है उसके लिए उनको बधाई.

सोहनलाल बाल्मीक-- यह सच्चाई नहीं सरकार का फेलियर है.

श्री तरुण भनोत-- पहले गलती करो फिर दुरुस्त करो.

अध्यक्ष महोदय--आप मंत्री जी को उत्तर देने दें. मंत्री जी संक्षेप करें कृपया.

सोहनलाल बाल्मीक-- 13 साल के बाद बोलेंगे कि सुधार कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है.

कुँवर विजय शाह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप और हम यहां मध्यप्रदेश के बच्चों के कल्याण के लिए आते हैं. बच्चों के कल्याण और भविष्य के लिए कई बार कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं. मुकेश नायक जी, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है लेकिन अगर बीस हजार शिक्षक बिना पैसे दिये मध्यप्रदेश के गांव को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सहयोग से एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया.

श्री मुकेश नायक -- माननीय मंत्री जी, आप कठोर निर्णय लीजिए, टीचर को गांव में भेजिए हम सब आपके साथ हैं और हम सब लोग ही यह अव्यवस्था फैलाते हैं...(व्यवधान).....

श्री रामनिवास रावत -- माननीय मंत्री जी, अतिशेष शिक्षकों को हटाइए, युक्तियुक्तकरण करिए....(व्यवधान).....

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा निर्णय लेने का सोचा है लेकिन कहीं इसमें जुगाड़ न आ जाए, जिससे अवरूद्ध हो जाए. (हंसी) जो तेरह-चौदह साल से जुगाड़ हो रहा है उसे आप ठीक-ठाक करवा लीजिए.

कुँवर विजय शाह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष जी और सदन को आश्वस्त करता हूँ कि किसी का रिश्तेदार कोई जुगाड़ से अगर वह विषय-वस्तु का टीचर नहीं है तो वह वहां पर नहीं रह पाएगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा विषय नहीं है. माननीय मंत्री जी बार-बार कुछ और विषय पर बोल रहे हैं. आप मुझे सीधा-सीधा जवाब दे दीजिए.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न (ख) का स्पष्टीकरण दे दीजिए. माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना निकाय के बाहर की

जाएगी ? आपने कहा है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नहीं की जाएगी. इसका उत्तर चाहते हैं न आप?

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण के तहत नगरीय निकायों से हम किसी भी शिक्षक को बाहर नहीं जाने देंगे और अब कह रहे हैं कि बीस हजार शिक्षक शहरों के अंदर आ गए हैं उनका उपयोग हम ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे. लेकिन यहां तो दो तरह की बातें हो रही हैं और दूसरा मेरा इसमें यह कहना है कि यदि इन शिक्षाकर्मियों को नगरीय निकाय में भर्ती किया गया है अध्यापक बनाया गया है, इनका प्रमोशन कर रहे हैं इनकी सारी देख-रेख कर रहे है, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कार्यवाहियॉं हैं वह नगरीय निकाय कर रहा है तो यह आपके विभाग के हैं ही नहीं, तो आपका वहां पर कैसे जोर चलेगा ? आप उनका स्थानांतरण क्यों करना चाहते हैं ?

कुँवर विजय शाह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा विभाग के पूरे शासकीय नियंत्रण में है. हम लोग तनख्वाह देते हैं और पूरा प्रशासकीय नियंत्रण हमारा है. इतने वर्षों में लोग बाहर से भी शहरों में आए हैं अब यह व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं मेरा आपसे कहना है कि आप लोग सहयोग करेंगे. यह पहली बार हो रहा है कि शहर का टीचर बिना भेदभाव के ऑनलाइन अपनी मर्जी से ट्रांसफर करवा सकता है, यह बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की है. जो बाहर भी जाना चाहते हैं, उनका माननीय मंत्री स्थानांतरण नहीं करेंगे. वह टीचर पोर्टल में देख ले. मध्यप्रदेश में या गांव में जहां भी वह जाना चाहता है वह 20 जगह भर दे और 20 स्थानों में से ऑटोमेटिक कम्प्यूटर उसका स्थानांतरण कर देगा.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय मंत्री जी, यह तो बाद का विषय है. आप मेरे प्रश्न का सही जवाब तो दे दीजिए. मेरी बात को आप समझिए. माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा है. जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये शासकीय स्तर पर हमारे विभाग के नियंत्रण में है. मान लीजिए आपके विभाग के शासकीय नियंत्रण में है तो इनका नियंत्रण नगरीय निकाय से क्यों है ? इसकी सीधी भर्ती आप क्यों नहीं करते ? शिक्षा विभाग इनका जीपीएफ क्यों नहीं काटता, इनका फंड क्यों नहीं देता, इनकी ग्रेच्युटी क्यों नहीं देता, इनका नियमितीकरण क्यों नहीं करता, इनके आश्रित के जो बच्चे हैं उन नौकरी क्यों नहीं देता ?

अध्यक्ष महोदय -- आप विषय से भटक रहे हैं. आपका प्रश्न सीधा-सा है कि निकाय के जो अध्यापक हैं उनका निकाय के बाहर युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थापना की जाएगी या नहीं. मंत्री जी ने कहा कि नहीं किया जाएगा. मंत्री जी आपसे मेरा अनुरोध है कि ख में जो आपने उत्तर दिया

है कि अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना निकाय के बाहर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नहीं की जाएगी. अब वास्तव में इनकी पदस्थापना की जाएगी या नहीं, इसका उत्तर माननीय सदस्य को दे दीजिए.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय से कहीं बाहर नहीं करेंगे तो अब बीस हजार सरप्लस बता रहे हैं, इससे कैसे कार्य चलेगा.

अध्यक्ष महोदय -- उसको आप छोड़ दीजिए. इसका हाँ या ना में उत्तर ले लीजिए. फिर आगे बढ़ते हैं.

कुँवर विजय शाह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय ने जिनका सलेक्शन किया है उन्हें नगरीय निकाय में ही रखा जाएगा और जो ग्रामीण निकाय से नगरीय निकाय में आ गए हैं उनको वापस किया जाएगा.

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- अध्यक्ष महोदय, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय -- अब क्लियर हो गया. प्रश्न क्रमांक 7

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिए. मेरा मतलब यह है कि जब आपके विभाग का कंट्रोल नहीं है आपके विभाग के नहीं हैं तो आप कैसे उनका ट्रांसफर करेंगे ? .....(व्यवधान).....

श्री गोपाल परमार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी दिक्कत है.....(व्यवधान).....

श्री सोहनलाल बाल्मीक -- अध्यक्ष महोदय, जब मैं कह रहा हूँ कि विभाग के कंट्रोल में नहीं हैं तो ..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- आपका समाधान हो गया, यहां वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है. आपका उत्तर आ गया है. प्रश्न सं. 7, श्री सूबेदार सिंह रजौधा, अपना प्रश्न करें.

शास्त्री हाईस्कूल कोढ़ा के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

7. (*क्र. 1495) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शास्त्री हाईस्कूल कोढ़ा, जनपद पंचायत कैलारस के फर्जी संचालन के संबंध में विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतकर्ता का नाम एवं शिकायतों पर की गई कार्यवाहियों से अवगत करावें **(ख)** क्या उक्त विद्यालय की संचालन समिति के सदस्य/सदस्यों पर जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2002-03 में छात्र-छात्राओं एवं युवा बेरोजगार से फर्जी रूप से स्कूल संचालित कर लाखों की ठगी करने के संबंध में पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था? **(ग)** प्रश्नांश (क) में वर्णित स्कूल क्या

फर्जी तरीके से विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित है? स्कूल में न तो छात्र पढ़ने आते हैं और न ही स्कूल भवन हैं, जो पुराना कक्ष है वह भी जीर्ण-शीर्ण है, स्कूल की वस्तुस्थिति छात्र संख्या, शिक्षक संख्या एवं निरीक्षणकर्ता की निरीक्षण टीप सहित, अद्यतन जानकारी दें? **(घ)** क्या शिक्षा माफियाओं द्वारा उपरोक्त फर्जी संचालित स्कूल को शासनाधीन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है? यदि हाँ, तो प्रकरण किस स्थिति में है? शासनाधीन प्रक्रिया के नियम, प्रावधानों से अवगत कराया जावे। क्या प्रक्रिया को रोक कर स्कूल की जाँच कराई जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) माननीय विधायक श्री सूबेदार सिंह रजौधा ने शिकायती पत्र दिनांक 7.2.2017 द्वारा श्रीमती संतोषी धाकड़ का शिकायती पत्र संलग्न प्रस्तुत किया है। इसकी जाँच हेतु संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर को निर्देशित किया गया है। जाँच प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। विद्यालय में 08 कमरे व छात्रों की संख्या 101 है। तत्समय निरीक्षणकर्ता द्वारा की गई टीप **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(घ)** विद्यालय को विभागीय आदेश दिनांक 22.3.2002 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 21.3.2002 में निर्धारित सेवा शर्तें एवं मापदण्ड के अधीन निकायाधीन करने के निर्देश जारी किये गये हैं। विभागीय पत्र दिनांक 19.6.2017 द्वारा कलेक्टर को निकायाधीन करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रक्रिया व नियम संबंधी शासनादेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि शास्त्री हाईस्कूल, कोढ़ा के फर्जी संचालन के संबंध में विभाग को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें क्या कार्यवाही हुई ? अध्यक्ष महोदय, मेरे मुरैना जिले में एक शिक्षा माफिया है, एक गिरोह है, यह स्कूल खोलकर, पैसा वसूल करता है कि इसका सरकारीकरण कराएंगे. इसी प्रकार का एक प्रकरण टीकमगढ़ में हुआ है.

अध्यक्ष महोदय -- ठीक है, आपका प्रश्न आ गया.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले समझ लें, तभी तो उसका जवाब दे पाएंगे.

अध्यक्ष महोदय -- समझ गए.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- अध्यक्ष महोदय, इस गिरोह ने टीकमगढ़ में ऐसा कांड किया कि वह 6 महीने जेल में रहे, और जमानत पर छूट कर मुरैना में एक स्कूल, शास्त्री हाईस्कूल, कोढ़ा के

नाम से खोला. उसमें फर्जी छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला किया, उसमें एफआईआर हुई, अभी वहां न तो स्कूल है.

अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न करें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न (क) का जवाब दिया गया है कि जो शिकायतें हुई थीं, उनकी जांच प्रक्रियाधीन है, क्या 6 महीने में कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

अध्यक्ष महोदय -- आप सीधा प्रश्न कर दें. माननीय मंत्री जी, श्री रजौधा जी का प्रश्न यह है कि जिस स्कूल के संबंध में निकायाधीन करने के आदेश जारी किए हैं, उस पर इनका एतराज है तो क्या उसकी जाँच कराएंगे, आप उनका समाधान कर दें.

कुँवर विजय शाह -- अध्यक्ष महोदय, करवा लेंगे.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पूरी बात कह लूँ.

अध्यक्ष महोदय -- केस आपका यही है, यह केस है कि नहीं ?

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि वह मान्यता की परिधि में नहीं आता, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसकी मान्यता भी बनी रहे.

अध्यक्ष महोदय -- हां तो आपका यही तो कहना है कि यह नियम विपरीत हो रहा है.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आश्वासन चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए और जो सरकारीकरण के नाम से उन्होंने करोड़ों रुपये वसूल कर लिए हैं, उस पर रोक लगाई जाए.

कुँवर विजय शाह -- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी. जिस संस्था का इन्होंने नाम लिया है, और जो वर्ष 2002-03 बताया है, उसकी जांच हमने टीकमगढ़ के एस.पी. के कराई, उन्होंने कहा कि इनके विरुद्ध में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है, यह वहां के एस.पी. की रिपोर्ट है, इसके बाद भी अगर माननीय सदस्य को लगता है कि यह वर्ष 2003 का मामला नहीं है, इसके पहले का है या बाद का है, तो जैसी आप जांच करना चाहते हैं, वैसी बता दें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2002-03 का मामला है, पक्का 3 महीने जेल में एक रहा है और 6 महीने एक रहा है, जमानत पर छूटा है, फर्जी छात्रवृत्ति के नाम पर जहां भी एफआईआर हुई है. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि जहां हाईस्कूल की बिल्डिंग बनी है, वह कांजी-हाऊस के लायक भी नहीं है जहां कि आवारा पशुओं को रखा जाता है, कोई भी पात्रता उसकी नहीं है कि उसकी मान्यता बनी रहे.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जैसी जांच चाहते हैं, वैसी करा देंगे.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मुरैना के कलेक्टर महोदय से तत्काल उसका निरीक्षण करवा लिया जाए कि अब तक जो रिपोर्टें अधिकारियों ने भेजी हैं, क्या वे सहीं हैं ? अगर सही नहीं हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, उन्होंने करोड़ों रुपयों की वसूली की है.

कुँवर विजय शाह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19.06.2017 को कलेक्टर को निकायाधीन करने हेतु निर्देशित किया गया है. प्रक्रिया व नियम संबंधी जो भी आदेश होंगे, उनको लेने के पहले कि आपने ध्यान में लाया है, सोमवार को ही हमारे अधिकारी और कलेक्टर से संयुक्त जांच कराके जो भी कमियां होंगी, उस पर कार्यवाही करेंगे.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्य को भी जानकारी दे दीजिएगा.

कुँवर विजय शाह -- अध्यक्ष महोदय, जी हां.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद.

अशासकीय विद्यालयों द्वारा शुल्क वसूली

[स्कूल शिक्षा]

8. (*क्र. 1347) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नरसिंहपुर जिले में अशासकीय विद्यालयों द्वारा विभिन्न मदों के नाम पर अत्यधिक शुल्क बिना पालक शिक्षक संघ की अनुमति के वसूला जा रहा है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ख)** क्या नरसिंहपुर जिले में अशासकीय विद्यालयों में म.प्र. सरकार द्वारा सी.बी.एस.ई. एवं म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें विद्यालय प्रबंधन को इस्तेमाल करने की अनुमति है? यदि हाँ, तो जो विद्यालय यह नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उक्त संदर्भ में जिला कलेक्टर को पत्र द्वारा सूचित किया गया था? यदि हाँ, तो उन पत्रों के संबंध में क्या कार्यवाही स्कूल प्रबंधकों पर की गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) वर्तमान में जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करते हुये जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 02.03.2017 एवं कलेक्टर, नरसिंहपुर के आदेश

दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय विद्यालयों के फीस नियंत्रण हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 30.04.2015 के पालन हेतु निर्देशित किया गया है। **(ख)** जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार। **(ग)** जी हाँ। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नरसिंहपुर द्वारा जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों की बैठक लेकर मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय विद्यालयों के फीस नियंत्रण हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 30.04.2015 का कड़ाई से पालन करने एवं पुस्तकों के संचालन हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 2755/मान्यता/2017/नरसिंहपुर दिनांक 31.05.2017 द्वारा निर्देश जारी कर माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है।

श्री जालम सिंह पटेल -- अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में प्रायवेट स्कूलों में कुछ अनियमितताएं हैं, उसके संबंध में मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर भी दिया था. उसमें फीस के कई प्रकार होते हैं. एक तो उनसे डोनेशन लिया जाता है, दूसरा कम्प्यूटर, खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर और कई प्रकार से उनसे फीस वसूली जाती है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि नरसिंहपुर में एक नरसिंह पब्लिक स्कूल है, उसमें जो बच्चे 10वीं,11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, वह बच्चे बाहर कोचिंग करने चले जाते हैं और उनके नाम से वे एक लाख रुपये की राशि कई बार ले लेते हैं. जो बच्चे 12वीं में फेल हो जाते हैं, उनसे 50,000/- रुपये लेकर के पुनः एडमिशन देते हैं. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जिले में कई प्रायवेट स्कूल जो 200 रुपये प्रतिमाह और 1100 एवं 1200 रुपये प्रतिमाह भी फीस लेते हैं. इसमें जो अंतर है. मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसमें क्या एकरुपता लायेंगे.

कुंवर विजय शाह -- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ अशासकीय विद्यालय विभिन्न मदों, विभिन्न पुस्तकों के नाम पर एवं विभिन्न लेखकों की पुस्तकें चलाते हैं और इसमें थोड़ा काम गड़बड़ है. अभी फीस नियंत्रण के लिये हम लोग बहुत जल्दी नियम यहां ला ही रहे हैं. आपकी सभी की अनुमति से बनायेंगे और उसमें हम यह विद्यालयों में पुस्तक कितने दाम पर, कितने मार्जिन पर चले, मुझे लगता है कि इसको भी शामिल करना चाहिये, क्योंकि यह समस्या तो है और जो फीस स्कूलों की निर्धारित होगी, उसमें कुछ पुस्तकों के निर्धारण के लिये भी हम लोग विचार कर रहे हैं.

श्री जालम सिंह पटेल -- अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रायवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को एडमिशन मिलता है, मगर प्रायवेट स्कूल्स करते क्या हैं कि जब एडमिशन की डेट होती है, तो उनको कई कारण बताकर एडमिशन नहीं देते हैं और बाद में उनकी सीटों पर दूसरे बच्चों से पैसा लेकर एडमिशन देते हैं. मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी जांच करायेंगे क्या.

कुंवर विजय शाह -- अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है, तो यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी सरकार ने भी बच्चों के भविष्य के लिये 25 प्रतिशत जो आरक्षण किया है, वह संवैधानिक है. आरटीईआई के अंतर्गत हर स्कूल को 25 प्रतिशत बच्चों की भर्ती करना है. अगर एक भी स्कूल की ऐसी शिकायत होगी, तो हम तत्काल जांच करायेंगे और अगर उस स्कूल की मान्यता रद्द करने तक भी हमें करना पड़ी, तो हम निर्णय लेंगे. आप जिन जिन स्कूलों की बात बतायेंगे, जितने साल की बतायेंगे, एक महीने के अन्दर जांच करके आपको जानकारी बता दी जायेगी.

श्री जालम सिंह पटेल -- अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष महोदय -- आपकी सब बात तो आ गयी.

श्री जालम सिंह पटेल -- अध्यक्ष महोदय, प्रायवेट स्कूलों में बस्ता, पुस्तक और जो बाकी यूनिफार्म है, वह वहीं से खरीदना पड़ती है..

अध्यक्ष महोदय -- उन्होंने कह दिया है कि जहां जहां अनियमितता होगी, उसकी जांच करा लेंगे. समय सीमा भी बता दी है. आपको जानकारी भी देंगे, वह भी बता दिया है.

श्री जालम सिंह पटेल -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को धन्यवाद.

अधिकारियों, कर्मचारियों को आवास गृह की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. (*क्र. 116) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में कितने अधिकारियों,कर्मचारियों के पास आवास गृह हैं एवं कितनों के पास नहीं हैं? **(ख)** राज्य शासन आवासहीन कर्मचारियों के लिए आवास गृह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? **(ग)** कब तक आवासहीनों को आवास की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रुस्तम सिंह) : **(क)** 19 अधिकारियों, कर्मचारियों के पास आवासगृह हैं एवं 206 के पास नहीं हैं। **(ख)** आवास गृह हेतु भूमि की उपलब्धता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में प्राथमिकतायें निर्धारित कर आवासगृह बनाने की स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जायेंगे। **(ग)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी -- अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जो आवासों के मामले में पूछा था कि स्वास्थ्य विभाग के आवास कितने हैं और कितने बने हुए हैं, उसमें कितने लोग रह रहे हैं.तो उन्होंने बताया है कि केवल 19 अधिकारियों, कर्मचारियों के पास आवास गृह हैं और 225 अधिकारी, कर्मचारी वहां पर कार्यरत् हैं. अगर 225 में से यदि 19 रह रहे हैं, तो 10 प्रतिशत भी ये वहां पर पर उपलब्ध नहीं हैं. इनके आवास कब तक बन जायेंगे. जैसे हमारे यहां पर काटकूट,बढ़वाह, ढकलगांव, सनावद, बेढ़िया,भढ़ूद, ये सब बड़े बड़े अस्पताल हैं. यहां पर यदि अधिकारियों, कर्मचारियों को रहने के लिये क्वार्टर नहीं हैं, तो वहां पर रहेगा कौन और कैसे वहां पर डॉक्टर उपलब्ध हो पायेंगे. मैं मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि इनके आवास कब तक बन जायेंगे और जो बढ़वाह का हास्पीटल बन रहा है, वह कब तक कम्पलीट हो जायेगा, उसकी समय सीमा बता दें.

श्री रुस्तम सिंह -- अध्यक्ष महोदय, जैसे उन्हीं ने बताया है कि 225 में से 19 उपलब्ध हैं, मूल उनका जो प्रश्न हैं, क्योंकि मैं स्वयं बढ़वाह गया था, जिस हास्पीटल को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, उसमें आवास बनने थे और 2014 में इनकी धनराशि स्वीकृत हुई थी. उसके लिये जो भूमि मिलनी थी, वह विवादित हो गई और इसकी वजह से वह बन नहीं पाये. अभी 17 तारीख को इसके लिये कलेक्टर, खरगौन ने जमीन आवंटित कर दी है और अब वह प्रोसेस में आ जायेगा एवं निर्माण भी हो जायेगा. उसके लिये हमारे पास 4 करोड़ 25 लाख 81 हजार रुपये पहले से उपलब्ध हैं और वह हमारे विभाग के पास हैं. शीघ्र ही जो कार्यवाही होती है, प्रक्रिया होने के साथ ही उस निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा.

श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी -- अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मैंने ध्यान आकर्षण भी लगया था. मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह समय सीमा में बन जाये, तो उसका उपयोग होना शुरु हो जायेगा. क्या है कि ओंकारेश्वर पास में है और लोग तीर्थ यात्रा में आते जाते हैं और वहां पर कई तरह की समस्याएं आती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, इन्दौर

-इच्छापुर हाइवे होने के कारण. तो मैं यही चाहता हूं कि आप समय सीमा बता दें, वह कब तक बन जायेंगे और यह हास्पीटल का काम कब तक कम्पलीट हो जायेगा.

श्री रूस्तम सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न में अस्पताल का कोई जिक्र नहीं किया है. एक शब्द भी अस्पताल को लेकर नहीं है, केवल आवास के बारे में बात की है लेकिन इन्होंने जिस अस्पताल के बारे में बोला है, वह पहले जी प्लस टू की डिजाइन के अनुसार मंजूर किया गया था, और उसकी लागत 8 करोड़ 62 लाख थी. वह पैसा था और अस्पताल बनना शुरू हुआ, उन्होंने ग्राऊंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाया और उसका डिजाइन बीच में चेंज हुआ और ऐसा बन गया कि उसमें जो 100 बिस्तर की जरूरत थी वह उतने में ही पूरी हो रही है, कांट्रेक्टर ने अपना एस्टीमेट दिया था कि 14 करोड़ रूपये लगेंगे, वह बाद में आया है और यहां पर मई में निर्देश दे दिये गये हैं कि नहीं, हमारा अस्पताल तो ग्राऊंड प्लस वन में तैयार हो रहा है और अभी जो 5 करोड़ 85 लाख खर्च किया है, शेष राशि उपलब्ध है उनको डायरेक्शन दिये गये हैं. हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 6 माह में यह अस्पताल तैयार हो कर उपयोग होने लगेगा.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी -- मंत्री जी धन्यवाद्.

पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

10. (*क्र. 1394) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितने स्थानों पर विकास के कार्य प्रगति पर हैं तथा कौन-कौन से स्थानों पर विकास कार्य एवं सुविधाएं होना प्रस्तावित हैं? **(ख)** गांधी सागर में जो जल महोत्सव होना प्रस्तावित है, उसमें सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कितने स्थानों को जल महोत्सव के तहत सम्मिलित (चयनित) किया गया है? **(ग)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन हेतु मुवाझर, माता, सीतामऊ, कोटेश्वर महादेव, सीतामउ, गंगेश्वर महादेव सीतामऊ, एलवी महादेव कयामपुर, भड़केश्वर महादेव बसई, माकड़ी माता शामगढ़, मोड़ी माता शामगढ़, आनंद धाम घसोई, हरणेश्वर महादेव घसोई, भैंसासरी माता, आम्बा,धर्मराजेश्वर, चंदवासा, जोगणिया माता, मेरियाखेड़ी, बाबा रामदेव, कचनारा, गुफामाता, सुवासरा, गणेश मगरा सुवासरा, बौद्ध गुफाएं खेजड़िया भूप, भेरू बावजी घसोई, परासली धाम, सांवरिया मंदिर, रूनीजा, आदि स्थानों पर विभाग द्वारा निरीक्षण कर कब तक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जावेगा? **(घ)** बसई एवं धर्मराजेश्वर में विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य एवं कितनी-कितनी राशि प्रस्तावित है, कब तक कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति (श्री सुरेन्द्र पटवा) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 02 स्थानों, धर्मराजेश्वर, सीतामऊ पर कार्य प्रगति पर है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। **(ख)** गांधी सागर में प्रस्तावित महोत्सव बाँध के निकट प्रस्तावित है। **(ग)** विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को ''पर्यटन स्थल'' घोषित करने की कोई नीति नहीं है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - ''तीन''

श्री हरदीप सिंह डंग --माननीय अध्यक्ष महदोय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न था कि कौन कौन से काम सुवासरा विधान सभा में चल रहे हैं और कहां कहां पर चल रहे हैं.

श्री सुरेन्द्र पटवा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है धर्मराजेश्वर और सीतामऊ में काम चल रहे हैं जिसमें से लगभग 2 करोड़ 90 लाख रूपये के काम धर्मराजेश्वर में चल रहे हैं और सीतामऊ के पास में बसई जगह है वहां बे-साइड एमिनिटी हैं 1 करोड़ 90 लाख का है यह दोनों काम वहां पर चल रहे हैं.

श्री हरदीप सिंह डंग -- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है कि पर्यटन स्थल आप घोषित करते हैं उसमें हमने कई बार मांग की है कि हमारे यहां पर जो स्थान हैं वह मनमोहक सुंदर और आकर्षित करने वाले हैं, उन स्थानों की लिस्ट मेरे द्वारा कई बार दी है. अगर वहां पर पर्यटन विभाग कोई विकास का काम कराता है या अपने विभाग में उन स्थानों को सम्मिलित करता है तो कहीं न कहीं मध्यप्रदेश में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में नये पर्यटक भी आयेंगे. मेरा निवेदन है कि वहां पर एलवी महादेव और भड़केश्वर महादेव और भी कई स्थान मैंने बताये हैं और प्रश्न में लिखकर जानकारी पूछी है अगर उनको आप पर्यटन स्थल की लिस्ट में शामिल करेंगे तो कब तक करेंगे.

श्री सुरेन्द्र पटवा -- अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने दो चीजें पूछी हैं. पहला तो यह कि विभाग की जो नवीन पर्यटन नीति 2016 उसमें हम कोई भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकते हैं, ऐसी विभाग की नीति है. लेकिन माननीय विधायक जी ने जो स्थान बतायें हैं उसमें आनन्दधाम खसोई में 30 लाख के काम पूरे हो चुके हैं, खेजड़िया भूप में 61 लाख का काम स्वीकृत है वह चल रहा है.अगर बहुत अति आवश्यक होगा तो विधायक जी मुझे बता दें तो वहां का परीक्षण करवा लेंगे.

श्री हरदीप सिंह डंग -- धन्यवाद मंत्री जी.

जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

11. (*क्र. 1458) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित न की जाने वाली पुस्तकों का प्रचार्यों द्वारा क्रय किया जाकर छात्र/छात्राओं को वितरित किये जाने के निर्देश हैं? निर्देश की प्रति देवें एवं प्रक्रिया बतावें। **(ख)** क्या फरवरी 2017 में सतना जिले को प्रश्नांश (क) की पूर्ति के लिये 45 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया था? उक्त आवंटन किन-किन वर्षों का था?तत्कालीन डी.ई.ओ. द्वारा उक्त राशि का उपयोग किया या नहीं? उक्त राशि का भुगतान किन-किन संस्थाओं/प्राचार्यों को कितना-कितना किया जाना था? वर्षवार, संस्थावार विवरण एवं संस्था के बिल व्हाउचर की प्रतियां देवें। **(ग)** यदि उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया और राशि समर्पित नहीं की गई तो आवंटित राशि क्या लैप्स हुई? स्वयं को बचाने के लिये तत्कालीन डी.ई.ओ. एवं लिपिक द्वारा राशि लैप्स होने के बाद प्रचार्यों के देयकों में आपत्ति लगाकर वापस किये गये?राशि को लैप्स कराने वाले अधिकारी एवं लिपिक को तत्काल निलंबित कर कब तक जाँच करा ली जावेगी? **(घ)** क्या संस्थाओं से देयकों को प्राप्त कर नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर उनका परीक्षण समय-सीमा में नहीं किया गया और आवंटन प्राप्त होने पर आनन-फानन में कार्यवाही की गई? फर्जी बिल होने एवं देयकों का नियमानुसार प्रतिवर्ष संधारण न कर परीक्षण न करने वाले तत्कालीन पाठ्य पुस्तक प्रभारी लिपिक एवं राशि लैप्स कराने वाले डी.ई.ओ. को अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया है? तत्काल निलंबित करते हुये प्रकरण की जाँच कब तक करा ली जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। यह आवंटन वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के लिये था। जी नहीं। उक्त राशि का भुगतान जिन संस्थाओं को भुगतान किये जाने हेतु मांग पत्र प्राप्त हुआ था, उनका संस्थावार, वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार** है। **(ग)** आवंटित राशि समर्पित की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)**आवंटित राशि का उपयोग समय-सीमा में नहीं करने के लिये तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री शंकरलाल तिवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रश्न में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सरकार ने जितनी चिंता की है, मैं मंत्री जी को पहले इस बात की बधाई दूंगा, कि सच में शिक्षा के क्षेत्र में जैसी स्थिति हम सबको मिली थी उसमें उत्तरोत्तर भारी प्रगति हुई है, लेकिन अगर यहां से हम कुछ करते हैं और वहां से कुछ नहीं होता है तो इस व्यवस्था तंत्र को भी ठीक करने का काम मंत्री जी को ही करना है,45 लाख रूपये गरीब बच्चों को, जो किताबें यहां से नहीं मिल पा रही थी, उसमें यह लिखा है कि बिल्कुल सही है कि 45 लाख रूपये की किताबें नहीं बांटी गई हैं बच्चों को , बिल्कुल सही है कि 45 लाख रूपये लेप्स हो गये हैं, आखिर में लिखा है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया है डिठौरा, हमारा तो कहना है कि यह डिठौरा की वजह उसे तो सस्पेंड करना चाहिए था. जब इतनी बड़ी चूक है तो मुझे पूछने की नौबत ही नहीं आती, अगर इस चूक को गंभीरता से लें.

अध्यक्ष महोदय- आप सीधा प्रश्न कर दें, आप वरिष्ठ सदस्य हैं.

श्री शंकर लाल तिवारी- माननीय अध्यक्ष जी, एक विधायक प्रश्न तब लगाता है जब नाक के उपर पानी आता है और ये जिला शिक्षा अधिकारी ने इतना बड़ा अपराध किया वर्ष 2014 से लेकर 2015-16, 2016-17 तक की किताबों का पैसा, गरीब को किताब नहीं मिली, पैसा लेप्स हो गया और हम कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, मेरी विनती है कि आप सस्पेंड करने में मेरी मदद करें और इस अधिकारी को सस्पेंड करें. सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है अभी छ: महीने पहले इन्होंने एक डीईओ को सस्पेंड किया था और तीन महीने में उसको बहाल भी कर दिया. इसलिये बहुत लक्ष्मण रेखा में न पड़ें और व्यवस्था तंत्र को विधायकों के सहयोग से सुधारें.

कुँवर विजय शाह- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और माननीय विधायक जी को भी बतलाना चाहता हूं कि पुस्तकें तो मिलीं, लेट मिलीं लेकिन मिलीं. दूसरा था कि पन्ना के डीईओ को पिछली बार आपने ही सस्पेंड कराया था, अभी 2-3 महीने ही हुए बहाल हुए और अब हमने सूचना-पत्र फिर से जारी कर दिया है कि क्यों न तुम्हें निलंबित कर दिया जाए.

श्री शंकर लाल तिवारी- न मैं कातिल हूं, न मैं जालिम, मैं तो आपकी मदद के लिये ही खड़ा हुआ हूं.

अध्यक्ष महोदय- आप बैठ जाएं तिवारी जी.

कुँवर विजय शाह- माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी की भावना का हम सम्मान कर रहे हैं और भविष्य में मध्यप्रदेश के कोई भी अधिकारी इतनी बड़ी गलती न करे कि जो राशि बच्चों की पुस्तकों के लिये भेजते हैं, ऐसी पाठ्य पुस्तकें जो हमारा पाठ्य पुस्तक निगम है वह नहीं छपवाता,

तो हमने प्राचार्यों को अधिकार दे रखा है कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी पुस्तकों को खरीदकर बच्चों को वितरण करें और इसका हम सख्ती से पालन करेंगे. सूचना-पत्र हमने अभी दिया है और उसका जवाब अगर संतुष्टिकारक नहीं आया तो कार्यवाही भी करेंगे. लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना प्रदेश में कहीं न हो इसका जरूर हम संदेश भिजवा देंगे.

श्री शंकर लाल तिवारी- मैं एक विनती और करना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक कहा लेकिन इसमें सस्पेंशन के बारे में कुछ नहीं बोले, कारण बताओ नोटिस ये डिठौरा है. अगर विधानसभा में प्रश्न होने के बाद भी इस तरह के एक्शन विभाग से और मंत्रालय से हो रहे हैं तो, दूसरी बात यह कह रहे हैं कि किताबें बंटी हैं, मैं कह रहा हूं कि एक पैसे का भुगतान जब वर्ष 2014 से 2017 तक नहीं हुआ, तब किताबें कैसे बंटी होंगी ?

कुँवर विजय शाह- माननीय अध्यक्ष जी, डिठौरा शब्द क्या होता है हमको नहीं मालूम. हमने कभी पुस्तक में नहीं पढ़ा.

श्री शंकर लाल तिवारी- डिठौरा माने डीठ उतारना, नजर उतारना. जब आपका पेमेंट नहीं हुआ एक रुपये का, 45 लाख रुपये लेप्स हो गया तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि किताबें बंटी हैं ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)- तिवारी जी, आप निरंतर सरकार की तारीफ करते हैं हर बजट भाषण में आप पहले बोलते हैं और इस तरह की हालत आपकी स्वयं की हो गई ?

श्री शंकर लाल तिवारी- आप हमारे ऊपर दया करें. मैं अजय सिंह जी का धन्यवाद करता हूं मेरी मदद करने के लिये, क्योंकि भाजपा का कोई विधायक प्रश्न लगाता है तो आदणीय नेता प्रतिपक्ष बड़ी गम्भीरता से मदद करते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मदद को रेखांकित किया जाये और माननीय मंत्री से कहा जाये कि जब पैसे नहीं हैं, पैसों का क्या होगा ? ये कह रहे हैं कि किताबें बंटी हैं. आज तक किसी का एक रुपये का पेंमेंट नहीं हुआ है तो किताबें कहां से बंटी हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया.

अध्यक्ष महोदय- जांच करा रहे हैं, समय सीमा में करा देंगे. मंत्री जी समय सीमा में जांच कराएं.

जिला चिकित्सालय श्योपुर में सर्जरी विशेषज्ञों की पदस्थी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. (*क्र. 677) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के तारा.प्र.सं. 03 (क्रमांक 1032), दिनांक 08.03.2017 में सदन में चर्चा के दौरान जिला चिकित्सालय श्योपुर में वेन्टीलेटर प्रदाय होने के उपरांत दो माह में आई.सी.यू. की स्थापना कर दिए जाने के कथन के उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक इसकी स्थापना नहीं हो पाने का क्या कारण है? कब तक स्थापना होगी? **(ख)** चिकित्सालय में आई.सी.यू. के संचालन हेतु शासन निर्देशानुसार क्या विशेषज्ञ चिकित्सक व प्रशिक्षित स्टाफ पदस्थ कर दिया है? यदि नहीं, तो आई.सी.यू. को कौन ऑपरेट करेगा? **(ग)** उक्त प्रश्न के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में बताया था कि जनवरी 2014 से दिनांक30.11.2016 तक चिकित्सालय में सभी बीमारियों के गंभीर भर्ती 12107 मरीजों में से 168 मरीज रेफर किये, 24 के ऑपरेशन (सीजेरियन ऑपरेशन को छोड़कर) किये 11936 गंभीर मरीजों को मजबूरी में ऑपरेशन हेतु अन्यत्र नहीं जाना पड़ा,इनका उपचार वर्तमान पदस्थ विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों द्वारा किया गया। **(घ)** क्या वास्तविकता यह है कि सर्जरी विशेषज्ञ के दोनों पद रिक्त होने से उक्त अवधि में 11936 मरीजों के ऑपरेशन ही नहीं हो पाये, इन्हें विशेषज्ञों व आई.सी.यू. के अभाव के कारण मजबूरी में अन्यत्र जाना पड़ा? यदि नहीं, तो क्या शासन इसकी जाँच कराएगा तथा सर्जरी विशेषज्ञों के पद शीघ्र भरकर आई.सी.यू. की स्थापना करवाएगा।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रुस्तम सिंह) : (क) मेसर्स कोबिडियन हेल्थ केयर गोर गॉव हरियाणा के द्वारा दिनांक 28.03.2017 को आई.सी.यू. वेन्टीलेटर जिला चिकित्सालय श्योपुर को प्रदाय कर दिया गया है। स्थान के अभाव होने के कारण आई.सी.यू की स्थापना नहीं हो सकी थी। वर्तमान में आई.सी.यू. कक्ष का चिन्हांकन कर लिया गया है। कक्ष में वेन्टीलेटर एवं पलंग स्थापित कर आई.सी.यू. का संचालन दिनांक 11.07.2017 को प्रारंभ कर दिया गया है। **(ख)** जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. संचालन हेतु शासन द्वारा जिला चिकित्सालय में पदस्थ 03 स्टॉफ नर्स को प्रशिक्षित किया गया है एवं कार्यरत 01 निश्चेतना विशेषज्ञ, 03 पी.जी.एम.ओ. निश्चेतना, 01 मेडीसिन विशेषज्ञ, 01 पी.जी.एम.ओ. चिकित्सा विशेषज्ञ, 01 पी.जी.एम.ओ. सर्जरी के द्वारा जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. का संचालन किया जावेगा। **(ग)** हाँ यह सही है कि जनवरी 2014 से दिनांक 30.11.2016 तक की स्थिति में गंभीर भर्ती मरीजों की संख्या 12107 एवं रेफर किये मरीजों की संख्या 168 एवं ऑपरेशन किये गये

मरीजों की संख्या 24 थी। शेष 11936 गंभीर मरीजों का उपचार जिला चिकित्सालय श्योपुर में पदस्थ विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों के द्वारा किया गया है। लेकिन सभी बीमारियों के अधिकांश मरीजों को अन्यत्र रेफर नहीं किया जाता है। कुछ बीमारियों से संबंधित गंभीर मरीजों को जैसे हेडइन्जरी, हृदय रोग वाले मरीजों को सुपर स्पेशलिस्ट के अभाव में आगामी उपचार हेतु हायर सेन्टर के लिये रेफर किया जाता है। **(घ)** हाँ यह सही है कि जिला चिकित्सालय श्योपुर में सर्जरी विशेषज्ञ के 2 पद स्वीकृत हैं, जो रिक्त हैं। परन्तु उक्त विधा में पी.जी.एम.ओ. सर्जरी वर्तमान में कार्यरत है। पी.जी.एम.ओ. चिकित्सा एवं सी.एम.एच.ओ. के द्वारा अस्पताल में आये मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. का शुभारंभ दिनांक 11.07.2017 से किया गया है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है। कुल स्वीकृत 3278 पदों के विरूध्द मात्र 1055 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अतः विशेषज्ञ के रिक्त पदों में कठिनाई हो रही है। विभाग रिक्त पद की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री दुर्गालाल विजय- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न श्योपुर जिला चिकित्सालय में सर्जरी विशेषज्ञ नहीं हो पाने के कारण श्योपुर के मरीजों को बाहर जाना पड़ता है मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सर्जरी विशेषज्ञ के जो दो पद खाली हैं उन पदों को जल्दी-से-जल्दी कब तक भर दिया जाएगा ? दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है आईसीयू के प्रारम्भ करने के बाद इसमें जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वे व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई हैं, इस कारण से वह नहीं चल पा रहा है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को ठीक करें और जो उनकी आवश्यकता है चिकित्सकों की, आईसीयू में लगाने की उनको पूरा करके उस कार्य को करने की मेरी प्रार्थना है.

श्री रुस्तम सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसे सचेत विधायक जी को बधाई देना चाहता हूं. मध्यप्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल से ज्यादा तो इनके यहां पर डॉक्टर्स हैं. 20 चाहिए मेडीकल अफसर 20 इनके पास में हैं. निश्चेतना वाले 2 डॉक्टर्स चाहिए, 3 इनके पास में हैं और अब तो इनका हॉस्पिटल 200 बेड का हो गया है, वह प्रोसेस में है. जितना आप चाह रहे हैं, उससे ज्यादा ही कुछ आपको मिलने वाला है. मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

12.01 बजे

नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय - नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 26 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है. यह सूचनाएं संबंधित सदस्यो द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

(1) श्री आरिफ अकील

(2) श्री के.पी. सिंह

(3) श्री कैलाश चावला

(4) श्री दुर्गालाल विजय

(5) श्री सुशील कुमार तिवारी

(6) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

(7) श्री दिनेश राय

(8) श्री नारायण सिंह पंवार

(9) श्री प्रहलाद भारती

(10) श्री रामनिवास रावत

(11) श्री हर्ष यादव

(12) श्री रणजीत सिंह गुणवान

(13) श्री सुखेन्द्र सिंह

(14) श्री रजनीश हरवंश सिंह

(15) श्री गिरीश भंडारी

(16) श्री इन्दर सिंह परमार

(17) श्रीमती ऊषा चौधरी

(18) श्री घनश्याम पिरोनियां

(19) श्री संजय शर्मा

(20) श्री रजनीश हरवंश सिंह

(21) डॉ. योगेन्द्र निर्मल

(22) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी

(23) श्री सचिन यादव

(24) श्री मधु भगत

(25) श्री बहादुर सिंह चौहान

(26) श्री सूबेदार सिंह रजौधा

शून्यकाल में उल्लेख

1. श्री आरिफ अकील (भोपाल उत्तर) - अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके पास ध्यानाकर्षण सूचना भेजी है. मध्यप्रदेश की जेलों में हफ्ते, 15 दिन में कैदियों से मिलाई में जो कच्चा सामान उनको दिया जाता था. एक तुगलकी आदेश से वह बंद हो गया है. वह नमक के लिए तरह रहे हैं तो सामान लेने की व्यवस्था हो, या जेल के अंदर कोई दुकान खोलकर उनसे पैसे लेकर उनको सामान सप्लाई करें ताकि उनकी आवश्यकतानुसार उनको सामान मिल सके.

2. श्री प्रताप सिंह (जबेरा) - अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूरे मध्यप्रदेश में चौथा चरण समाप्त हो गया है. लेकिन दमोह जिले में अभी भी काम शुरू नहीं हुए हैं. उनकी डीपीआर सम्मिलित है, इस अनुपूरक बजट में उनको ले लिया जाय.

अध्यक्ष महोदय - कृपया सदन में खड़े होकर बात न करें.

श्री आरिफ अकील - मेरा कहना है कि आप गृह मंत्री जी से तो कहें कि वे इस पर विचार करें.

अध्यक्ष महोदय - आपकी बात आ गई है. (कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर आपस में बात करने पर) कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं. यदि बात करना हो तो बैठकर बात करें.

श्री आरिफ अकील - कृपया करके ऐसी व्यवस्था तो कर दें. यह जनहित का मामला है.

अध्यक्ष महोदय - आपने जो ध्यानाकर्षण दिया है, उस पर विचार कर लेंगे.

3. नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, जिसके ऊपर धारा, प्रकरण सब पंजीबद्ध हो,

वह फरार घोषित हो, एसआईटी जांच कर रही हो और वह निरंतर विधान सभा के अंदर और बाहर हो, उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही होगी?

गृहमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) -माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो विषय रखा है. मैं अभी व्यक्तिगत उनसे मिल लूंगा और जो भी व्यक्ति इस तरह का होगा, हम उस पर कार्यवाही करेंगे.

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज है. जबलपुर में एसआईटी में गठित हुई. वह कह रही है - "प्रकरण में एसआईटी जबलपुर द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. वर्तमान में प्रकरण विवेचना में है. " यह बहुत गंभीर विषय है.

अध्यक्ष महोदय - वह आपसे बात कर रहे हैं और कार्यवाही करने को भी आश्वस्त किया है. आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, यह बहस का विषय नहीं है. परन्तु चूंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्होंने उसका रिस्पांस दिया है. वह आपसे बातचीत करेंगे.

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने बीच का कोई साथी मैं नाम इस तरह से नहीं लेना चाहता हूं. बातचीत भर से नहीं, उसकी व्यवस्था कराएं.

अध्यक्ष महोदय - नेता प्रतिपक्ष जी, यह वाद-विवाद का स्थान, समय नहीं है और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप शासन के ध्यान में बात को ले आए हैं और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वह अविलंब आपसे बात करके उस पर आगे बढ़ेंगे.

श्री अजय सिंह - समय न हो, स्थान है. आपने कहा कि न समय, न स्थान. समय न हो, स्थान है. मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अपने बीच का कोई व्यक्ति है और इस तरह से घटना हो रही है तो फिर कानून व्यवस्था किस तरह से चलेगी?

अध्यक्ष महोदय - वह आपसे अभी बातचीत करेंगे.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)-- अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 6 जून को किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में हुए गोलीकांड के 32 आरोपियों की एक सूची जारी की है जिसमें ढूंढने के लिए 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

अध्यक्ष महोदय-- यह विषय कल प्रश्न में आ गया.

श्री रामनिवास रावत-- एक आरोपी श्री बद्रीलाल पिता नानूराम चर्मकार अपाहिज है. वह दिनांक 2011 से पलंग पर पड़ा है वह चल ही नहीं सकता. (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- यह नहीं लिखा जाएगा.

कुंवर विक्रम सिंह (राजनगर)--अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रुजवा (नीलगाय) जानवर से एक अत्यंत ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो रही है. उसने पूरी फसलें चौपट कर दी हैं. बरसाती फसलें लगभग 8 इंच की हो चुकी थीं. इससे समूचे क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जिले में हाहाकार मचा है. किसानों में रोष है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, इसी समस्या से हमारा जिला भी ग्रस्त है.

श्री मुरलीधर पाटीदार--अध्यक्ष महोदय, रोजड़े से हम भी परेशान हैं. हमारे किसानों की सारी फसलें नष्ट हो गई है. इसके लिए कोई व्यवस्था करना चाहिए.

श्री अजय सिंह-- अध्यक्ष महोदय, सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाये कि हमारे नातीराज को रुजवा के शिकार की अनुमति दी जाये(हंसी)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- बैठ जाइये. (व्यवधान)

12.06 बजे पत्रों का पटल पर रखा जाना.

1.विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015

राजस्व मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता)--अध्यक्ष महोदय, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखता हूं.

2.विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (01 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक)

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री जयभान सिंह पवैया)--अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (01 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक) पटल पर रखता हूं.

3.दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को बैढ़न, जिला सिंगरौली में घटित गोली-चालन घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन शासन के संकल्प सहित

राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन(श्री लाल सिंह आर्य)-- अध्यक्ष महोदय, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को बैढ़न, जिला सिंगरौली में घटित गोली-चालन घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन शासन के संकल्प सहित पटल पर रखता हूं.

12.08 बजे

ध्यान आकर्षण.

अध्यक्ष महोदय:- विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई

1.शिवपुरी जिले के मायापुर से रेड्डी चौराहा तक स्वीकृत डिवाइडर न बनाये जाने संबंधी.

श्री के पी सिंह (पिछोर)-- अध्यक्ष महोदय,

शिवपुरी जिले के विधान सभा क्षेत्र पिछोर अन्तर्गत ग्राम मायापुर से रेड्डी चौराहे तक सी.सी.रोड का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके मध्य में खनियाधाना पड़ता है । नगर पंचायत खनियाधाना के लगभग 2.2 कि.मी. क्षेत्र में चौड़ीकरण एवं 1.80 कि.मी. लम्बाई में डिवाईडर निर्माण का प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजा गया था। मेरे द्वारा पत्र दिनांक 1.05.2017 के द्वारा माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु विभागीय लापरवाही के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकृत होने में विलम्ब हो रहा है । ठेकेदार द्वारा खनियाधाना नगर के क्षेत्र में डिवाईडर के निर्माण की स्वीकृति न मिलने की वजह से उक्त कार्य के अर्थवर्क को पूर्ण कर काम बंद कर दिया गया है। इससे शहर के मध्य से वाहन गुजरने से लगातार धूल उड़ती रहती है । जिससे लोगों को असुविधा व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । कार्य में विलम्ब होने की वजह से नगरवासियों में असंतोष व्याप्त है ।

लोक निर्माण विभाग मंत्री(श्री रामपाल सिंह) - शिवपुरी जिले के विधान सभा क्षेत्र पिछोर अंतर्गत मायापुर से खनियाधाना-रेहटी चौराहा मार्ग लंबाई 28.65 कि.मी. का उन्नयन सी.सी. मार्क के निर्माण हेतु शासन द्वारा पत्र दिनांक 02.04.2016 से लंबाई 28.56 कि.मी. लागत राशि रुपये 4997.59 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की थी. उक्त स्वीकृति में खनियाधाना शहरी भाग में डिवाइडर,चौड़ीकरण का कार्य सम्मिलित नहीं था.

खनियाधाना शहरी भाग का पुल 1200 मीटर में डिवाइडर एवं 7-7 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ सी.सी. मार्ग की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10.04.2017 द्वारा लागत राशि रुपये 4766.88 लाख का अनुमोदन शासन के द्वारा किया गया. वर्तमान में कार्य प्रगति पर है.

ध्यानाकर्षण में उल्लेखित लंबाई हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण प्रक्रियाधीन है.

श्री के.पी. सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अक्टूबर,2016 से इस बारे में मंत्री जी से निरंतर अनुरोध कर रहा हूं. पहला पत्र मैंने अक्टूबर,2016 में पी.एस. को लिखी,माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया,सदन में भी अनुरोध किया. पिछले अप्रैल और मई में भी व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से चर्चा की. मंत्री जी को खुद मालूम है कि नगर पंचायत क्षेत्र की कितनी लंबाई है और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि विभाग के प्रमुख सचिव मौके पर जाकर देख आये और उनके देखने और मौखिक निर्देश जारी हो ने के बावजूद भी यह काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ. इसलिये मुझे ध्यानाकर्षण यहां लाना पड़ा. एक विशेष व्यक्ति, जो नहीं चाहता कि नगर पंचायत के क्षेत्र में काम हो क्योंकि वह बुरी तरह से नगर पंचायत का चुनाव हारा है, उसकी जमानत जप्त हुई है. हमारा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया. उसका दुष्परिणाम हमें यह भुगतना पड़ रहा है कि सारा निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है वहां अभी एक जैन समाज का एक वहां सम्मेलन हुआ था. पूरे देश के जैन समाज के लोग वहां इकट्ठे हुए थे. मैंने उस समय भी कहा था कि पूरे देश के जैन समाज के लोग वहां इकट्ठे होंगे तो बड़ी बदनाम होगी, लेकिन पूरी गर्मी गुजरने और आज तक भी वहां डिवाइडर का एक इंच काम चालू नहीं हुआ. आपने यदि 1.2 कि.मी. का अनुमोदन कर दिया तो 1.2 कि.मी. का आपने काम क्यों नहीं करवाया, इसके पीछे क्या कारण है ? उसका अनुमोदन किये हुए महीना भर गुजर चुका है तो उसका काम चालू हो जाना चाहिये था. जब पी.एस. मौके पर जाकर देख आये कि 2.2कि.मी. लंबाई है और 1.8 कि.मी. नगर पंचायत क्षेत्र में है, तो उसका निर्माण होना चाहिये तो उसका कारण बता दें कि यह क्यों आपके यहां पेंडिंग पड़ा हुआ है ?

श्री रामपाल सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में पढ़ा है आपने ठीक से उसको गंभीरता से सुना नहीं. आपने मुझे पत्र दिया. मैंने वहां फोर लाईन मार्ग स्वीकृत कर दिया. उसकी राशि भी जारी कर दी है और डिवाइडर भी बनेगा, इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहिये. आप जब ध्यानाकर्षण लिख रहे थे,आपने उसमें लिख दिया कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. जब आप मंत्री थे जब वहां क्या गड्ढे नहीं थे, जब स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था अब स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है.

श्री के.पी. सिंह - जब डामर रोड था. अभी आपने खोद डाला है.

श्री रामपाल सिंह - मैं 20 साल पहले वहां गया था जब वहां गड्ढे थे.

श्री के.पी.सिंह - आपने उसकी ऊपर की सारी डामर खोद दी. 6 महीने से वह खुला पड़ा है और नगर पंचायत के बीच में आप खोल कर छोड़ दें तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

श्री रामपाल सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी सड़क के लिये इतनी बड़ी लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि दे दी. ऐसी सड़क आपको बनाकर दे रहे हैं जो आप नहीं बनाए.

श्री के.पी.सिंह - अपनी गलती स्वीकार करो. यह विषय को अध्यक्ष महोदय, मोड़ रहे हैं. अगर आपसे विलंब हुआ तो कारण बता दें.

श्री रामपाल सिंह - कारण नहीं, तुरंत वहां कार्य प्रारंभ कराएंगे.

श्री के.पी.सिंह-- अक्टूबर आ जायेगा, एक साल हो जायेगा, तुरंत का तात्पर्य क्या है. एक साल गुजर गया अब तुरंत कब होगा.

श्री रामपाल सिंह-- तुरंत का तात्पर्य यह है, आपने पत्र लिखा, प्रक्रिया तो पूरी करना पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, शहरी भाग, चौड़ाई, अतिक्रमण कितना है. अब काम लगेगा, अभी खम्भे वहां से हटेंगे और तुरंत कार्य प्रारंभ हो जायेगा.

श्री के.पी.सिंह-- वही मैं आपको कह रहा हूं कि इस काम को जानबूझकर विलंब किया जा रहा. खंबे हटाने का टेंडर हो चुका है, अब जानबूझकर एक पर्टिक्यूलर आदमी उस टेंडर की मंजूरी नहीं दे रहा है, चूंकि मंजूरी मंत्री जी को नहीं देना, प्रमुख सचिव को नहीं देना है, एक ग्वालियर में बैठा हुआ व्यक्ति वह उसकी मंजूरी जानबूझकर लटका रहा है जिससे और लंबा समय खिंच जाये. जब टेंडर हो गये, रेट सही आ गये तो अब खम्भे हटाने के टेंडर को आप मंजूरी क्यों नहीं दे रहे. उसी कारण से आपका काम चालू नहीं हो पा रहा है. आप स्वीकार करना नहीं चाहते, आपका विभाग पर कंट्रोल नहीं है, अधिकारी आपसे दबते नहीं हैं.

श्री रामपाल सिंह-- अगर कंट्रोल आपको देखना है तो इसको रूकवा देता हूं. आप मेरा कंट्रोल टेस्ट कर लो, आप मेरा टेस्ट कर लो.

श्री के.पी.सिंह-- एक साल में आप काम चालू नहीं करा पाये, यह कंट्रोल है ?

अध्यक्ष महोदय-- के.पी.सिंह जी कृपया बैठ जायें, सीधे वाद विवाद न करें.

श्री के.पी.सिंह-- अध्यक्ष महोदय, यह बात बताईये, एक साल में काम चालू नहीं हो पाया.

श्री रामपाल सिंह-- 50 साल में आप कर नहीं पाये, एक गड्ढा नहीं भर पाये.

श्री के.पी.सिंह-- इसमें 50 साल कहां से आग गये.

श्री रामपाल सिंह-- हम लोग जब विधायक थे, हमको कार्यक्रमों में बुलाते नहीं थे. ... (व्यवधान)....

श्री के.पी.सिंह-- लेकिन एक साल में आप डिवाइडर नहीं बनवा पाये, रोड की तो बात ही छोड़ दो, रोड की तो हम बात ही नहीं कर रहे.

अध्यक्ष महोदय-- आप सीधे 2-3 प्रश्न एक ही बार में पूछ लें.

श्री के.पी.सिंह-- मैंने पूछ लिये.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें फिर आगे बढ़ेगे.

श्री रामपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, के.पी. सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं. लेकिन आप बुरा मत मानिये, सच्चाई तो हमको बताना पड़ेगी, लेकिन बड़ा काम कर दिया, हम तुरंत काम लगायेंगे.

डॉ. गोविंद सिंह-- साथी हैं, साथ निभाने का तरीका देख लो.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- गोविंद सिंह जी आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, दो ठाकुरों की बात होने दो, वह आपस में निपट लेंगे. ...(हंसी)...

श्री रामपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 तक का उसका अनुबंध है, 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. शहर के भाग का काम है उसको हम तुरंत शुरू करवायेंगे.

श्री के.पी.सिंह-- मैं पूछ कुछ रहा हूं आप जवाब कुछ दे रहे हैं. मैं रोड के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- शहर के भाग की ही बात उन्होंने बोली है, आपने सुना नहीं.

श्री रामपाल सिंह-- शहर के भाग का ही मैं बोल रहा हूं, बिजली के खम्भे हटेंगे, तुरंत कार्य प्रारंभ करेंगे, लेकिन आपने जरा बात कह दी न कि पकड़ नहीं है तो पहले उस पर हो जाये.

श्री के.पी.सिंह-- मैं यही पूछ रहा हूं कि एक साल में एकमात्र नगर पंचायत के एरिये के डिवाइडर का काम आप शुरू नहीं करा पाये इसलिये मैंने कहा.

श्री रामपाल सिंह-- आपने पत्र बाद में दिया.

श्री के.पी.सिंह-- मैंने अक्टूबर 2016 में पत्र दिया था.

श्री रामपाल सिंह-- आपने खुद चिंता नहीं की, आप खुद मंत्री रहे वहां. आप खुद फोर व्हीलर से वहां घूमते थे.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया वाद-विवाद न करें आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और माननीय मंत्री जी भी बहुत वरिष्ठ हैं. कृपया करके आप सीधी-सीधा पूछ लें कि काम कब तक प्रारंभ करेंगे.

श्री के.पी.सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी ही बात पूछ रहा हूं कि विलंब का कारण क्या है यह बता दें, एक साल से जो नहीं हो पाया और दूसरा यह बता दें एक पर्टिक्यूलर डेट किस दिन से चालू हो जायेगा और जितनी लंबाई है, जो प्रमुख सचिव महोदय मौके पर देखकर आये हैं, प्रमुख सचिव से बड़ा अधिकारी तो कोई होता नहीं है. अब इसके बाद भी उसकी स्वीकृति में कितना समय और लगेगा. अब मंत्री जी और रह गये हैं अब यह आकर और देख लें.

श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहने वाला था, लेकिन वह कह रहे हैं कि पकड़ नहीं है, पकड़ का टेस्ट पहले हो जाये.

श्री के.पी.सिंह-- तो पकड़ दिखाओ न. एक साल में पकड़ नहीं पाये...(हंसी)...

श्री विश्वास सारंग-- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अगर पकड़ शब्द वापस ले लें तो काम हो जायेगा, के.पी. सिंह जी आप बोलो कि पकड़ है तो काम हो जायेगा.

श्री के.पी.सिंह-- अगर आपकी वास्तव में पकड़ है, मैं कल जा रहा हूं, खम्भों की वजह से जो काम रूका हुआ है आज उसका टेंडर मंजूर करा दें .... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- श्री अशोक रोहाणी कृपया अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें.

श्री के.पी.सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर तो आ जाने दें. .... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- के.पी. सिंह जी आप उत्तर लेना नहीं चाहते हैं . कृपया आप बैठ तो जायें तभी तो मंत्री जी उत्तर दे पायेंगे.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की विभाग पर पकड़ सही है. लेकिन के. पी. सिंह का कहना है कि पकड़ सही है इसका मूल्यांकन तभी होगा यदि सोमवार तब उनका काम मंजूर हो जाये.

अध्यक्ष महोदय- अभी आपने उनकी बात ओवर रूल कर दी थी.

श्री अजय सिंह -- नहीं, मैंने दोनों बातें कही हैं. उनकी तरफ से भी कह रहा हूं कि मंत्री जी पर विभाग की पकड़ है. बहुत अच्छी पकड़ है.

अध्यक्ष महोदय- बस, इसके आगे कुछ नहीं.

श्री उमाशंकर गुप्ता - अध्यक्ष महोदय शिवपुरी की पकड़ रायसेन में कैसे आ सकती है.(हंसी) यह तो आप के पी सिंह साहब को चुनौती दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय- आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपा करके बैठ जायें. अब इस विषय पर सिर्फ माननीय मंत्री जी का उत्तर आयेगा. इसके बाद में अगला ध्यानाकर्षण लिया जायेगा.

श्री के.पी. सिंह - लेकिन जवाब तो आ जाये, उसके बाद मेरा एक और प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय- नहीं, प्लीज आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. लेकिन अब अति हो रही है. अब नहीं, मंत्री जी का जवाब आ रहा है उनके जवाब के बाद में बात खतम हो जायेगी.

श्री रामपाल सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो हमने अभी स्वीकृति दी है. माननीय सदस्य ने कुछ इलाका बढ़ाने का अनुरोध किया है उसको हम करेंगे लेकिन अभी जो हमने स्वीकृति दी है उसका कार्य हम शीघ्र प्रारंभ करा देंगे जिसकी अभी हमने स्वीकृति दी है. हो ही गया है यह मानकर के आप चलिये, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो जायेगा.

श्री के.पी.सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसा ही हो जायेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को, पुराने और अभी के कार्य की स्वीकृति के लिये खूब धन्यवाद. आपकी खूब पकड़ साबित हो, हमारी शुभकामनाये आपके साथ में हैं. धन्यवाद.

2. <u>जबलपुर केण्ट क्षेत्र के राजीव नगर, संजय नगर आदि क्षेत्रों मे पट्टों का नवीनीकरण किया जाना.</u>

श्री अशोक रोहाणी (जबलपुर-कैन्टोनमेंट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना की विषय इस प्रकार है :-

जबलपुर के केण्ट विधानसभा के अंतर्गत राजीव गांधी नगर, संजय गांधी नगर एवं मोदीबाड़ा, कटंगा क्षेत्रों में मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अधीन वितरित पट्टों की लीज समाप्त हो गई है, जबकि नगरीय विकास विभाग द्वारा इस अधिनियम में पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में नियम बनाने

संबंधी कार्यवाही करनी थी परिणामत: आज दिनांक तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत लीज नवीनीकरण के संबंध में कोई निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं जिससे पट्टाधृति अधिनियम के पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाने से नागरिकों में प्रशासन/शासन के विरूद्ध रोष व्याप्त है.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री(श्रीमती माया सिंह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 एवं उसके अंतर्गत निर्मित "मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति"(पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम 2008 के अंतर्गत वर्ष 1984 से पट्टे दिये गये थे, जिन पट्टों की अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो गई है, वे नवीनीकरण योग्य हो गये हैं.

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2008 के नियम 7 के प्रारूप "ख" की शर्तों की कंडिका-6 में पट्टों के नवीनीकरण प्रावधान पूर्व से ही हैं. इन प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के लिये समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को लेख किया गया है. क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश जैसी कोई स्थिति नहीं है.

श्री अशोक रोहाणी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर उदय अभियान के दौरान हमारे क्षेत्र के लगभग 500 ऐसे पट्टाधारी हैं जिनके प्रकरण लंबित हैं . कलेक्टर द्वार यह कहा जाता है कि जब तक हमें ऊपर से निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक हम इनके नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं करेंगे. मेरे मंत्री जी से आग्रह है कि आज ही ऐसे निर्देश यहां से जारी करें ताकि उनके नवीनीकरण की कार्य़वाही पूरी हो सके.

श्री तरूण भनोत (जबलपुर-पश्चिम) - माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है.

अध्यक्ष महोदय- पहले रोहाणी जी के प्रश्न का उत्तर तो आ जाये. चलिये आप भी बोल दीजिये.

श्री तरूण भनोत-- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी कमोवेश यही स्थिति है . माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में सदन में भी घोषणा कर चुके हैं, विधानसभा से यह संकल्प भी पारित हुआ था कि नगरीय निकाय क्षेत्र में नजूल के स्थान पर जो लोग 10 वर्षो से अधिक से रह रहे हैं उनको मकान के पट्टे दिये जायेंगे. यह तो 1984 के पट्टे तत्कालीन सरकार द्वारा मिले हुये हैं, चूंकि सरकार इन पट्टों का नवीनीकरण नहीं कर रही है इसलिये माननीय विधायक श्री अशोक जी के क्षेत्र में भी यह स्थिति है कि लोगों का मतदाता सूची से नाम काटा जा रहा है.

श्रीमती उषा चौधरी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सतना में भी यही हाल है.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं. कृपया बैठे. भनोत जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पहले किया था उतने तक ही आप सीमित रहते तो ठीक था.

श्री भारत सिंह कुशवाह- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से संबंधित प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय - श्री भारत सिंह भी आप बैठ जाएं. माननीय मंत्री जी, इनकी बात का और श्री तरूण भनोत जी की बात का समेकित उत्तर आ जायेगा तो अच्छा रहेगा.

श्रीमती माया सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि 2008 में नियम नहीं बने लेकिन 2008 में नियम संशोधित किये गये थे और पूर्व से प्रचलित नियमों का ही पालन किया जा रहा था. लेकिन फिर भी नगरीय विकास विभाग ने कल सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी करके नियमानुसार नवीनीकरण का लेख किया है और इस संबंध में हम समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से शीघ्र ही विस्तृत निर्देश समय सारणी के साथ भी जारी कर देंगे.

श्री तरूण भनोत - नवीनीकरण के साथ-साथ जिनको नये पट्टे प्रदान किये जाने थे और जिनकी सरकार घोषणा कर चुकी है, इनके भी आदेश करें. यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है.

अध्यक्ष महोदय - श्री अशोक रोहाणी जी आपको इस संबंध में और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए.

श्री अशोक रोहाणी - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं जिस आदेश की प्रतिक्षा कलेक्टरों को थी वह आज इस सदन के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और कार्यवाही प्रारंभ होगी इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद .

श्री तरूण भनोत - अध्यक्ष महोदय, यह तो नवीनीकरण की बात हुई मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नये पट्टे दिये जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगी ? हालांकि यह बात ध्यानाकर्षण में शामिल नहीं है.

श्री तरूण भनोत - अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है.

श्री भारत सिंह कुशवाह - माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा भी प्रश्न है. यह मेरे क्षेत्र की भी समस्या है.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाएं मंत्री जी कुछ कह रहीं हैं. यह सभी जगह की समस्या है.

श्रीमती माया सिंह - माननीय अध्यक्ष जी, अभी दिसंबर 2014 तक के कब्जों के पट्टे दिये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं.

श्री तरूण भनोत - माननीय मंत्री जी कब तक दे दिये जाएंगे.

श्रीमती माया सिंह - उनका परीक्षण करके नियमानुसार नवीनीकरण किया जाएगा.

3. **छतरपुर जिले के जसगुवां बिजावर स्थित डी.एड. कॉलेज द्वारा फर्जीवाड़ा किया जाना.**

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी (मेहगांव) { सर्व श्री ठाकुरदास नागवंशी एंव वेलसिंह भूरिया} - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है कि :-

जसगुंवा, बिजावर जिला छतरपुर में शासकीय रामकृष्ण मेमोरियल बी.एड. कॉलेज खोला गया है. इसके बाद फर्जी तरीके से इसी स्थान में एक अशासकीय डी.एड. कॉलेज खोल दिया गया है. कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एक ही भवन में दोनों कोर्स संचालित किये जा रहे हैं. डी.एड. मैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु भवन ही नहीं है. छात्रों एवं उनके अभिभावकों के द्वारा अवगत कराया गया कि कॉलेज प्रबंधक शासन के द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कई गुना शुल्क लेते हैं. ज्यादा शुल्क देने से मना करने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तथा प्रायोगिक परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती है, जिस कारण छात्रों को अतिरिक्त शुल्क देने पड़ती है. इसके अतिरिक्त कॉलेज में नियमित कक्षाएं भी संचालित नहीं होती है और पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं है. उक्त डी.एड. कॉलेज में शासन द्वारा निर्धारित मापदंड से कम भवन निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क लेने एवं नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय नहीं किये जाने के कारण छात्रों एवं उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त है. छात्र एवं अभिभावक उपरोक्त बिंदुओं की उच्च स्तरीय जांच करवाने एवं जांच होने तक संस्थान में नवीन प्रवेश प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं. अत: उक्त डी.एड. कॉलेज के फर्जीवाड़े की जांच करवाने एवं जांच प्रक्रिया पूरी होने तक नवीन प्रवेश प्रक्रिया को रोकते हुए डी.एड. कॉलेज की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की जाए.

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया है. उक्त ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्धता प्राप्त डी.एल.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जाती है. वर्ष 2017-18 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्धता प्राप्त डी.एल.एड महाविद्यालयों की सूची में जसगुंवा, बिजावर छतरपुर में अशासकीय रामकृष्ण मेमोरियल महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है. अत: ऐसे किसी महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया नहीं की जा रही है. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सूची के अनुसार इसी पते पर एक अन्य

अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालय पीताम्बर पीठ शिक्षा प्रसारणीय इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित है. फर्जी तरीके से अशासकीय डी.एल.एड कॉलेज संचालित करने के संबंध में संभागीय अधिकारी को तत्काल छतरपुर जांच के लिये भेजा जा रहा है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मान्यता समाप्त करने के लिये लिख दिया जाएगा. यदि आवश्यकता हुई तो तत्काल एफ.आई.आर. भी दर्ज की जावेगी. कॉलेजों को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. प्रदेश में संचालित डी.एल.एड. महाविद्यालयों के निरीक्षण और जांच में राज्य शासन की प्रभावी भूमिका बनाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को लेख किया जायेगा ताकि प्रतिवर्ष राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके और उसके बाद ही उसकी मान्यता रहे.

12.30 बजे [उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए]

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब तक जांच चले, तब तक नवीन सत्र की प्रवेश प्रक्रिया रोकी जाये और अगर जांच उपरान्त दोषी पाए जाते हैं तो स्थायी रूप से इनकी संबद्धता खत्म की जाये क्योंकि कहीं न कहीं एक ही कॉलेज में, मेरे पास उस कॉलेज के बिजली के बिल भी हैं, उसमें बी.एड. कॉलेज, रामकृष्ण महाविद्यालय उसका बिजली के बिल इस नाम से है- प्रिसिंपल, बी.एड. कॉलेज महाविद्यालय एवं उसी में मां पीताम्बरा संचालित होती हैं तो कहीं न कहीं शासन के साथ फ्रॉड किया जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी उनकी 3 वर्ष की मान्यता रद्द करेंगे और तब तक नवीन एडमिशन रोकेंगे ?

कुँवर विजय शाह - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जांच का सवाल है. आज शुक्रवार है, हम सोमवार को एक टीम भेजकर, इसकी विस्तार से जांच करवायेंगे और केवल यही नहीं डी.एड., बी.एड. कॉलेज, जितने भी प्रायवेट हैं, उनकी बहुत लम्बे समय से शिकायतें आ रही हैं. हमारे जो संभागीय अधिकारी है, जे.डी. हैं, उनको भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में जितने भी डी.एड., बी.एड. कॉलेज हैं, 7 दिन में उसकी रिपोर्ट शासन को भेजें तथा रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरत पड़ी तो एफ.आई.आर. करवाएंगे एवं अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार को संबद्धता निरस्त करने के लिए भेज दिया जाएगा.

श्री दिलीप सिंह परिहार - माननीय मंत्री जी, नीमच के भी हैं.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - क्या तत्काल नवीन सत्र के प्रवेश रोके जाएंगे ? जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो.

कुँवर विजय शाह - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सोमवार को तो भेज ही रहे हैं.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - मंत्री जी, तब तक एक ऐसा आदेश प्रसारित हो जाये कि नवीन शिक्षा सत्र के एडमिशन न हों.

कुँवर विजय शाह - उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि बिना जांच किये किसी प्रक्रिया को रोकना कानूनन ठीक नहीं है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - मंत्री जी, यह आप अपने जवाब में मान ही रहे हैं कि वहां इस तरह का कोई कॉलेज नहीं है, तब तक नवीन सत्र की प्रक्रिया 2 दिन तक रोक दी जाये अगर वह सही निकले तो आप जैसा उचित समझें, वैसा करियेगा.

12.33 बजे [सभापति महोदय (श्री के.पी. सिंह) पीठासीन हुए]

श्री वेलसिंह भूरिया (सरदारपुर) - माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें कहना है कि यदि यह क्लीयर हो गया है कि संस्था फर्जी है तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या आप फर्जी संस्था की मान्यता रद्द करेंगे ?

कुँवर विजय शाह - सभापति महोदय, जितने भी मध्यप्रदेश में डी.एड., बी.एड. प्रायवेट कॉलेज हैं. चाहे उनकी शिकायत आई है या नहीं, हम 7 दिनों के अन्दर उनकी जांच करवाएंगे और जे.डी. से रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जायेगी.

श्री वेलसिंह भूरिया - सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि इस तरह के पूरे प्रदेश में सभी संभागों में फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, इनकी भी जांच की जायेगी तो विद्यार्थियों के भविष्य के लिये अच्छा होगा. माननीय मंत्री जी, सभी जगह जांच करवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा अनुरोध है.

कुँवर विजय शाह - सभापति महोदय, एन.सी.टी.ई.आर. की सूची में जो नाम आया है, यदि उसमें उसका नाम नहीं है और यदि वहां प्रवेश हो रहा है तो वह इल्लीगल है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - सभापति महोदय, मेरा अनुरोध यह था कि नाम नहीं है तो प्रवेश रोका जाये. उनको फर्जी प्रवेश लेने की परमिशन न दी जाये.

कुँवर विजय शाह - सभापति जी, जिनको मान्यता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में अभी आया है तो प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता है. अगर उसके बाद भी प्रवेश लेता है तो एफ.आई.आर. कर देंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - माननीय सभापति महोदय, जब तक जांच चल रही है तब तक क्या उनकी मान्यता निलंबित करेंगे ?

कुँवर विजय शाह - सभापति महोदय, हम लोग भी विपक्ष में बहुत दिनों तक बैठे हैं. हमने 7 दिन का समय मांगा है.

श्री वेलसिंह भूरिया - मैं माननीय मंत्री जी को अतिशीघ्र कार्यवाही करने के आश्वासन पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ.

कुंवर विजय शाह - सभापति महोदय, मान्यता निरस्त करने का अधिकार नहीं है, रिकमंड करने का अधिकार है. जांच के बाद रिकमंड कर सकते हैं, मुकेश जी ज्यादा बेहतर जानते हैं. जांच के बाद यदि इस तरह से स्थिति है तो निश्चित रूप से निरस्त होना ही है.

श्री ठाकुर दास नागवंशी(पिपरिया) - माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधान सभा में अभी दो शब्द आए हैं. एक पकड़ और एक है जुगाड़, इसके पास न तो पकड़ है न तो जुगाड़ है फिर भी एक भवन में बीएड और डीएड दोनों चल रहे हैं. यदि बच्चों के प्रवेश हो जाते हैं और जांच के बाद उसकी मान्यता रद्द होती है तो ऐसे में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ा होगा. इसलिए तत्काल प्रवेश रोके जाने चाहिए.

कुंवर विजय शाह - माननीय उपाध्यक्ष जी, कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं कि वहां जाकर के एक बार परीक्षण कर लें और बच्चों को भी इस बारे में समझाए और मीडिया के माध्यम से जानकारी में भी आ ही जाएगा. यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो गड़बड़ी करने वालों को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा.

सभापति महोदय - सदस्य का कहना है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा, गलती तो कोई और कर रहा है.

कुंवर विजय शाह - माननीय सभापति जी, सोमवार को हम जांच कमेटी भेज देंगे, जांच के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे, चाहे एफआईआर करना हो, या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को मान्यता निरस्त करने के लिए पत्र लिखना हो तो हम यह जांच के बाद ही तो लिख पाएंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - माननीय सभापति महोदय, आज अच्छा दिन है, शुक्रवार है आज ही जांच के आदेश दिए जाए तो बेहतर होगा.

श्री दिलीप सिंह परिहार - नीमच जिले में भी यह बहुत चल रहा है. मंत्री जी आज ही जांच के आदेश कर दीजिए.

सभापति महोदय - आदेश तो अलग बात है लेकिन सदस्यों की चिन्ता यह है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - अभी तत्काल में प्रवेश रोक दिए जाएं. आजकल तो तकनीकी बहुत फास्ट है, आप अभी आदेश कर दीजिए तो तुरंत जांच हो जाएगी.

कुंवर विजय शाह - माननीय सभापति महोदय, चिन्ता आवश्यक है. हम कलेक्टर को निर्देश जारी कर रहे हैं और कलेक्टर की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, उसके बाद कोई निर्णय लें लेंगे.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी - मंत्री जी को धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - माननीय सभापति जी, ध्यानाकर्षण छतरपुर जिले के जस्सूगांव बिजावर क्षेत्र से संबंधित है. सभापति महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्या पूरे मध्यप्रदेश में इस प्रकार की जांच करवा लेंगे.

कुंवर विजय शाह - सारे मध्यप्रदेश में जितने भी डीएड और बीएड के प्रायवेट कालेज है, 7 दिन में सभी की जांच जीएडी से करवाकर दे देंगे.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (पुष्पराजगढ़) - माननीय सभापति जी, अनुमति हो तो मेरे क्षेत्र के लिए कुछ कह दूं. इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक पिछले बीए, बीएड, बीकॉम में प्रवेश लेकर के बच्चों ने अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात बच्चों को डिग्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज करीब 300 बच्चे पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा उनको डिग्री प्रदान हीं की गई.

सभापति महोदय - यह प्रश्न इससे उद्‌भूत नहीं होता.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को - सभापति जी, शिक्षा से संबंधित विषय है इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम विश्वविद्यालय से जानकारी ही इस संबंध में बुलवा ली जाए कि ऐसा क्यों हो हुआ है, मध्यप्रदेश के ही बच्चे हैं, यदि पढ़ाई पूरी हो गई है तो डिग्री मिलना चाहिए.

सभापति महोदय - आप अलग से माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें, जो कार्यवाही होगी मंत्री जी करवा लेंगे.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को - धन्यवाद.

(4) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही न किया जाना.

श्री निशंक कुमार जैन (बासौदा) - माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है-

आयुक्त आदिवासी विकास को थाना प्रभारी जहांगीराबाद भोपाल के पत्र क्रमांक 07.02.2017 द्वारा संसूचित किया गया कि अपर संचालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 889/13, धारा 306, 34 भादावि के अंतर्गत कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. अपर संचालक को गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा किया गया. प्रकरण का चालान प्रस्तुत होने के उपरांत भी उन्हें निलंबित नहीं किया गया, इनकी शिकायत लोकायुक्त में भी की गई. वाहन चालकों की भर्ती में भी विभाग ने श्री भण्डारी को दोषी माना है, इनके दोहरे आहरण से संबंधित बिलों में इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, इनकी विवादित कार्यशैली व इनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही नहीं होने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य)-- माननीय सभापति महोदय,

यह सही है कि श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी, अपर संचालक के विरूद्ध थाना जहॉगीराबाद में अपराध क्रमांक 889/13 धारा 306,34, भा.द.वि के अन्तर्गत कायम कर विवेचना में लिया जाकर श्री भंडारी को गिरफ़तार कर मुचलके पर रिहा किया गया था । श्री भंडारी एवं अन्य के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान तैयार कर माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, भोपाल के नाम आर.टी. नम्बर 3009 दिनांक 14.4.2014 पर प्रस्तुत किया गया है। इस आशय की सूचना विभाग को दी गई थी।

विवेचना के दौरान श्री भंडारी द्वारा मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में एम.सी.आर.सी 3267/14 प्रस्तुत की गई है, जिस पर दिनांक 11.4.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही के विरूद्ध स्थगन आदेश दिया गया है। श्री भंडारी द्वारा मा. विचारण न्यायालय में भी उच्च न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया है, जिस पर विचारण न्यायालय भोपाल द्वारा भी अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किया गया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भोपाल द्वारा विभाग को दी गई है। मान.उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में स्थगन होने से तथा मान. विचारण न्यायालय भोपाल द्वारा भी कार्यवाही स्थगित होने के कारण श्री भंडारी के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही नहीं की गई है। मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर एमसीआरसी क्रमांक 3267/14 में दिये गये स्थगन की स्थिति के साथ-साथ श्री भंडारी के विरूद्ध प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही गई है। मान. उच्च न्यायालय का स्थगन रिक्त होने पर निलंम्बन की कार्यवाही की जावेगी।

2. वाहन चालकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल में शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें प्रारंभिक जांच में श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर संचालक, अदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं, भोपाल को प्रथम दृष्टया भंडारी को दोषी पाए जाने पर कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 22.06.2017 को जारी किया गया है। श्री भंडारी का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। श्री एस.एस. भण्डारी के कृत्यों एवं नीतियों से विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भयभीत नहीं है तथा विभाग उन्हें बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है।

श्री निशंक कुमार जैन--माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उच्च न्यायालय से स्थगन है. यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय अथवा किसी भी न्यायालय से स्थगन आता है तो संबंधित थाना प्रभारी जिसने कमिश्नर ट्राईबल को लिखा तथा उनको गिरफ्तारी

की सूचना दी. यदि किसी भी तरह का स्थगन होता तो मैं अपने पत्र के साथ कमिश्नर में उस बात का उल्लेख भी करते नंबर एक, नंबर दो कमिश्नर ने वह पत्र प्रमुख सचिव को लिखा, टीआई जहांगीराबाद के पत्र की कापी लगायी. उन दोनों पत्रों में किसी भी न्यायालय के किसी भी तरह के स्थगन नहीं है. नंबर एक, नंबर दो यदि स्थगन होता तो किसी भी तरह की स्थगन की कापी विभाग में उपलब्ध होती. न तो विभाग में किसी भी तरह की कापी उपलब्ध है. यदि है तो माननीय मंत्री जी मुझे देने का कष्ट करेंगे अथवा पटल पर रखने का कष्ट करेंगे. नंबर तीन जिस दोहरे आहरण की बात माननीय मंत्री जी ने कही. मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री भण्डारी द्वारा 68 करोड़ रूपये का दोहरा आहरण किया गया, उसकी शिकायत जब लोकायुक्त में हुई. लोकायुक्त ने चीफ सेकेट्री को लिखा. चीफ सेकेट्री ने तीनों प्रमुख सचिवों को अपने चेम्बर में बुलाया. चीफ सेकेट्री की मेरे पास नोटशीट की कापी है. श्री भण्डारी ने जिस पेपर पर दस्तखत करके आहरण लिया उस समय दुर्भाग्य श्री भण्डारी का यह देखिये कि जिन खातों में वह पैसा ट्रांसफर हुआ 70 लाख रूपये एक भृत्य, एक बाबू के पास राशि का एक अंश ट्रांसफर हो गया. अब भृत्य एवं बाबू विभाग में घूमें कि हमारे खाते में 70 लाख रूपये आ गये तब इस प्रकरण की जांच प्रारंभ हुई और जांच में श्री भण्डारी को दोषी पाया गया. चीफ सेकेट्री विभाग को लिखते हैं कि यह गंभीर मामला है और इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिये. विभाग के अधिकारी निश्चित रूप से श्री भण्डारी को बचा रहे हैं. नंबर एक.

सभापति महोदय--आप स्पेसिफिक प्रश्न करें.

श्री निशंक कुमार जैन--माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो जांच आपके विभाग के द्वारा की गई जिसमें श्री भण्डारी को दोषी पाया गया. क्या आप श्री भण्डारी को निलंबित कर फिर जांच की कार्यवाही करायेंगे ?

श्री लाल सिंह आर्य :- माननीय सभापति महोदय, एक तो माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया कि स्थगन की कापी है नहीं. माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं पटल पर यह स्थगन की कापी सदन रखने को तैयार हूं, नंबर एक. नंबर दो, आपने कहा है कि 68 करोड़ का कोई..

सभापति महोदय:- स्थगन की कापी जो आपके पास है, उसमें जो न्यायालय के डायरेक्शन हैं, वह आप सीधे पढ़कर ही बता दीजिये. उसमें डायरेक्शन क्या हैं ?

श्री लाल सिंह आर्य :- सभापति महोदय, मैंने पूरी बात बतायी है, मैंने तारीख भी बतायी है. विधायक जी ने कहा कि 68 करोड़ घोटाले वाला कोई मामला बताया है. यदि कोई भी जांच प्रक्रिया होती है तो उसमें हमारे जो विभागीय आयुक्त हैं एस.सी के, उनको जांच दी गयी है. यदि

वह दोषी होंगे तो फिर तो केवल निलंबन की कार्यवाही नहीं होगी, फिर तो एफआईआर भी दर्ज होगी. किसी को छोड़ने का सवाल ही नहीं है.

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसमें दो बातें हो रही हैं. आपके ही जवाब में आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज है और इधर आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होगी. दोनों में से कौन सी बात सही है.

श्री लाल सिंह आर्य :- सभापति महोदय, यह 68 करोड़ वाले मामले में बता रहा हूं.

सभापति महोदय :- अच्छा, यह 68 करोड़ वाला मामला है.

श्री लाल सिंह आर्य :- जी हां.

श्री निशंक कुमार जैन :- माननीय सभापति महोदय, विभाग ने जांच की और 7 कर्मचारियों को दोषी पाया और उन सातों को निलंबित कर दिया और जिसका जो कर्ता-धर्ता था तो उसे बचाने के लिये छोटे कर्मचारियों को बलि चढ़ाया गया. जबकि कर्ता-धर्ता को विभाग द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है. यदि भण्डारी दोषी नहीं थे तो चीफ सेक्रेटरी ने ...

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपके पास जो माननीय न्यायालय का आदेश है, उसमें क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने के लिये लिस्ट है ?

श्री निशंक कुमार जैन :- माननीय सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार का मामला दूसरा है. वह एक आत्महत्या के मामले में कार्यवाही न करने के मामले में मना कर रहे हैं.

सभापति महोदय :- वही मैंने कहा है कि माननीय न्यायालय आदेश क्या है, उसको आप आप पटल पर रखने को तैयार हैं तो आप पढ़ दें कि वह है क्या. उससे क्लियर हो जायेगा कि स्टे इस पर है या किस पर है.

श्री निशंक कुमार जैन :- माननीय सभापति महोदय, वह दूसरा मामला है. उसमें इन्होंने एक पत्रकार को प्रताड़ित किया था, उसने आत्महत्या करी थी, उसमें वह स्थगन है.

सभापति महोदय :- आप बैठ जायें, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं.

श्री लाल सिंह आर्य:- सभापति महोदय, यह बात सही है, जो निशंक जी बता रहे हैं कि एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जो भण्डारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था. उसमें उनको मुचलके पर छोड़ा गया है. वह उसी दिन कोर्ट में गये और उसी दिन उनको स्टे इस बात का दिया कि इनकी अभी गिरफ्तारी न की जाये. इस पर उनको मुचलका मिल गया.जहां तक 68 करोड़ का मामला है. मैं बहुत ही स्पष्ट कह रहा हूं कि 2 महीने के अंदर, इसमें जो भी जांच चल रही है....

श्री निशंक कुमार जैन :- माननीय सभापति महोदय, 2010 से जांच चल रही है और अभी 2017 हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग का ही नियम है कि एक वर्ष में विभागीय जांच पूरी की जायेगी. अभी 2010 से 2017 तक अकेली जांच ही चल रही है. चीफ सेक्रेटरी अपनी नोटशीट में लिखते हैं और तीनों विभागों तीनों प्रमुख सचिवों को पृष्ठांकन करते हैं और चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के बाद उनको निलंबित नहीं किया गया है और 68 करोड़ के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की गयी.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करें और उनके निलंबन के पश्चात् जांच करायें. यदि वह निर्दोष हों तो उनको आप वापस बहाल कर दें.

श्री लाल सिंह आर्य:- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जो स्टे लिया है उस पर 16.3.17, 5.4.17, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें.

श्री निशंक कुमार जैन :- सभापति महोदय, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं. स्टे दूसरी बात पर है. स्टे एक आत्महत्या पर है न कि 68 करोड़ रूपये के घाटाले पर है.

श्री लाल सिंह आर्य :- निशंक जी, यह कभी नहीं होता है, अगर किसी ने कोई आरोप लगाया है तो उसकी जांच करना ही पड़ती है नहीं तो वह कोर्ट में जाकर फिर उस चीज पर स्टे ले लेगा. इसलिये हम उसे बचाना नहीं चाहते हैं. हमने उस पर जांच बैठा दी है. आयुक्त जांच कर रहे हैं.

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का सवाल यह है कि जीएडी का जो सर्क्युलर है, उसके अनुसार एक साल के अंदर जांच पूरी होना चाहिये. आपको जांच करते हुए करीब 7 साल हो गये हैं, क्या यह सही है, सिर्फ इतनी सी बात है. आखिरकार इसमें चीफ सेक्रेटरी की बात भी नहीं सुनी जायेगी.

श्री लाल सिंह आर्य :- सभापति महोदय, मैं इसीलिये तो कह रहा हूं. मैं चाहता तो मैं यह कह देता कि जल्दी कार्यवाही कार्यवाही करूंगा. मैं समय दे रहा हूं.

सभापति महोदय :- 7 साल का समय बहुत लम्बा होता है.

श्री लाल सिंह आर्य :- सभापति महोदय, मैं केवल दो महीने का समय चाह रहा हूं. मैं केवल 2 महीने कर रहा हूं. केवल 2 महीने में पूरी जांच करके अंतिम बिंदु पहुंचेंगे. अगर दोषी होंगे तो निलंबित भी होंगे और एफआईआर भी होगी.

श्री बहादुर सिंह चौहान :- माननीय सभापति महोदय, जब 7 वर्षों का इंतजार किया है तो मंत्री जी 2 महीने मांग रहे हैं. 2 महीने में जांच के निष्कर्ष आ जायेंगे.

श्री रामनिवास रावत- माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय के जवाब में एक बात और निकलकर आई है. मंत्री जी जांच की बात कह रहे हैं. कृपया अंतिम पैरा पढ़े- "वाहन चालकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल में शिकायत दर्ज की गई जिसमें प्रारंभिक जांच में सुरेंद्र सिंह भंडारी, अपर संचालक आदिम जाति, क्षेत्रीय विकास योजना, भोपाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया". क्या आपको लोकायुक्त पर भी भरोसा नहीं है ? वह दोषी सिद्ध है, जांच हो चुकी है. आप उसे निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं. स्टे अपराधिक प्रकरण में कार्यवाही करने के विरूद्ध है और आप बात कहीं की कहीं और ले जा रहे हैं. स्टे

श्री लाल सिंह आर्य- माननीय सभापति जी, बात को कहीं का कहीं ले जाने का सवाल ही नहीं है. रावत जी जो वाहन चालकों की बात कह रहे हैं, उसमें भी विभागीय जांच संस्थित की गई है. उनको नोटिस दिया गया है.

श्री निशंक कुमार जैन- माननीय सभापति जी, उस नोटिस को दिए हुए तीन साल हो गए हैं.

श्री लाल सिंह आर्य- माननीय सभापति जी, नोटिस की तामिली 07.07.2017 को हुई है.

श्री रामनिवास रावत- माननीय सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इनका विभाग बड़ा है कि लोकायुक्त बड़ा है ?

श्री लाल सिंह आर्य- आप दबाव क्यों बना रहे हैं ?

....(व्यवधान)....

श्री निशंक कुमार जैन- माननीय सभापति जी, दबाव की बात नहीं है. हमारी मांग है कि आप उसे निलंबित करें और फिर जांच करवायें.

सभापति महोदय- कृपया माननीय मंत्री जी की बात सुन लें.

श्री रामनिवास रावत- मंत्री जी आप कुछ न बतायें केवल यह बता दें कि आपकी क्या मजबूरी है ?

....(व्यवधान)....

श्री लाल सिंह आर्य- माननीय सभापति जी, लाल सिंह आर्य की न कोई मजबूरी है, न कोई दबाव है और न ही कोई प्रभाव है. केवल 15 दिवस का नोटिस है, उसमें से भी 6-7 दिन निकल गए

हैं. यदि 15 दिवस के अंदर उनका जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे.

श्री रामनिवास रावत- इसका मतलब आप लोकायुक्त की जांच को नहीं मानेंगे.

श्री निशंक कुमार जैन- माननीय सभापति जी, 68 करोड़ रूपये वाले मामले में 3-3 प्रमुख सचिव जांच कर रहे हैं. मुख्य सचिव नोटशीट लिख रहे हैं. अब इसके बाद किसका इंतजार किया जा रहा है.

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुंवर विजय शाह)- माननीय सभापति जी, न्यायालयीन प्रकरण है.

श्री रामनिवास रावत- अब उनको बचाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ा. आप कृपया बचाव में न आयें.

श्री निशंक कुमार जैन- मंत्री जी, वह न्यायालयीन प्रकरण दूसरा है. वह आत्महत्या का प्रकरण है. दैनिक-भास्कर, पत्रिका, नव-दुनिया सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इसके संबंध में लिखा है. दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा में 20 विधायकों द्वारा इस संबंध में प्रश्न लगाये गए थे. 68 करोड़ रूपये का प्रकरण और आत्महत्या वाला प्रकरण, दो अलग-अलग प्रकरण हैं. माननीय सभापति जी, इसके बाद भी जिस प्रमाण-पत्र के आधार पर भंडारी को नौकरी दी गई, वह प्रमाण-पत्र फर्जी निकला. जिसने प्रमाण-पत्र दिया है, उसने स्वयं कह दिया कि हमने ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया है.

सभापति महोदय- जैन जी, आपकी सारी बात आ गई है. मंत्री जी 2 माह का समय मांग रहे हैं. अब आप बताईये कि इस 2 माह के समय में आप क्या चाहते हैं ?

श्री निशंक कुमार जैन- माननीय सभापति जी, मेरी मांग है कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी जिसके मामले में पूर्व की विधान सभा के 20 विधायकों ने प्रश्न लगाया, तमाम मीडिया में उसके बारे में छप चुका, एक पत्रकार ने मुख्य सचिव के समक्ष वल्लभ भवन के सामने आत्महत्या की, एक महिला प्रताड़ना की शिकायत कर रही है, आदिम जाति कल्याण विभाग ने उस कागज को भी दबा दिया है. महिलाओं और बच्चियों को शाम को ऑफिस टाईम के बाद उसके द्वारा बुलाया जाता है. इतनी ढेर सारी शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं की जा रही है तो माननीय मंत्री जी आप ऐसे अधिकारी को पुरस्कार दे दीजिये और मान लीजिये कि आपकी सरकार ऐसा ही करती है.

माननीय सभापति जी, मैं मांग करता हूं कि उसे तत्काल निलंबित किया जाये और जांच करवाई जाये. यदि जांच में वह निर्दोष साबित होता है तो उसे बहाल कर दीजियेगा.

कुंवर विजय शाह- माननीय सभापति जी, यह तो पूरा भाषण है.

श्री अजय सिंह- माननीय सभापति जी, विधायक महोदय भाषण नहीं दे रहे हैं. अपनी पीड़ा तथ्यों के साथ बता रहे हैं कि मध्यप्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्री महोदय बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

कुंवर विजय शाह- माननीय सभापति जी, यह कार्यवाही से विलोपित होना चाहिए.

श्री रामनिवास रावत- माननीय सभापति जी, क्यों विलोपित किया जाना चाहिए. क्या लोकायुक्त की जांच को भी आप विलोपित कर देंगे ? आपका ही जवाब है कि लोकायुक्त की जांच में प्रथमदृष्टया वह दोषी पाया गया है.

कुंवर विजय शाह- माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी और शासन द्वारा किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता है. जो नियम है, उसका पालन तो सभी के लिए होगा. मंत्री जी ने कहा है कि 15 दिनों में यदि जांच नहीं होती है तो कार्यवाही करेंगे.

श्री रामनिवास रावत- मेरे भाई, वह प्रथमदृष्टया लोकायुक्त की जांच में दोषी है.

सभापति महोदय- 15 दिन में ? जैन जी, विजय शाह जी ने 15 दिन कह दिया है. अब तो ठीक है ?

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय- माननीय लाल सिंह जी स्वयं जवाब देने में सक्षम हैं. विजय शाह जी, कृपया आप उन्हें जवाब देने दें.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी- माननीय सभापति जी, विपक्ष में अब यही हो रहा है कि 2-2, 3-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं और कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है, न ही समझना चाहता है. यह तो गलत बात है.

श्री निशंक कुमार जैन-- माननीय सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आता चीफ सेक्रेटरी लिखते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिखते है, लोकायुक्त लिखते हैं, ई.ओ.डब्ल्यू. लिखता है हर चीज मानी जा रही है. माननीय मंत्री जी इसके बाद भी क्यों बचाया जा रहा है. माननीय मंत्री जी आप निलंबन कर दीजिए. (व्यवधान)

सभापति महोदय-- मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप सुन तो लीजिए. (व्यवधान)

श्री निशंक कुमार जैन-- माननीय मंत्री जी निलंबन करा कर जांच कर लीजिए.

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा दो महीने में कार्यवाही करेंगे और नोटिस दिए हुए समय हो गया है 15 दिन बचे हैं.

श्री निशंक कुमार जैन-- माननीय मंत्री जी वह सब अलग अलग मामले हैं मेरा कहना यह है कि इतने सारे प्रमाण तमाम मीडिया में तमाम टी.व्ही. चैनलों पर चले तमाम प्रिंट मीडिया में चले जांच हुई अब इसके बाद जांच के लिए क्या बचा है?

सभापति महोदय-- आप सुन लीजिए वह क्या कह रहे हैं. उन्होंने दो महीने का समय कहा है और उसमें से अब दिन का समय बचा है.

श्री निशंक कुमार जैन-- सभापति महोदय, वह 15 दिन वाला मामला ड्राइवर का है. 68 करोड़ का मामला दूसरा है. महिलाओं वाला मामला तीसरा है.

सभापति महोदय-- आप सुनना नहीं चाहते हैं आपकी बात स्पष्ट हो रही है. आप मेरी पूरी बात सुन लें. दो महीने का समय उनने आज से नहीं मांगा है जब से नोटिस जारी हुआ है तब से मांगा है. विजय शाह जी के अनुसार उसमें 15 दिन बचे हैं. वह एक प्रकरण की बात नहीं कर रहे हैं सम्पूर्ण प्रकरण में 15 दिन के अंदर वह कार्यवाही कर देंगे. इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो. ऐसा नहीं होता है कि तत्काल कार्यवाही हो.

कुंवर विजय शाह -- 15 दिन बाद कार्यवाही करेंगे फिर खुद चला जाएगा.

श्री निशंक कुमार जैन-- माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी आप सुन लीजिए.

सभापति महोदय-- धैर्य रखें और समझें. 15 दिन के अंदर कार्यवाही पर परिणाम आपको दे देंगे इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए.

श्री निशंक कुमार जैन-- सभापति महोदय, 15 दिन का ड्राइवर का मामला है.

सभापति महोदय-- उन्होंने सारे मामलों की बात कही है.

श्री निशंक कुमार जैन-- नहीं उन्होंने नहीं कहा. 15 दिन का कहा है ड्राइवर वाला.

सभापति महोदय-- माननीय मंत्री जी आप स्पष्ट कर दें कि आप 15 दिन के अंदर पूरी कार्यवाही कर देंगे.

श्री निशंक कुमार जैन-- सभापति महोदय, वह निलंबन क्यों नहीं करते.

सभापति महोदय-- ऐसा नहीं है कि आप जो कहें वह हो जाए.

श्री निशंक कुमार जैन-- जिस अधिकारी को पूरे लोग दोषी मान रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी दोषी मान रहे हैं .

सभापति महोदय-- आपको जवाब लेना है कि नहीं लेना है. आपकी पूरी बात आ गई है और आपका जवाब मिल रहा है.

श्री लाल सिंह आर्य-- निशंक जी, आप जो मामला उठा रहे हैं कि एक साल से.....

सभापति महोदय-- मंत्री जी आप अपनी लंबी बात रख रहे हैं बहुत लंबा समय हो गया है.आप सीधा- सीधा एक लाइन में जवाब दे दें आपने दो महीने किया था विजय शाह जी ने 15 दिन कर दिया है. 15 दिन पर सहमति देकर खत्म करें.

श्री लाल सिंह आर्य-- माननीय सभापति महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट कहा. मेरे पास अभी विभाग आया.

सभापति महोदय-- उससे पहले वाले मंत्री जी ने कह दिया.

श्री लाल सिंह आर्य-- सभापति महोदय, सुन तो लें. मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं खुद भी देखूंगा. माननीय सभापति महोदय, किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने का सवाल ही नहीं है पूरी जांच, दोनों चीजें एक महीने के अंदर करके विधायक जी को सूचना दूंगा. किसी को बचाने का सवाल ही नहीं है. अगर किसी ने शासन को नुकसान पहुंचाया होगा तो.

श्री निशंक कुमार जैन--- सभापति महोदय, जिसका प्रमाण पत्र असत्य, जिसकी नौकरी असत्य, जिसने 68 करोड़ रुपए लिए चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, उनकी मीटिंग के बाद ए.सी.एस. फायनेंस, पी.एस. एस.टी.....

सभापति महोदय-- माननीय सदस्य आप अपनी बात समाप्त करें. अब निशंक जी जो बोल रहे हैं कुछ नहीं लिखा जाएगा. जो मंत्री जी ने कह दिया उसके अनुसार एक महीने के अंदर कार्यवाही हो जाएगी.

श्री निशंक कुमार जैन-- (XXX)

12.59 बजे याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की गईं मानी जाएंगी.

12.59 बजे **बहिर्गमन**

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)-- सभापति महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं लोकायुक्त के मामले में भी यह राय नहीं ले रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मामला सात साल से चल रहा है हम कैसे उम्मीद करें कि वह हैं 15 दिन में हो जाएगा. हम लोग सदन से वॉकआऊट कर रहे हैं.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया)

12.59 बजे **वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगो पर मतदान**

सभापति महोदय -- अब अनुपूरक अनुमांग की मांगों पर चर्चा होगी. इस सदन की परम्परा अनुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं उन पर एक साथ चर्चा होती है अत: वित्त मंत्री जी भी सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)--सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि--

"दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 64, तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच हजार बावन करोड़, तिरपन लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

सभापति महोदय--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)--माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने अभी 5 हजार 52 करोड़ रुपए बताया है जबकि उनके द्वारा जो अनुपूरक अनुमान और विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें 5 हजार 59 करोड़ रुपए लिखा है. इन दोनों में से कौन सा सही है यह बता दें. कितने का प्रस्तुत किया है यही होश नहीं है.

सभापति महोदय--माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे.

श्री जयंत मलैया--सभापति महोदय, मैं इसको देख लेता हूँ, हो सकता है यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो.

श्री बाला बच्चन--सभापति महोदय, आज की दैनिक कार्य सूची में पांच हजार बावन करोड़, तिरपन लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ रुपए लिखा है.

श्री जयंत मलैया--जी हां मैंने भी देखा है, मैंने इसको पढ़ा है.

श्री रामनिवास रावत--ऐसी स्थितियां स्पष्ट होना चाहिए. (XXX)

श्री जयंत मलैया--माननीय सभापति महोदय, मैं कल अपना भाषण प्रारंभ करने के पहले इसको स्पष्ट कर दूंगा.

श्री रामनिवास रावत--माननीय मंत्री जी धन्यवाद. माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट, अनुपूरक अनुमान और विनियोग विधेयक जो पांच हजार उनसठ करोड़, पैंसीस लाख, सन्तानवे हजार, चार सौ रुपए का प्रस्तुत किया गया है.

सभापति महोदय, यह सरकार चलाने की एक सामान्य प्रक्रिया है. सत्तापक्ष मांगेगा और विपक्ष को उनकी कमियाँ गिनाते हुए विरोध करना पड़ता है. आज जो हालात हैं वह बड़े गंभीर हैं. सबसे बड़ी बात तो यह कि यह हमसे समर्थन भी चाहते हैं और सत्ता को बहुमत के बल पर चलाना भी चाहते हैं. मुझे विधायक बने हुए 14 साल हो गए हैं. मैं समझता हूँ जितने भी अनुपूरक अनुमान बजट आए हैं या बजट आए हैं. आज तक सामान्य रुप से जाने वाली राशि के अलावा जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना की राशि कोई बजट में नहीं होती है. लोक निर्माण विभाग से मुझे इन 14 वर्षों में कोई भी सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं मिली है, इस तरह की स्थिति है. यह चीह्न चीह्न कर अपने लोगों को देते हैं. यह सरकार पूरे प्रदेश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है. केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का या भाजपाई...

श्री उमाशंकर गुप्ता--नहीं, नहीं रामनिवास रावत का नाम मैंने देखा है.

श्री रामनिवास रावत--जब वे मुझे देंगे तो मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा. अनुपूरक अनुमान में विशेष कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं. कुछ जिलों की सड़कें, कुछ जिलों की जल संरक्षण योजनाएं और कुछ जिलों में भवन कार्यों को लेकर विशेष कोई प्रावधान इसमें नहीं किए गए हैं. सभापति महोदय, प्याज खरीदी के लिए जरुर 580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है अगर और भी प्रावधान करते तो हम उसका पूरा समर्थन करते. कल ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं एक हजार करोड़ रुपए का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाउंगा. लेकिन जो बजट प्रावधान है जो अनुपूरक अनुमान है या तो मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि नौ हजार

साठ करोड़ रुपए का प्रावधान पहले के बजटों में किया गया है क्योंकि इस बार जो आपका अनुपूरक अनुमान है अनुपूरक बजट है इसमें मात्र और मात्र 40 करोड़ रुपए का मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्रावधान किया गया है. हमें खुशी होती हम हृदय से समर्थन करते कि वर्तमान में जो पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है और किसान भयभीत है, किसान दुखी है, किसान कर्ज के बोझ तले दब

1.05 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

करके रोज 6 किसान प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं. जिसकी परिणीति मंदसौर के गोलीकाण्ड से हुई, किसान आन्दोलन को दबाने के लिए, सरकार को गोलियाँ चलानी पड़ीं. उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री और यह सरकार किसान की कर्ज माफी के लिए प्रावधान करते तो हमारा दल हृदय से समर्थन करता और वह क्षण ऐसा होता, इसे पारित कराने के लिए कि शायद कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं करता. सभी सदस्य इसके समर्थन में खड़े होते.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसानों के बिजली के बिल माफ किए होते तो हम इसके समर्थन में खड़े होते क्योंकि कई बातें आतीं. माननीय कृषि मंत्री कहते हैं कि किसान की जमीन कुर्क नहीं होने देंगे, मकान कुर्क नहीं होने देंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं हम किसी भी किसान की जमीन कुर्क नहीं होने देंगे. मैंने परसों भी बताया, आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ किसानों के मकान की कुर्की करने के लिए, बिजली के बिल की वसूली करने के लिए, कुर्की आदेश चिपका दिए गए हैं. कुर्की की कार्यवाही शुरू कर दी है. मेरे यहाँ सहकारी बैंकों ने कुर्की करने के लिए तहसीलदार को प्रकरण भेज दिए हैं और तहसीलदारों ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिए हैं. इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती. उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी इसमें किसानों की लागत मूल्य का डेढ़ गुना उत्पादन मूल्य दिलाने की व्यवस्था करते या उसके लिए प्रावधान करते तो हम इसके लिए अपने तहे दिल से आपका बजट पारित कराने में सहयोग करते.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान आन्दोलन में गोली से किसान मरे उनके लिए आपने मुआवजा दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद. लेकिन जो किसान रोज रोज आत्महत्या कर रहे हैं कम से कम इनका परीक्षण तो करा लेते कि किन परिस्थितियों में ये आत्महत्याएँ कर रहे हैं, इनका परिवार कैसा है, इनके परिवार की स्थिति क्या है, इनके कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं और क्या बेसहारा माँ-बाप हैं कि नहीं हैं. कितना कर्ज है, कितनी जमीन गिरवी रखी हुई है. अगर इनको सहारा देने के लिए, इनको राहत राशि देने के लिए आप बजट प्रावधान करते तो हमें बड़ी खुशी होती.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राशि लें, राशि लेना आपका अधिकार है. सरकार चलाना है, प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पैसा आप लेते हैं, वह पैसा जनता के काम आए, जनता के लाभ में लगे, जनता को विकास के पथ पर ले जाए.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में, जो अभी प्रस्तुत की गई है, इसी सत्र में प्रस्तुत की गई है, इसी सत्र में मुझे मिली है, मैं उसकी तरफ जरूर ध्यानाकर्षित करना चाहूँगा और माननीय मंत्रियों से, माननीय पूरी सरकार से, यह अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जो रिपोर्ट है उनका अध्ययन जरूर किया करें और देखा करें कि उनकी स्थिति क्या है.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में कहना चाहूँगा कि इनका एक मिशन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, जो सहायता इन्हें 2012-13 से लेकर 2015-16 तक प्राप्त हुई है. इसमें 1,051.41 करोड़ रुपये की राशि मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई है. उसमें से केवल 945.18 करोड़ रुपये ही व्यय हुए हैं. यह महालेखाकार की रिपोर्ट में लिखा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2012 से 2016 के दौरान 945.18 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी राज्य के कुल किसानों में से केवल 2 प्रतिशत किसान ही इस योजना से लाभान्वित हो सके हैं. कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. आपको पूरे किसानों के विकास की बात सोचना चाहिए. इन योजनाओं से जहाँ आपका महालेखाकार यह रिपोर्ट दे रहा है कि आपकी योजनाओं से केवल 2 प्रतिशत किसानों को लाभ मिला है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती.

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत जिलों में धान के बुवाई क्षेत्रों में एवं गेहूँ के बुवाई क्षेत्रों में भी सतत् वृद्धि नहीं हुई क्योंकि बुवाई क्षेत्रफलों में पूर्व वर्ष की तुलना में 2014-15 में कमी आई है. दालों के उत्पादन में 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 22 प्रतिशत और 2014-15 में 14 प्रतिशत की काफी कमी आई है. यह कमी सूखे इत्यादि के कारण आई है. लेकिन आप बता रहे हों कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं लेकिन लगातार कमी आती जा रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आपको जो निधि प्राप्त हुई है.उसका उपयोग वर्ष 2015-16 में 64 प्रतिशत तक घट गया है. इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दूसरी नहीं हो सकती. इसी तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत विभाग ने एजेंसियों और कृषि उपकरणों की दर को निर्धारित नहीं किया किसानों को कृषि उपकरणों के क्रय में सहायता के परिणाम स्वरूप 261.81 करोड़ का अनियमित भुगतान किया है.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राशि प्राप्त करें इससे

हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन किस तरह से इस राशि का दुरुपयोग पूरे प्रदेश में हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि सघनता और विविधीकरण योजना, यह भी मध्यप्रदेश शासन की योजना है इसके तहत चना,अरहर, सरसों के बुआई क्षेत्र के प्रभाव को संकेतक के रुप में चिन्हित किया जाता है. वर्ष 2011-12 की तुलना में 2014-15 में चना एवं अरहर के बुआई क्षेत्र में क्रमशः 20 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक की कमी आई है. और 2012-13 की तुलना में 2014-15 में सरसों की बुआई क्षेत्र में 19 प्रतिशत की कमी आई है. फलों के क्षेत्र में 2.90 प्रतिशत और पौधारोपण के क्षेत्र में 7.31 प्रतिशत की कमी आई है और पीआईपी कृषि सघनता विविधीकरण में परिकल्पित सिंचाई क्षेत्र के लक्ष्य में 21 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य ने औसत 9 प्रतिशत से नीचे भेजा है. यह आपका पैसा मिल रहा है तो जा कहाँ रहा है. इस पैसे का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय-- यह आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- जी हाँ. यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट है इसके प्रति सबको चिंतित होना चाहिए और सबको चिंतन करना चाहिए. इसी तरह से बीमा योजना के बारे में दिया हुआ है कि बीमा योजना से भी सारे किसान कवर नहीं हुए हैं. बिजली के बिलों की बात करें तो मैं बिजली के बारे में भी यह कहूंगा कि रोज मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में, हाउस में और पूरे प्रदेश के विभिन्न मंचों पर भाषण देते हैं कि हम चौबीस घंटों बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री भी यही कहते हैं, प्रदेश के सभी विधायक कहते हैं. यह भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन का सार (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या1) पुस्तक में दिया है कि चूंकि कंपनी कार्य के मुख्य घटकों को ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि में पूर्ण नहीं कर पाई इससे सरकार द्वारा संकल्प 2013, जो आपने लिया था. वर्ष 2013 से ग्रामीण परिवारों को लगातार 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की प्रतिबद्धता पूर्ण नहीं की जा सकी. इसमें सरकार पूर्णतः असफल रही है और इन्होंने किया क्या है कि जो कंपनियाँ ठेके पर थी उनको एक जगह 23.34 लाख का अपरिहार्य भुगतान कर दिया गया और एक अन्य को 11.94 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया. इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं. कम से कम आप इन्हें तो देखें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों के उपार्जन की भी लगभग यही स्थिति है. किसानों का उपार्जन आप करते हैं वह अच्छी बात है. गेहूँ के बुवाई क्षेत्र में आपकी कमी आती जा रही है और आपके उपार्जन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि धान के स्टॉक में संचय एवं तदुपरान्त क्षतिग्रस्त होने के कारण 114.40 करोड़ की हानि हुई है. इसके

लिए कौन जिम्मेदार है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनावश्यक रूप से बारदाने खरीदने के लिए 176 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई है. इस तरह की स्थितियाँ मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट से देख लेना चाहिए. इसी तरह से लोक स्वास्थ्य की बात आती है. प्रश्नकाल में भी लोक स्वास्थ्य विभाग मंत्री ने काफी अपनी बातें कही. प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है यह किसी से छुपा नहीं है.सीएजी की रिपोर्ट में इस विषय में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं में से 47.27 लाख की एचआईवी जाँच तथा 60.34 लाख की वीडीआरएल जांच नहीं की गई थी.स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम के अंतर्गत जनसंख्या के मानदंड के विरुद्ध 2588 उप स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है जो 22 प्रतिशत है. 828 पीएचसी की कमी है जो कि 41 प्रतिशत है तथा 153 सीएचसी (सिविल हेल्थ सेंटर) की कमी है जो 31 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है. इस तरह से अप्रैल 2016 की स्थिति में राज्य में कुल 1172 पीएचसी में से 503 पीएचसी बिना चिकित्सकों के क्रियाशील है वहाँ कौन इलाज कर रहा है. आप पैसा तो लेते जा रहे हैं लेकिन प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कर रहे हो? इसी तरह से जो आपका पैरा मेडिकल स्टाफ है उसमें प्रयोगशाला तकनीशियन तथा फार्मासिस्ट क्रमशः 525 एवं 312 पीएचसी पर पदस्थ नहीं थे. चयनित जिलों की 96 सिविल हेल्थ सेंटर में स्वीकृत 346 विशेषज्ञों में से केवल 13 विशेषज्ञ ही उपलब्ध थे. इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है. मैं चित्रण नहीं कर रहा हूँ. यह भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार है. आईसीडीएस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 से 2016 के दौरान दर्ज छः माह से तीन वर्ष की आयु समूह के 20.94 लाख बच्चे, तीन वर्ष से छः वर्ष की आयु समूह के 57.02 लाख बच्चे तथा 7.99 लाख गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जा सका है. सरकार पूरी तरह से पोषण आहार प्रदान करने में विफल रही है. इससे लगातार कुपोषण के कारण नवजात शिशुओं की, जो इस देश का भविष्य बन सकते थे उनकी मौत होती जा रही है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जरूर कीर्तिमान स्थापित किए हैं. मैंने भ्रष्टाचार के प्रकरण भी बताए हैं. चिकित्सा शिक्षा में शासकीय मुद्रणालय के फर्जी बिल सत्यापन पत्रों का प्रमाणीकरण सील एवं हस्ताक्षर का उपयोग करके एमवाय अस्पताल, इंदौर एवं जयारोग्य अस्पतालों के समूह ग्वालियर द्वारा निजी मुद्रणालयों को राशि 79.50 लाख रूपयों का अनियमित भुगतान किया गया. इस तरह के कई प्रकरण हैं. यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किस तरह से राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है. कई बार बात आयी. व्यापम घोटाला हुआ, सिंहस्थ घोटाला हुआ. सिंहस्थ घोटाले में बड़ी वाहवाही लूटी गई और सिंहस्थ घोटाले के उस समय

जो प्रभारी थे उनको धन्यवाद दिया गया. उनको पुरस्कृत भी किया गया कि आपने बहुत ईमानदारी से काम करके बहुत अच्छा काम किया है. इस सिंहस्थ घोटाले के प्रभारी श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया थे, जो बाद में कटनी नगर निगम के कमिश्नर बनाए गए. श्री कथुरिया 50 लाख रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए. यह किसके चहेते थे, किसने पुरस्कार दिया, किसके रिश्तेदार थे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है. कल ही हमारे नेता जी ने बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम के जीएम श्री सोनी जी खुले आम किस तरह पांच लाख रूपए की रिश्वत ले रहे हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से सरेआम ऑफिसों में रिश्वत मांगी जा रही है. प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह है. मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि प्रदेश में बीपीएल की जनसंख्या कम करने के लिए, जैसा कि कहा गया लगातार पूरे प्रदेश के जिलों में बीपीएल सूची से नाम काटे गए हैं. मेरे जिले में लगभग अठारह हजार नाम काटे गए हैं. मेरे ही प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि कुपोषण के कारण 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक के 75 बच्चे प्रतिदिन काल के गाल में कलवित हो रहे हैं. 75 बच्चे जो इस प्रदेश का भविष्य बन सकते थे, कुपोषण के कारण रोज मौतें हो रही हैं. किसान आत्महत्या की बातें रोज हो रही हैं. छात्र आत्महत्याओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं. महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं. 13 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार किया जा रहा है यह मेरे परसों के प्रश्न के उत्तर में ही माननीय गृहमंत्री जी का जवाब था और दो महिलाओं के साथ रोज सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती. 90 महिलाएं इस प्रदेश में रोज गायब हो रही हैं मात्र 15 या 20 प्रतिशत महिलाओं का ही पता लग पाता है बाकी महिलाओं का पता लगाने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है. आज हम पूरे देश में आपराधिक मामलों में राष्ट्र में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. यह भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार आप अच्छे काम करें, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है. आप विज्ञापनों में खूब खर्च करते हैं. नर्मदा यात्रा में भी आपने खूब खर्च किया. नर्मदा बचाओ में, नर्मदा नदी ही नहीं, प्रदेश की सारी नदियों का संरक्षण किया जाना चाहिए. उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन जितने विज्ञापन आपने दिए, जितनी राशि खर्च की और विदेशों में भी आपने इसके पोस्टर और प्रचार-प्रसार की सामग्रियाँ लगाईं, अगर उसके बजाय नर्मदा नदी में थोड़ा-सा स्नान करके उसको शुद्ध करने का संकल्प लिया जाता. तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लाभ प्रदेश की जनता को हो सकता था.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, वर्ष 2003 से पूर्व जब शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी तो उस समय यह व्यवस्था थी कि हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश से पास किया हुआ मांगते थे, हम मूल निवासी प्रमाण-पत्र भी मांगते थे, रोजगार कार्यालयों में जीवित पंयीयन की भी शर्त होती थी कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है, लेकिन आपने तो उसे स्वतंत्र कर दिया, आपके स्वतंत्र करने के बाद मध्यप्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा आज शासकीय सेवा प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं. आपकी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्थाएं उचित नहीं हैं, यदि दूसरे राज्यों से तुलना की जाए तो हमारे राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, कम्पीटीशन के मामले में दूसरे राज्यों के बच्चों की तुलना में हमारे बच्चे नहीं ठहर पाते, जिसके कारण राज्य से बाहर के 60 से 70 प्रतिशत बच्चे हमारे यहां शासकीय सेवा में आ रहे हैं, हमारे केवल 30 से 40 प्रतिशत बच्चे ही प्रतियोगिताओं में स्थान बना पा रहे हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप वित्त मंत्री हैं, पैसे आप देते हैं, खजाने के मालिक आप हैं, कम से कम आप यह तो देख लिया करें कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा किस ढंग से खर्च हो रहा है ? उसका सही तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं ? कैसे पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार निर्बाध रूप से चल रहा है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि आपराधिक मामलों में जहां मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है, वहीं मध्यप्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में एक नंबर पर पहुँचने से बचाओ, अभी तो यह तीसरे नंबर पर है. एक संस्था सर्वे करती है, उस सर्वे के अनुसार मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में तीसरे नंबर पर है. जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको इनाम दें, सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना करें, उन्हें पुरस्कृत करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आपके अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कम से कम उन्हें संरक्षण तो न दें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुमान की मांगों का आंशिक समर्थन करता हूँ, मैं केवल तीन चीजों का समर्थन करता हूँ, पहला, प्याज खरीदी के लिए जो बजट प्रावधान किया है, दूसरा, किसानों हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए जो बजट प्रावधान किया है, तीसरा, किसानों के लिए ऊर्जा हेतु जो सब्सिडी देने का बजट प्रावधान किया है, लेकिन ऊर्जा विभाग भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री माननीय श्री जयंत मलैया जी द्वारा वर्ष 2017-2018 के लिए जो पांच हजार बावन करोड़, तिरपन लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ रुपये का प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री रामनिवास रावत जी को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, उनके पूरे भाषण में दोहरी मानसिकता झलक रही थी, वे अपने प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, उन्हें कहीं आपत्ति हो रही थी, और कहीं आपत्ति नहीं हो रही थी, कहीं समर्थन हो रहा था, कहीं विरोध हो रहा था.

श्री रामनिवास रावत -- उपाध्यक्ष महोदय, हम किसानों के लिए समर्थन करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते.

श्री उमाशंकर गुप्ता -- उपाध्यक्ष महोदय, रामनिवास रावत जी जब मंत्री थे तो भी बड़े न्याय की बात करते थे और जब सरकार में इनकी नहीं सुनी गई तो बंदूक लेकर बीहड़ में उतरने की धमकी भी इन्होंने दे दी थी. (हंसी)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- मैं रामनिवास रावत जी से जानना चाहूँगा कि बहिर्गमन की स्थिति आएगी तो आधा बहिर्गमन करेंगे कि पूरा करेंगे.

कुँवर विक्रम सिंह -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सदन में व्यवधान पुरुष नहीं हैं तो यह पुरस्कार आज गुप्ता जी को दे दिया जाए.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनुपूरक बजट पुस्तिका के पन्नों को पलटने की कोशिश की है.सम-सामयिक स्थितियां, परिस्थितियां, तात्कालिक परिस्थितियां, प्रदेश में उठी हुई मांगें, वे बातें, जिनको तत्काल प्रभाव से अनुपूरक बजटों में समाविष्ट किया जाना चाहिये. मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता होती है और आदरणीय रावत जी ने प्याज को लेकर के जो कुछ घटनाक्रम अभी प्रदेश में हुआ है, प्याज को लेकर के हा-हाकार मचा हुआ था. मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट में उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, आपने उन विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया, जिसकी वास्तव में महत्ती आवश्यकता थी. पूरे देश में जीएसटी को लेकर के चर्चा है. केंद्र शासित जीएसटी और राज्य शासित जीएसटी. अगर हम देखेंगे, तो मद क्रमांक 54,55,62,63 एवं 110, इनमें क्रमशः 5400, 800 एवं 4700 का प्रावधान, चूंकि आवश्यकता है. जिस प्रकार से प्याज की खरीदी को लेकर के और रावत जी ने समर्थन दिया, मैं समझता हूं कि उसी प्रकार से इस अनुपूरक बजट में राज्य जीएसटी को, वस्तु एवं सेवा कर को लेकर के

संग्रहित तात्कालिक आवश्यकता जो प्रतीत हो रही थी, उसको समाविष्ट किया है, उसके लिये मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. रावत जी ने एक बात और कही थी कि चीह्न-चीह्न कर दिये जाने की. मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था. मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें हमारे जिले में 4 विधान सभा क्षेत्रों में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के समर्थन में और 1 सुवासरा हरदीप सिंह डंग जी कांग्रेस के समर्थन में हैं. मेरे विधान सभा क्षेत्र से यह लगता हुआ है. कोई भेदभाव नहीं है. मैं इसलिये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अभी हरदीप सिंह जी यहां नहीं हैं और न मैं अखबारों की कोई कतरन लेकर के आया हूं. लेकिन समय समय पर जब सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में ऊर्जा का मामला आता है. जब सिंचाई की योजनाएं गांधी सागर से चलकर के सुवासरा, सीतामऊ तक आ जाती हैं, तो विपक्ष के विधायक, हरदीप सिंह जी डंग स्थानीय समाचार पत्रों में उनके द्वारा किये गये प्रयासों को जरुर उल्लेखित करते हैं और जो योजना आती है, उसका धन्यवाद भी देते हैं. लेकिन उसमें डंग जी जो पक्षपात करते हैं, वह मैं बताना चाहूंगा. सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का या जो विभागों से प्राप्त योजनाएं उनकी विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, उनका फोटो विज्ञापनों में नहीं होता है. न मुख्यमंत्री जी का होता है और न संबंधित विभाग के मंत्री जी का होता है. लेकिन हां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जरुर उसमें फोटो होता है. मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि पूरे मंदसौर जिले में जो योजनाएं आती हैं, वह सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में भी आती हैं. मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं. अगर एनटीपीसी का रुड़ीजा में 250 मेगावॉट का कोई प्रोजेक्ट यदि प्रचलन में है,तो हरदीप सिंह जी उसका निरीक्षण भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं और उसका विज्ञापन भी देते हैं. मैंने कहा कि सिंचाई योजन अगर गांधी सागर से चलकर के प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना मंदसौर जिले के सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के कयामपुर, सुवासरा, श्यामगढ़ आदि क्षेत्रों में आती है, तो उसका वे बखान भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन वे बुझे मन से धन्यवाद देते हैं. अनुपूरक बजट में मध्यप्रदेश ..

श्री रामनिवास रावत -- यह बुझा मन क्या होता है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- बुझे मन से यानि हल्के मन से. कंजूसी के साथ.

श्री उमाशंकर गुप्ता -- रावत जी, जैसे आप सरकार के विरोध में बोलते हैं, सब जानते हुए भी जो बोलना पड़ता है, उसे कहते हैं बुझे मन से.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- खुल करके नहीं. जैसे आप खुलकर बोलते हैं, उस प्रकार से सब खुल करके प्रशंसा नहीं करते हैं. उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश व्यापार संवर्द्धन मंडल

का जो गठन किया गया है, नित नई योजनाएं व्यापार के संवर्द्धन को लेकर के, नवाचार को लेकर के, नवीनीकरण योजनाओं को लेकर के मैं समझता हूं कि 50 लाख रुपये का जो इसमें प्रावधान किया गया है, इसकी महत्ती आवश्यकता हो रही थी, उसकी पूर्ति की गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना में प्रतिपूर्ति के लिये सरकार ने यदि कोई निर्णय किया हो और उसका भुगतान यदि कम्पनी को करना हो, फिर चाहे पश्चिम क्षेत्र विद्युत कम्पनी हो सकती है, मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी हो सकती है, अन्य कम्पनियां जो हमारी हैं, उसमें 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को निशुल्क विद्युत प्रदाय किये जाने को लेकर के ...

उपाध्यक्ष महोदय -- यशपाल सिंह जी का भाषण जारी रहेगा. सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित.

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

03.12 बजे (डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह (उपाधायक्ष महोदय)पीठासीन हुए.

उपाध्यक्ष महोदय -- वित्त मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहते हैं.

<u>मंत्री का वक्तव्य</u>

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में अपना वक्तव्य देते समय मध्य धनराशि 5 हजार 92 करोड़ रूपये का उल्लेख किया था जिसमें श्री रामनिवास रावत जी ने और श्री बाला बच्चन जी ने कहा था कि इसमें फर्क है यह 5 हजार 59 करोड़ रूपये प्रथम अनुपूरक की कुल राशि है, जो वोटिंग होता है वह मतदेय राशि पर होता है इसलिए उसी का उल्लेख किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय -- शुक्रवार को अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत हैं.अत: अब अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे.

अशासकीय संकल्प

मध्यप्रदेश के कई जिलों में प्रचलित " ऐरा प्रथा " को समाप्त किया जाना

श्री शंकरलाल तिवारी (सतना) -- अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करताहूं कि - सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में प्रचलित ऐरा प्रथा को समाप्त किया जाय.

उपाध्यक्ष महोदय -- संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री शंकरलाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, लगभग एक वर्ष से मैं इस प्रयास में था कि ऐरा प्रथा कि चर्चा और इस पर यह संकल्प विधान सभा में आये और सरकार इस संबंध में कुछ न कुछ निश्चित रूप से कार्यवाही करे. प्रदेश की सरकार ने कृषि के लिए, और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए जितने उपाय किये हैं वह सच में ऐतिहासिक हैं और उससे कृषि के प्रति जो आकर्षण समाप्त हो गया था, पिछले 10 - 12 वर्षों में अन्यान्य प्रकार के जो प्रयास किये गये बिजली उत्पादन का, बिजली की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता और इसके साथ ही साथ खाद बीज की उपलब्धता, बिना ब्याज का ऋण इन तमाम बातों से किसानी का आकर्षण बढ़ा है. लेकिन इस सबके बावजूद मेरे विंध्य क्षेत्र में विशेषकर रीवा शहडोल संभाग में परिस्थिति भिन्न है. मैं मंत्री जी से, सरकार से इस संकल्प के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूरे मध्यप्रदेश की कल्पना न करके अकेले सागर संभाग और रीवा संभाग, शहडोल संभाग पर विचार करें तो आप देखेंगे कि हमारे यहां आवारा पशु जो ऐरा प्रथा के नाम से जानी जाती है, ऐसे पशु जो दुधारू भी हैं, बिना दुधारू भी हैं, पालतू भी हैं, गैर पालतू भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल आवारा हैं जिनका कोई धनी-धोरी नहीं है, परंतु कुछ ऐसे पशु हैं जिनको मध्यम परिवार, अति मध्यम परिवार, गरीब परिवार जो पशुओं को पालता है, सवेरे उन्होंने उसने दूध तो लगा लिया और फिर उनको छोड़ दिया. कुछ ऐसे भी हैं कि जब तक उसने दूध दिया तब तक उसे बांधे रहे और उसके बाद उसे छोड़ दिया.

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि मेरे संभाग में, मेरे क्षेत्र में बोवाई ही नहीं हो रही है, हजारों एकड़ जमीन मेरे यहां बोवाई से वंचित है. किसान मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है खेती छोड़कर, परंतु वह बोवाई नहीं कर पा रहा है. शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, जब हम बोवाई ही नहीं कर पाएंगे, हमारी सिंचित जमीन पड़ती पड़ गई है और हम वर्षों से उसको बो नहीं पा रहे हैं, बोते हैं तो हमारा बीज भी लौटकर वापस नहीं आता और उसमें प्राकृतिक आपदा तो है पर विंध्य क्षेत्र को अलग से देखने की बात जब मैंने सरकार से चाही इस संकल्प के माध्यम से, तो इसके पीछे भाव यह है कि ओला, पाला, सूखा, अतिवृष्टि, गेरुआ, इल्ली इन सब पर तो आपने खूब सारी व्यवस्थाएं की हैं, अभी फसल बीमा योजना भी बहुत लाभकारी

ढंग से केन्द्र की सरकार लाई है परंतु जब हमारे यहां इस स्थिति में प्राकृतिक विपत्तियों के अलावा सबसे बड़ी विपत्ति, इन प्राकृतिक विपत्तियों से तो हम किसी तरह से जूझकर आगे भी बढ़े तो जब हम बो ही नहीं पा रहे हैं, हमारी बोवाई ही नहीं हो पा रही है, इसलिये मैंने यह संकल्प रखा है और इस संकल्प से मेरी अपेक्षा है कि यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता बिना सरकार के और बिना समाज के. जहां एक ओर कृषि विभाग, पशु-पालन विभाग और पंचायत विभाग ये तीनों विभाग मिलकर पूरे संभाग में, पूरे क्षेत्र में इस समस्या को किसानी की ज्वलंत समस्या मानकर उसके लिये जन-जागरण चलाएं. ग्राम सभाओं के माध्यम से, अन्यान्य माध्यमों से और यह बात सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आवारा पशु, यह पशु की समस्या नहीं है, यह किसान की पेट की समस्या है, यह किसान के उत्पादन की समस्या है. यह मध्यप्रदेश के उत्पादन की समस्या है उस संभाग की दृष्टि से, इसके लिये जहां एक ओर ग्राम सभाएं और अन्यान्य प्रकार के कार्यक्रम चलाकर जन-जागरण करें, कमेटिया बनाएं गांव-गांव में जो ऐरा प्रथा को रोकने का काम करें वहीं सरकार की ओर से किसी न किसी प्रकार से कुछ पाबंदियां लगानी चाहिये, कुछ नियम-कानून बनाने चाहिये, कुछ नीति अपनानी चाहिये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में कांजी हाऊस की प्रथा चलती थी. कांजी हाऊस की प्रथा पूरी तरीके से हमारे यहां तहस-नहस हो चुकी है. अब न कहीं कांजी हाऊस है , न उसका कोई रजिस्टर है और न उसकी कार्यवाहियां होती हैं. मैं कह रहा हूं कि कांजी हाऊस का पुराना प्रकल्प था, उसको किन कारणों से खत्म किया गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता. आज की आवश्यकता के अनुरूप पिछले समय और भी कई विषयों पर जब खेती पर चर्चा हुई है तो यह बात आई है कि दो पंचायत, तीन पंचायतों के बीच में शासकीय जमीन को आरक्षित करके गौ-अभ्यारण्य जिसमें कांजी हाऊस भी प्लस रहे, कांजी हाऊस प्लस गौ-अभ्यारण्य रहे, क्योंकि आज समस्या यह है कि बहुत सारे पशु आप कांजी हाऊस में बांध लो, कोई छुड़ाने नहीं आने वाला है और नहीं छुड़ाने आते. ऐसे पशुओं को गौ-अभ्यारण्य में रख लिया जाये, परंतु जो पशु फसलों का नुकसान करते हैं उनको कांजी हाऊस की व्यवस्था दी जाए, उनको कांजी हाऊस में रखा जाये ताकि किसान को उसका खर्च कम पड़े और कांजी हाऊस का खर्च निश्चित रूप से सरकार, कृषि विभाग अपने खर्च से, अपने बजट से करे, क्योंकि ये तमाम सब्सिडियों से यह बड़ी सब्सिडी होगी, अगर मेरे विंध्य क्षेत्र में ऐरा प्रथा पर किसी भी तरह से रोक लग जाएगी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सब मामले में जहां गौ-अभ्यारण्य बनाएं जाएं और जहां पर उसमें कांजी हाऊस भी प्लस किया जाए, अभी एक नये-नये

आयाम आए हैं उसमें यह साबित हुआ है कि गोबर से जैविक खेती की तरफ भी मध्यप्रदेश का और मध्यप्रदेश के कृषि मंत्रालय का जोर है. मेरा कहना यह है कि इसमें एक पॉजिटिव प्रयास यह होगा कि गांव के किसान का गोबर यदि हम उस जगह ही जाकर खरीदने की कोई व्यवस्था ब्लॉक से या पंचायतों के बीच में दो-दो, तीन-तीन पंचायतों में कर सकें तो मैं सोचता हूं कि किसान भी अपने जानवरों को छोड़ेगा नहीं. यदि उसे लगेगा कि गोबर से मुझे आमदनी हो सकती है, यदि उसे लगेगा कि गौ-मूत्र से मुझे आमदनी हो सकती है, उसका कलेक्शन यदि शासन अन्यान्य प्रकार से कर सके, जिस ढंग से अभी कुछ प्राइवेट लोगों ने हमारे यहां शहरी क्षेत्र में किया है, अगर ग्रामीण अंचल में पंचायत स्तर पर गोबर का कलेक्शन हो तो उससे किसान को फायदा भी होगा. जैविक खेती के लिए और अन्य गोबर से जो भी कार्य हो रहे हैं, उनके लिए गोबर भी मिलेगा और किसान भी उसे बांधेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि विन्ध्य क्षेत्र में दूध कलेक्शन का काम, दुग्ध उत्पादन का काम बहुत पीछे है. आप मेरे संभाग से हैं, मेरे संभाग के बड़े नेता हैं. आप भी देख रहे हैं कि हम विन्ध्य प्रदेश, मध्यप्रदेश के साथ जुड़े हुए तो जरूर हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने योजनाएं बड़ी-बड़ी बनाई है, परन्तु हमारा दामन ही इस लायक नहीं है कि हम उन योजनाओं को अपने आंचल में समेट सकें. दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अगर हमारे संभाग में ऐरा प्रथा को लक्ष्य रखते हुए काम किया जाय और अच्छी नस्ल की गायें और जानवरों को दुधारू बनाने के लिए जो भी चिकित्सकीय उपलब्धता है उसको और सघन ढंग से उसके प्रति आकर्षण बढाया जाय तो निश्चित रूप से किसानी भी फायदे का धंधा बनेगी और यह ऐरा प्रथा के कारण जो प्रकृति से भी ज्यादा बड़ी विपत्ति है, जिस पर सरकार की नजर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यह हमारे 2-3 संभागों की ही बड़ी विपत्ति है. अन्य संभागों में बड़ा किसान है, क्षमा करेंगे. उपजाऊ जमीनें हैं और इस नाते वे वहां पर व्यवस्था बना लेते हैं परन्तु हमारे यहां छोटे-छोटे रकबे हैं, छोटे किसान हैं और हमारे यहां की जमीन भी उतनी उपजाऊ नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमें बाण सागर तो दिया. बाण सागर के कारण हमको सिंचाई रीवा में मिली, शहडोल में मिली, सीधी में मिली, सतना में हमें टेल ही मिली, पूंछ ही मिली, परन्तु जो मिली, वह मिली. बरगी से उम्मीद है कि शायद हमें और कुछ मिल जाय? परन्तु इस सबके बावजूद बाण सागर का पानी मिलने के बाद भी इस ऐरा प्रथा के कारण हमारे यहां के किसान तीसरी फसल लेने के लिए मोहताज है. दो फसल ही नहीं बो पा रहे हैं. हमें आप पानी दे रहे हो. इस बार जब हम गांव में राजनीतिक व अन्य कामों से गये तो कुछ किसानों ने

हिम्मत की मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपके ही जिले में मूंग की फसल बोने की. इस बार अपने कुछ जिलों में कुछ लोगों ने मूंग बोई भी है और पैदावार भी हुई है. लेकिन यह ऐरा प्रथा के कारण मेरे यहां गेहूं, धान, अरहर, उरदा की खेती नहीं हो पा रही है. हम हॉर्टिकल्चर, फल, फूल, सब्जी, किराना इस मामले में कहां से सोचे, जब हमारी हजारों एकड़ जमीन, किसान की सिंचित जमीन परती पड़ी हुई है? वह बोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है. मैं विनती करूंगा कि कांजी हाऊस और गौ अभ्यारण्य सिर्फ पशुओं के लिए ही न सोच कर कि यह तो पशुओं का विषय है, इसको हम आगे करेंगे, इससे हम बहुत पीछे हो गये हैं. आगे हम कृषि में पीछे न हो पाएं, इसलिए ऐरा प्रथा के लिए शासन भी नियम बनाएं, विभाग भी नियम बनाएं और पशु चिकित्सा विभाग, पंचायत विभाग और कृषि विभाग इसमें संयुक्त रूप से कोई नीति तैयार करें. आवश्कता हो तो मैं तो कहूंगा कि आपकी ही उपस्थिति में रीवा संभाग के अन्य विधायकों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में इस पर एक दो बार और चर्चा हो, कोई समिति बनावा दीजिए और इस ऐरा प्रथा को हमारे यहां से नष्ट करने के लिए कदम बढ़ाइए. मुझे इतना ही कहना है मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि डेढ़-दो साल बाद यह संकल्प लगा है. इसमें कुछ न कुछ आपका भी संरक्षण हमें मिलेगा और इसमें कहीं आगे बढ़ पाएंगे.धन्यवाद.

श्री केदारनाथ शुक्ल (सीधी) - उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐरा प्रथा बहुत व्यापक रूप ले रही है. विन्ध्य क्षेत्र में विशेषकर जिसे हम बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड ऐसा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं. यहां पहले गर्मी के दिनों में चैत्र की फसल जब कट जाती थी, चैत्र की फसल कटने के बाद आसाढ़ की फसल की बोनी जैसे ही शुरू होती थी, इस समय में जो खाली समय होता था, जिसमें पहले वहां केवल दो फसली खेती होती थी तो ऐसे समय में पशु खुले छोड़ दिये जाते थे. पशुओं के इसी खुला छोड़ने को उस समय ऐरा प्रथा कहा जाता था. माना जाता था अब ऐरा हो गया और जैसे ही आसाढ़ की खेती में फसल ऊपर आने लगती थी तो कहते थे कि अब लाठी उठ गई अर्थात् पशु अब बंद कर दिये जाएंगे. इसमें में भी शुरु में दो भेद थे. पहला खेती और पाती. खेती माने कृषि से संबंधित जितनी बातें हैं. पाती माने बगिया मतलब हार्टिकल्चर. उस समय पाती वालों पर पशुओं का टेग होता था तो उसे सामाजिक रुप से आपत्तिजनक माना जाता था. समाज के लोग पशु पालकों से कहते थे कि इसे बगिया में मत जाने दो. ऐसे ही हमारे कुशवाह समाज के और लोग जो बगिया लगाते थे, सब्जी लगाते थे तो उनको उस समय भी **ऐरा** में हर्जाना दिलवाते थे. लेकिन यह ऐरा प्रथा जितना व्यापक रुप इस समय ले रही है, ऐसा पहले नहीं था. आज तो बारहों महीना ऐरा हो गया. बारहों महीना इसलिए ऐरा हो गया कि आज पशुओं के चारे की समस्या है. मध्यप्रदेश में

सागर,रीवा और शहडोल सबसे अधिक पशुधन वाले संभाग हैं. उसके बाद जबलपुर है. इन संभागों में चारे की कमी आयी. चरनोई की कमी तो हो ही गई. चरनोई की जमीनों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए. परिस्थिति यह बन गई कि पशुओं के चरने के लिए जगह नहीं है. जंगलों में जहां कहीं पशुओं को रोक दिया गया वहां प्लांटेशन शुरु हुए. इन परिस्थितियों के कारण आज पशुपालन बड़ा कठिन हुआ है. पशुओं को कोई खरीद भी नहीं रहा है.

उपाध्यक्ष जी, मैं एक विस्फोटक बात आपको बताऊं कि लोग ट्रकों में पशुओं को भरते हैं और अपने गांव से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ देते हैं. अच्छे-अच्छे नस्ल की गायें, अच्छे नस्ल के बैल, सांड ये सब घूम रहे हैं और उनको घूमने को ही कहते हैं कि ऐरा घूम रहे हैं मतलब आवारा घूम रहे हैं. आवारा और ऐरा मिलता-जुलता शब्द है. आज परिस्थिति यह है कि किसान परेशान है. कांजी हौस की प्रथा बंद नहीं है. पंचायतों को कांजी हौस बनाने की अभी भी इजाजत है. नगर पालिका, नगर निगमों को अभी भी कांजी हौस बनाने की इजाजत है लेकिन कांजी हौस में भी चारे की उपलब्धता तय नहीं कर पा रहे हैं. पशुओं के आहार की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं. परिणाम पशु को मरना है तो उन्होंने कांजी हौस ही बंद कर दिए. कांजी हौस में रखना ही बंद कर दिया. ऐसी परिस्थिति में किसान बारहों महीने चौबीसों घंटे अपने खेत के चारों तरफ घूमता रहे. आप जानते हैं कि चकबंदी है नहीं. एक खेत यहां है तो दूसरा खेत 2 किलोमीटर दूर है. तीसरा खेत कहीं और है. जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े उसमें भी चकबंदी नहीं. किसान कितनी जगह पर लाठी लेकर पशुओं को ताकें. ऐसी स्थिति में सारे पशु आवारा घूम रहे हैं. इसकी व्यवस्था के लिए बातें की जा सकती हैं जैसे इस समय मध्यप्रदेश ने जैविक खाद के मामले में, जैविक खेती के मामले में अगुवाई की है. जब प्रदेश ने इसकी अगुवाई की तो जैविक खाद लोगों ने गांव में बनाना शुरु किया. छोटे छोटे किसानों ने भी बनाना शुरु किया. लेकिन हमारे सरकारी विभाग इस मामले में इतनी बुरी तरह से रोड़े अटकाना शुरु किए हैं. हमारे कृषि मंत्री जी भी नहीं है. शायद कृषि विभाग के अधिकारी भी नहीं होंगे. अभी जो कार्बनिक खाद जैविक खाद को खरीदने की बात चली. अगर कोई छोटा प्लांट डाल रहा है तो उसकी खाद खरीदने से रोक दी गई. जिसकी 4 करोड़ रु से ऊपर की पूंजी होगी केवल उसी प्लांट का मालिक कहीं जैविक खाद बेच सकता है. लोग गोबर से खाद बना ले और उसको बेचे और उससे कुछ फायदा कमाये उन्हें बनाने की छूट खत्म क्योंकि सरकारी विभाग उसे खरीदेगा नहीं. सार्वजनिक रुप से उन्हें बेचने की अनुमति नहीं . मध्यप्रदेश में गुणवत्ता के नाम पर यह बड़ी विस्फोटक स्थिति है.

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. 4 करोड़ रु से अधिक पूंजी वाला कार्बनिक खाद बनाने वाला वही केवल खाद की सप्लाय कर सकता है. मध्यप्रदेश में यह बड़ी विरोधाभासी स्थिति आयी है. मैं मध्यप्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मामले में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग या जिन लोगों ने भी इस तरह का नियम बनाया है इस नियम को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए. यह नियम पशु पालकों के लिए और गोबर से जैविक खाद बनाने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा अभिशाप है. इस नियम को तत्काल तोड़ना चाहिए. छोटे-छोटे किसानों को भी इस मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए.

मैं आपसे निवेदन करूं, हम लोग गये थे, कृषि विकास समिति के दौरे पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,वहां एक ज्वाइंट डायरेक्टर साहब वेटेनरी के आ गये. उनसे हमने पूछा ऐसे ही वे बोले मैं यहां आता-रहता हूं बच्चों को पढ़ाता हूं. मैंने उनसे पूछा आप पंचगव्य के बारे में जानते हैं, वे बोले क्या होता है पंचगव्य.वेटेनरी के डाक्टर को पंचगव्य की जानकारी नहीं. भारत के इतिहास में,भारत की सांस्कृतिक स्थिति में जिस ज्वाइंट डायरेक्टर को पंचगव्य की जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही हम वहां से निकले तो वहां के कुलपति जी ने मुझसे कहा कि चलिये मैं आपको अपनी पंचगव्य की यूनिट दिखाने ले जाता हूं. हम वहां गये. वहां गौमूत्र का परिशोधन हो रहा था,वहां गोबर वगैरह से पंचगव्य भी बनवाया जा रहा था. हमने ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को ढुढंवाया तब तक वे कहीं चले गये थे. स्थितियां यह है कि जो यहां पंचगव्य की यहां कल्पना थी और पंचगव्य प्रत्येक परिवार के उपयोग के लिये होता था. अगर हम पंचगव्य को रोग निदान के मामले में उपयोग करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आज बाबा रामदेव गौमूत्र को गौधन के रूप में बेचकर करोड़ों,अरबों रुपये कमाते हैं. अगर यही गौधन अर्क गांव में देशी गाय से पैदा किया जाये और सबसे बड़ी बात यह कि देशी गाय की नस्ल सबसे ज्यादा हमारे रीवा,सागर और शहडोल संभाग में है. सबसे अधिक पशुध नऔर सबसे अधिक देशी गायों की नस्ल हमारे यहां है. उन देशी गायों की नस्लों को देशी गायों की नस्लों से क्रास करके उनको हम दुधारू पशु के रूप में बना सकते हैं. दुर्भाग्य यह है कि सबसे अधिक पशु धन वाला हमारा क्षेत्र आज दूध के मामले में सबसे पीछे है. दूध उत्पादन यूनिट लगाकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है. जब किसान प्रोत्साहित होंगे तब वे अपनी गायों को पालेंगे. चारा पैदा करने के लिये भी हमें कोशिश करनी होगी क्योंकि बिना चारा के,बिना पशुओं को पालना संभव नहीं है और इस नाते खेतिहरों को,हार्टीकल्चर वालों को,यहां तक कि वन विभाग को भी पशु चारे की पैदावार की ओर ध्यान देना होगा और जब हम पशु चारे की ओर ध्यान देंगे और ऐसा चारा पैदा करेंगे जो दूध देने वाले पशुओं के लिये उपयुक्त

है,जो सामान्य पशुओं के लिये उपयुक्त है तो निश्चित रूप से हमारा पशु धन धन की श्रेणी में आयेगा. आज उस पशु धन को लोगों ने खुल्ला छोड़ दिया है. ले जाओ जिसको ले जाना है. ये परिस्थितियां हैं. इस परिस्थिति में हमें पशु धन को हमें संरक्षित भी करना पड़ेगा,सुरक्षित भी करना पड़ेगा और उससे हमारी खेती भी सुरक्षित होगी.जब खेती सुरक्षित होगी तब हम शेष प्रदेश के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे. आज हम गेहूं,चावल जरूर पैदा कर रहे हैं लेकिन विन्ध्य का क्षेत्र कई जींस पैदा करने वाला है. जींस हमारा बघेली का शब्द है अंग्रेजी के जींस में मैं नहीं जा रहा हूं. हमारे यहां दलहन भी कई तरह की दालें हैं,हमारे यहां तिलहन में भी कई तरह की फसलें हैं,हमारे यहां गेहूं,चावल में भी कई तरह की फसलें, चावल में तो इतनी वेरायटीज हमारे यहां थीं कि कहते थे कि गिन लो,ब्राह्मणों की संख्या थोड़ा एक ज्यादा हो गई है धान की कम हो गई है.कुल मिलाकर हमारे यहां के वे सारे जींस समाप्त हो रहे हैं.हमारे यहां पशु धन को आवारा कर दिया गया है. इन परिस्थितियों में पशु धन को हम कैसे रोक पाएंगे इस पर जब हम उपाय करने का सोचेंगे तो हमें रचनात्मकता की ओर बढ़ना पड़ेगा. हमें गोबर से,केचुंए से जो भी हमारी कार्बनिक खाद है उसको बनाने की छूट देनी पड़ेगी. बनाने का प्रशिक्षण देना पड़ेगा. बनाने का प्लांट देना पड़ेगा. उसके बाद उसके लिये बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा. अगर यह शर्त लगा दी गई कि 4 करोड़ वाला ही केवल कार्बनिक खाद उत्पादन कर सकता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और नहीं हो सकती. यहां मध्यप्रदेश सरकार के कई मंत्री बैठे हैं. वह इस बात को सोचें कि कैसे कृषि विभाग के अधिकारियों ने,कैसे सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश में इस बात का नियम लगा दिया कि कार्बनिक खाद,जैविक खाद वही सप्लाई कर सकता है जिसके प्लांट की पूंजी 4 करोड़ हो. यह विडंबनापूर्ण मामला है. उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसी धरती से आये हैं.और उस धरती का ऋण आप पर भी है, हमारे ऊपर भी है और वहां के पशुधन का भी ऋण है. हम पशुधन को संरक्षित भी करें, पशुधन को बचायें भी और हमारे लिये वह बहुत बड़ा धन रहा है और वह हमारा धन फिर से धन बन जाये, इस बात के लिये सरकार उपाय करे और सरकार जो उपाय करेगी तो निश्चित रूप से बड़े साधारण उपाय है, उनके लिये चारे की व्यवस्था, उनके लिये चरनोई की व्यवस्था, कार्बनिक खाद की व्यवस्था और खेती की व्यवस्था और तब जाकर के हमारा विंध्य विकास कर सकता है. यह केवल ऐरा प्रथा को बंद करने का मामला नहीं है, यह विंध्य के विकास का मामला है और विंध्य के विकास की दिशा में हम सबको सोचना ही होगा. नेता प्रतिपक्ष जी हैं, आप भी हैं, शंकरलाल जी भी हैं यह तमाम सारे लोग विंध्य के हैं और विंध्य की धरा बहुत उर्वरा है और वहां से प्रतिभायें भी निकली हैं, वहां अच्छा पशुधन भी है, वहां सारी चीजें हैं और इस नाते

इस पशुधन को बचाने के लिये ऐरा प्रथा को भी बंद करना चाहिये, खेती को भी बचाना चाहिये. धन्यवाद.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी (मेहगांव)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केदारनाथ जी से निवेदन करूंगा कि संपूर्ण मध्यप्रदेश की बात करें, अकेले विंध्य की बात न करें. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी विंध्य के हैं, आप भी नहीं टोक रहे. यह पीढ़ा तो सभी जगह है.

उपाध्यक्ष महोदय-- मुकेश जी वहां ऐरा की समस्या कुछ ज्यादा है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- ऐसा नहीं है जितना वर्णन केदारनाथ जी ने किया उससे अधिक भयावह स्थिति हमारे यहां है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप इनको अपने इलाके में आमंत्रित करिये.

श्री शंकरलाल तिवारी-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बुंदेलखंड जुड़ा है.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं उनका चंबल आ जाता है.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आप तो सभी के संरक्षक है.

श्री लखन पटेल (पथरिया)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय तिवारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वह इतना अच्छा संकल्प लाये हैं, हालांकि यह बार-बार कहा गया कि यह समस्या विंध्य की है. मैं मुकेश भाई की बात से सहमत हूं, यह समस्या पूरे प्रदेश की है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद भी गाड़ी से जाते होंगे और खासतौर से बरसात के दिनों में तो आप रोड पर देखेंगे कि हजारों जानवर आपको बैठे मिलेंगे और यदि आप यहां से लेकर जबलपुर तक जायें तो रास्ते में कम से कम 10 से 15 गाय, नाटा बैल आपको दुर्घटना में ग्रसित, कई मरे हुये आपको मिलेंगे. यह सब अगर हुआ है तो यह ऐरा प्रथा के कारण हुआ है, क्योंकि आज जानवर को रखना बहुत कठिन सा होता जा रहा है. खेती करना आज मुश्किल हो रहा है. उसकी सबसे बड़ी समस्या हम लोग देखते हैं अगर एक गांव में हम चले जायें तो दो सौ, तीन सौ, चार सौ जानवर वहां छुट्टा मिल जाते हैं और अब खेती शुरू हो गई तो हम देखते हैं एक गांव से दूसरे गांव, इस गांव के 25-50 जानवर इकट्ठे करके दूसरे गांव में भेज देते हैं और वहां के उस गांव को भेज देते हैं. हम लोगों ने कई बार देखा कि जानवरों के पीछे लोग घूम रहे हैं. क्योंकि खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है और मुझे लगता है कि जो समस्या अभी हमको दिख रही है यह समस्या मात्र अभी 10 से 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत

अधिकतम है. आप कल्पना करिये कि यह समस्या और बढ़ी, इस पर यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे लगता है कि जैसा तिवारी जी कह रहे हैं कि सेकड़ो एकड़, हजारों एकड़ जमीन की बोवनी नहीं हुई, वैसे ही पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण लोग बोवनी करना छोड़ देंगे और यह समस्या सिर्फ आवारा पशुओं से नहीं है खेती के लिये, आज दोपहर में मैं सुन रहा था, राजनगर से विधायक राजा साहब को जंगली जानवरों की बात कर रहे थे. यह जंगली जानवर और आवारा पशु दोनों मिलाकर खेती को नुकसान पहुंचाने का इतना काम कर रहे हैं कि किसान बहुत अधिक परेशान है.

श्री के.के. श्रीवास्तव (टीकमगढ़)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको आवारा नहीं कहा जाये, बल्कि बेसहारा पशु कहा जाये.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपको आवारा से क्या आपत्ति है.

श्री लखन पटेल-- जब हमने छोड़ दिया तभी तो वह आवारा हुआ.

श्री के.के. श्रीवास्तव-- छुट्टा कर दिया उनको, वह आवारा नहीं हैं, वह बेसहारा हो गये.

उपाध्यक्ष महोदय-- वह आपके लिये नहीं कह रहे हैं, पशुओं के लिये कह रहे हैं. ...(हंसी)...

श्री के.के. श्रीवास्तव-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सदन में सदस्य हूं (XXX).

श्री लखन पटेल -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रथा सी चल पड़ी है. पहले के दिनों में हमने देखा है कि हमारे गांव के मजदूर जो खेती वाले किसान थे, अपने मजदूरों को बटिया पर गाय, भेंस या बेल दे दिया करते थे और वह कुछ दिन उनको पालकर उनका दूध आदि उपयोग करके वो बेच देता था परंतु आज स्थिति यह हो गई कि अच्छी नस्ल की गाय भी आवारा घूम रही हैं, ऐरा घूम रही हैं जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी हो रही है. मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो अन्नदाता और ज्यादा परेशान हो जायेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं. पूरे प्रदेश में गोचर की भूमि हर गांव में है परंतु उस गोचर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है .मेरा सरकार से अनुरोध है कि क़ड़ाई से पालन करके उस गोचर की भूमि पर जहां जहां पर भी अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये. क्योंकि गांव में जानवर हैं और गोचर की भूमि न होने के कारण वे सड़क पर रहते हैं या खेतों में घुसते हैं.इसलिये सरकार को प्राथमिकता से गोचर की भूमि पर हुये अतिक्रमण को हटाया चाहिये. दूसरा सुझाव मेरा यह है कि पहले कांजी हाउस हुआ करते थे .आज वह प्रथा लगभग समाप्त हो गई है क्योंकि अगर हम किसी जानवर को कांजी हाउस में बंद भी कर देंगे तो उसे खिलायेगा कौन, और जानवर को वापस कौन लेने आयेगा इसलिये

मेरा अनुरोध है कि 3 से 4 पंचायत या लगभग एक जनपद क्षेत्र में एक समिति बनाये और उसको कांजी हाउस, गोशाला एक साथ मिलकर के प्रारंभ करें और जैसा कि हमारे केदारनाथ जी शुक्ल कह रहे थे कि जैविक खाद खरीदने में यह शर्त डाल दी है कि जिनका 4 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होगा उसी से जैविक खाद खरीदी जायेगी. ऐसी ही समिति जनपद क्षेत्र में बनाकर के समिति वाले गोशाला और कांजी हाउस चलायें उससे होने वाले दूध को मार्केट में बेचे, उसके गो मूत्र को बेचे और गोबर को एकत्रित करके जैविक खाद बनाये , सरकार उसको खरीदने का काम करे अगर हम यह करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या का निदान हमें गांव में ही मिल जायेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के ध्यान में ओर लाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 हजार एकड़ में गोशाला ,गो अभ्यारण्य बनाने का काम किया है. जैसे ही गो अभ्यारण्य का शुभारंभ हुआ आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक हप्ते के अंदर 20 हजार जानवर वहां पर आ गये. अब आप कल्पना करें कि 20 हजार जानवरों को कैसे खिलाया जा सकता है, कैसे उनका रख रखाव और व्यवस्था की जा सकती है. वैसे हमारे सांसद जी और हम सब लोग मिलकर के इस व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक इसमें सरकार सहयोग नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि यह ऐरा प्रथा समाप्त होगी और यह जानवरों की संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है इसको हम समाप्त कर पायेंगे. अगर सरकार इस पर ध्यान देती है कि एक समिति बनाकर के गो मूत्र, गोबर से जैविक खाद बनाकर के खरीदने का काम होगा तब मुझे लगता है कि समस्या का बहुत हद तक निदान हो सकेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा सुझाव मेरा यह है कि इस मामले में एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं या जन जागरण अभियान के माध्यम से भी कार्य किया जा सकता है. जन जागरण अभियान चलाकर के हम गांव गांव में संदेश दें कि इससे होने वाले क्या क्या नुकसान है और गाय को पालने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं तो बेहतर होगा. उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मेरा सरकार से यह भी है कि दूध कलेक्शन सेन्टर बहुत जगहों पर नहीं है. दूध कलेक्शन सेन्टर यदि हम हर गांव या हर पंचायत स्तर तक बना दें तो ग्रामीण अंचल में जो दूध का उत्पादन होता है उसकी खपत नहीं हो पाती है, लोगों को लगता है कि दूध से बने उत्पाद बनाने में बहुत समय भी लगता है और प्रापर मार्केटिंग भी नहीं हो पाती है. अगर सरकार दुग्ध कलेक्शन सेन्टर जगह जगह बना दे तो शायद इसमें भी लगाम लगेगी, इसमें भी कमी आयेगी तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सुझाव पर सरकार ध्यान देगी तो समस्या में बहुत कमी आयेगी. जैसा श्री

शंकरलाल तिवारी जी और श्री केदारनाथ शुक्ल जी ने कहा है कि पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के साथ में जैव विविधता विभाग को मिलकर पूरे प्रदेश में जानवरों से होने वाले फायदे और उनसे बनने वाले उत्पाद के संबंध में योजना बनाना चाहिए. यदि यह विभाग इस प्रकार की कुछ योजना बनाकर लाभ देने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी. मैंने बजट सत्र में भी जब कृषि की मांगों पर चर्चा चल रही थी तब सरकार से एक अनुरोध किया था .

उपाध्यक्ष महोदय - माननीय कृषि मंत्री जी आपके विभाग से संबंधित बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम भी मंत्री जी को कुछ सुझाव दे रहे थे तो उन्होंने हमें बंगले पर ही आमंत्रित कर लिया है.(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय - अन्य मंत्रियों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए..(हंसी)

श्री लखन पटेल - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार तार फैंसिंग के लिये अनुदान देना शुरू कर दे या ऐसी योजना बनाए जिसमें 100-200 एकड़ के प्लॉट में ग्रुप फैंसिंग करने से लागत भी कम आए और किसानों को उससे लाभ भी मिले. क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल फैंसिंग करना मंहगा भी है और फैसिंग से कोई उत्पादन नहीं होता है. इसलिए फैसिंग के लिये बैंक फाइनेंस नहीं करती है. इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको शासकीय योजना में जुड़वाएं. यदि अनुदान देंगे तो शासकीय योजना में जुड़ जाने से बैंक इसको फाइनेंस कर देगी क्योंकि एक या दो एकड़ में फैंसिंग ज्यादा मंहगी पड़ती है लेकिन अगर बड़े एरिये में 100-200 एकड़ में ग्रुप फैसिंग की योजना बनाएं तो मुझे लगता है कि इससे ऐरा जानवर जिससे खेती को नुकसान पहुंचता है, उससे लाभ प्राप्त होगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि भूसा और चारे की बहुत बड़ी दिक्कत है. भूसा या चारे की समस्या में बहुत बड़ा योगदान हार्वेस्टर का है. वैसे किसान मजबूरी में फसल हार्वेस्टर से कटा रहा है, लेकिन सरकार कम से कम यह तय कर दे कि सौ प्रतिशत गेहूँ या चना हार्वेस्टर से न कटा जाए, उसमें हर किसान को एक बाध्यता कर दे कि कम से कम 25 प्रतिशत आपको हाथ से कटाना पड़ेगा जिससे कि भूसा बच सके और उस भूसे से जानवरों की खाने की व्यवस्था हो सके. श्री शंकरलाल तिवारी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी समस्या का उन्होंने अशांसकीय संकल्प लेकर आये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी (मेहगांव) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री शंकरलाल तिवारी द्वारा जो अशांसकीय संकल्प लाया गया है निश्चित रूप से यह हमारे पशुधन और विशेषकर गाय के लिये बहुत अच्छे सुझाव वाला अशासकीय संकल्प है. जैसा कि श्री केदारनाथ शुक्ल जी और श्री लखन पटेल जी ने जो बातें बताई मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं गाय हमारे पारिस्थितिक बैलेंस की मुख्य धुरी है. लेकिन अगर गाय सुखी नहीं रहेगी तो बहुत सारे पारिस्थितिक बैलेंस डगमगाएंगे. आप यह देखिए की आज से नहीं सदियों से गाय हमारे समाज की और समाज पालन की मुख्य धुरी रही है. आज वही गाय सर्वाधिक परेशान है मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा जहां लोग ट्रकों में गाय भरते हैं और उस गाय को दूसरे गांव में छोड़कर आ जाते हैं और वहां के गांव वाले गाय को वहां से ट्रकों में भरकर दूसरे गांव में छोड़ देते हैं. इसका मतलब यह स्थिति है कि गाय कहीं पर भी आराम नहीं कर पाती है. कहीं न कहीं हो सकता है कि सोच में परिवर्तन आ रहा है और व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वार्थीपन की तरफ बढ़ रहा है या आत्मकेंद्रित होता जा रहा है. आजकल हर चीज का व्यावसायीकरण कर दिया जाता है, यह भी एक कारण हो सकता है लेकिन जो सुझाव श्री केदारनाथ शुक्ल और श्री लखन जी ने दिया है कि आर्गेनिक सेक्टर में सरकार को और सरकार के द्वारा पोषित निजी लोगों को आर्गेनिक सेक्टर में बहुत ज्यादा ज्यादा पर्दापण करना चाहिए. जब आप आर्गेनिक खाद या पंचगव्य का जैसा कि केदार भैया ने बताया. इस तरह की औषधियों और खाद का निर्माण जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लाभ मिलेगा. हर व्यक्ति की एक कमर्शियल सोच हो गई है कि उसे कुछ न कुछ आमदनी हो. जब आप आर्गेनिक खाद बेचेंगे तो उससे आमदनी होगी, आप पंचगव्य या उससे बनी हुए पदार्थ गौ-रस, गौ-मूत्र तथा गोबर से बनी हुई औषधियां बेचेंगे, इस तरह की औषधियां बनायेंगे और बेचेंगे तो कुछ न कुछ आमदनी होगी तो आपकी आय का एक स्त्रोत डेव्हलप होगा और आपका एक लगाव कहीं न कहीं पशुधन के प्रति बढ़ेगा. मेरा आपसे अनुरोध है कि कहीं न कहीं सदन को इसकी चिन्ता करनी चाहिए एवं सदन को इसमें एकमत होकर कुछ न कुछ इस तरह का और सरकार, जब समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये सोच रही है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है. लेकिन यह भारतीय समाज, हिन्दू संस्कारों की महती और पूजनीय देवी है और जैसा कहते हैं कि गाय में 84 हजार देवी-देवता बसते हैं और गाय की प्रत्येक चीज, चाहे वह मूत्र हो, गौ रस हो, गोबर हो या मृत्यु उपरान्त उसकी काया हो, वह सभी मानव के किसी न किसी काम में आते हैं. आपको और हमको खुद इतना स्वार्थी और सेल्फ सेन्टर्ड नहीं होना चाहिए कि कहीं न कहीं जो जीव हमको अपना सब कुछ दे रहा है, उसको हम आवारा या दूसरों के हवाले छोड़ दें. मेरा आपसे अनुरोध है कि

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि शासन कहीं न कहीं गौ-शालाओं के खोलने पर और आर्गेनिक खाद संयंत्र लगाने पर जोर दे. जिससे उसका एक उपयोग यह भी होगा कि कैमिकल खाद जब बन्द हो जायेगा तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं- जैसे कैन्सर है, आप यह तय मानिये कि कहीं न कहीं कैमिकल खाद इसका बहुत बड़ा कारण है. आज हर 10 वें और 12 वें व्यक्ति पर आपको कैन्सर का मरीज मिल जायेगा, यह शुद्धता भी समाज में आयेगी और जैसा मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, पूर्व वक्ता भी इन बातों को कह चुके हैं कि हमारे सम्पूर्ण ग्वालियर-चंबल अंचल में यह समस्या भयावह होती जा रही है, अगर इस पर समय रहते चिन्तन नहीं किया गया तो स्थिति और भी भयावह होती जायेगी. इसलिए मैं आपसे, सदन के माध्यम से और सम्पूर्ण सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस पर गंभीरता से चिन्तन कर, इस पर कुछ न कुछ ठोस निर्णय निकलना चाहिए और उसका परिणाम आना चाहिए. धन्यवाद.

श्री लखन पटेल - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि दीर्घा में गौ संवर्द्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी बैठे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी चर्चा सुनी होगी, उस पर अपनी तरफ से जरूर कुछ करेंगे.

3.53 बजे

स्वागत उल्लेख

सांसद एवं पूर्व मंत्री श्री ज्ञान सिंह का सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर स्वागत

श्री केदारनाथ शुक्ल (सीधी) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सांसद श्री ज्ञान सिंह जी मौजूद हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - आज सदन की दीर्घा में माननीय सांसद और पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह जी उपस्थित हैं, सदन की ओर से उनका स्वागत है. गौ संवर्द्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री अखिलेश भी हैं, उनका भी स्वागत है.

3.54 बजे **अशासकीय संकल्प (क्रमश:)**

श्री मुरलीधर पाटीदार (सुसनेर) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूँगा. मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जो हमारे विंध्य क्षेत्र के सम्माननीय वरिष्ठ विधायकों ने कहा कि गायों वाला मामला उनके इधर ही है, ऐसा नहीं है. मालवा बैल्ट में भी उससे ज्यादा परेशानी है. एक जमाना ऐसा था कि जो नये केड़े हैं, जिनको हम बैल कहते थे, उनका खेतों में उपयोग होता था इसलिए गाय की कद्र थी. अगर बेटे के बाद किसी की खुशी होती थी तो जब गाय केड़ा जनती थी. लेकिन आज चूँकि उसकी कोई कीमत नहीं है और हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपना आर्थिक फायदा देखता है इसलिए अब गायों को आवारा छोड़ दिया गया है. गाय निश्चित तौर पर दूध ज्यादा नहीं देती हैं. मैं यहां पर दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ, एक जो गौचर भूमि थी, उस पर पट्टा तो 2 बीघे का दिया, 1 एकड़ का और 20 एकड़ जमीन घेर रखी है. सबसे बड़ी दिक्कत गायों को चराने की आ रही है, गाय चराने की जगह नहीं मिल रही है तो वे गाय को कहां ले जायेंगे. इसलिए वह गाय को मजबूरी में छोड़ते हैं. सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गौमाता के लिए एक अभियान चलाकर सरकारी जमीन जिसको गौचर भूमि कहा जाता है. सनातन काल से हमारे यहां यह व्यवस्था है. उस व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, उसको पुन: स्थापित करना चाहिए. कई गांव वाले कहते हैं कि हम गाय तो चराना चाहते हैं, लेकिन गाय को चराने के लिए कहां ले जाए, जगह ही नहीं है, इसको पुनर्विचार करना चाहिए, सारी गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए. दूसरा आग्रह यह है कि इसको हर परिवार के लाभ से भी इसको जोड़ना पड़ेगा. हमारे क्षेत्र के ही लोग बोलते हैं कि बीपीएलधारी सरकारी राशन और अन्य फायदा लेते हैं, क्या उनको हम कानून बनाकर बाध्य नहीं कर सकते कि हर बीपीएलधारी एक गाय का पालन कम से कम आवश्यक रूप से करें, अगर उसके पास गौ-माता नहीं है तो उसे बीपीएल कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा. कहीं न कहीं इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा. तीसरा, आज भी कुछ नस्लों की गाय ज्यादा दूध देती है. आज भी गिर नस्ल की गाय 10 से 12 लीटर दूध देती है और उसकी कीमत 30 से 40 हजार रूपए हैं. अगर हम उन गायों के साथ ब्रीड कराए तो लोग ऐसी गायें जो सड़क पर घूम रही हैं उनको हमारी गौ-शाला से ले जाएंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व प्रसिद्ध जो दुनिया में कहीं भी नहीं हैं ऐसा गौ अभ्यारण्य मेरे सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में बनाया है, जो लगभग पूर्णता की ओर है. माननीय अखिलेशानंद जी जो गोसंवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वे भी यहां बैठे हैं, वे अभी उसका निरीक्षण करके आए हैं, हमारे पशुपालन मंत्री जी भी उसका निरीक्षण करके आए हैं, लेकिन उसकी क्षमता 5 हजार गायों की हैं. जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि प्रहलाद जी पटेल ने ऐसा किया है वही स्थिति हमारे यहां हैं,

अभी शुरू नहीं हुआ है और 50 से 60 किलोमीटर से खबर आती है कि अभ्यारण्य कब शुरू हो रहा है, मतलब 40 से 50 हजार गाय 24 घंटे में तो एकत्रित हो ही जाएगी. हर पंचायत स्तर पर एक गौशाला गांव वाले की समिति के माध्यम से संचालित होना चाहिए, गौशाला मेंटेनेंस का पैसा, शेड, पानी, बाउंड्रीवाल, चारा आदि की व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर यह योजना बहुत लाभदायी सिद्ध होगी. गौ-माता की हर चीज लाभदायी होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनमोल नहीं है. पुन: इस बात पर ध्यान देना होगा, यही मेरा अनुरोध है.

श्री आर.डी. प्रजापति (चन्दला) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शंकरलाल तिवारी जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के प्रति संकल्पित है. किसानों को कितना ही अच्छा खाद, बीज और पानी की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन अगर दो चीज मेरी विधानसभा में दो चीज से किसान प्रताड़ित है, पहला नीलगाय और दूसरा आवारा पशु.

उपाध्यक्ष महोदय - प्रजापति जी (हंसी...) रोजड़ों का भी एक अभ्यारण बने और उसका मेनेजिंग डायरेक्टर नातीराजा विक्रम सिंह जी को बना दिया जाए. लेकिन आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कहीं कम न हो जाए.

कुंवर विक्रम सिंह - उपाध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जिले में और संभाग में रोजड़ों से सब लोग परेशान है.

उपाध्यक्ष महोदय - यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक अभ्यारण्य बनाया जाए और उसका चेयरमैन आपको बनाया जाए, लेकिन उसमें एक शर्त डाली जाएगी कि एक भी संख्या कम न हो. (हंसी...)

श्री उमाशंकर गुप्ता - उपाध्यक्ष जी, रोजड़े इनसे परेशान है वे सब इनके खिलाफ ज्ञापन देने आए थे. (हंसी...)

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - उपाध्यक्ष जी, क्या वह प्राधिकरण बनेगा (हंसी...)

श्री आर.डी. प्रजापति - उपाध्यक्ष जी, मैं 40 हजार वोटों से चुनाव जीता हूं, केवल रोजड़ों की वजह से. मेरे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ गाय और रोज, इनकी व्यवस्था सरकार कर दें और कोई भी विकास न हो, सभी व्यक्ति के पलायन रूक जाएंगे, किसानों का पलायन रुक जाएगा और किसानों को रोजगार मिल जाएगा. मैं बताना चाहता हूं, पूरी की पूरी फसल खराब कर देते हैं. कई लोग गौ भक्त है, दिन भर चिल्लाते हैं. गाय हमारी माता है. मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनसे पूछता हूं कि एकाध गाय बांधी है क्या ? फिर गाय नहीं भैंस हमारी माती है. एक

सिंगल व्यक्ति भी गाय नहीं बांधता है, जबकि इसको सब लोग राष्ट्रीय पशु करने के लिये तैयार हैं. मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि मेरी विधान सभा में करीब 20 हजार आवार पशु हैं. ऐसे पशु बहुत परेशान भी हैं. हर साल यह गर्मियों में बहुत मर भी जाते हैं. मेरे क्षेत्र में जो आवागमन के साधन होते हैं, जहां पर मण्डी लगती है, पूरा माल कानपुर जाता है. पूरा हाईवे है वहां पर सैकड़ों की संख्या में गाय हैं. वहां एक दिन में 10 से 20 गायों की मृत्यु हो जाती है. यह बहुत ही कठिन मामला है. मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कोई विकास हो अथवा न हो, लेकिन गायों का प्रबंध हो जाए. वहां पर गायों का एक अभ्यारण्य बना दिया जाये तो मैं समझता हूं कि किसानों का इससे बड़ा कोई कल्याण नहीं है. उनको कोई मुआवजा अथवा कुछ भी न दिया जाये, केवल गाय एवं रोजड़ों की व्यवस्था की जाए तो मेरे क्षेत्र का एक भी किसान पलायन नहीं कर सकता है तथा एक भी किसान का नुकसान नहीं हो सकता है. इसलिये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि चूंकि मेरा क्षेत्र नील गायों एवं आवारा पशुओं से बहुत प्रताड़ित है. वहां पर यह पशु 20 हजार से कम नहीं हैं. बरसात के दिनों में पूरी रात किसान सोता नहीं है चाहे उन्हें सांप खाए अथवा बिच्छू खाए. ठण्डी में हम हीटर लगाकर सोते हैं. किसान भाई अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर पूरी रात ठंड में सिकड़ता है. इसका एक ही उपाय है कि इनका अभ्यारण्य बना दिया जाए. हर विधान सभा में अभ्यारण्य बनाया जाये. मेरा क्षेत्र चन्दला विधान सभा में बनाते हैं तो पूरे क्षेत्र का विकास एवं कल्याण हो जाएगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोज़ एवं नील गाय दोनों बहुत ही बड़ी समस्या है. वहां पर खाद-बीज पानी की समस्या नहीं है तभी किसान वहां से पलायन नहीं कर सकता है, वहीं यही बहुत बड़ी समस्या है. बार बार इसके बारे में माननीय नातीराजा जी प्रश्न, ध्यानाकर्षण लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं. मैं इसी से चुनाव जीतकर के आया हूं. अगर इनकी व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पाये तो वहां पर हम लोगों को कोई घुसने भी नहीं देगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है. मुझे तो रोजों का विधायक ही कहते हैं. जब जाता हूं तो रोजड़े वाला विधायक आ गया. मेरा तो 24 घन्टा काम ही एक ही है जब तक इस समस्या से निजात नहीं पाता हूं तब तक मेरी विधान सभा में लोग मुझे घुसने नहीं देंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--उपाध्यक्ष महोदय, नातीराज का एक और विकल्प आ गया है. (हंसी)

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी--उपाध्यक्ष महोदय, नातीराजा का टाईटल छीनने की बातें हो रही हैं. (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय--आवश्यक है हर चीज का विकल्प चाहिये.

श्री आर.डी.प्रजापति--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि किसानों की समस्याओं को देखकर के मेरी समस्या भी देखकर के उनसे निजात दिलाने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी विधान सभा में घुस सकूं. इनके लिये अभ्यारण्य बनाया जाये इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय--इन्होंने अपने जीतने का राज बता दिया है. नेता प्रतिपक्ष ने इसको नोट कर लिया है. (हंसी)

श्री शैलेन्द्र पटेल (इछावर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का अशासकीय संकल्प आया मैंने उसको पढ़ा मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि वह किस चीज के लिये लेकर के आये हैं. हमारे मालवा क्षेत्र में ऐरा शब्द प्रचलित नहीं है. जब यह शब्द डिस्कशन में आया तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि यह मध्यप्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है. हर विधान सभा से आयेंगे तो हजारों लाखों में भी आ सकते हैं सबने समस्या की ओर इंगित करा दिया है मेरा एक सुझाव है कि गाय क्यों रोड़ के ऊपर है. आज गायें किसानों के पास न होते हुए क्यों बेसहारा अथवा आवारा घूम रही है, यह एक बड़ा प्रश्न उठता है. मैंने उसके लिये ध्यानाकर्षण भी लगाया है कि जो भोपाल दुग्ध संघ दूसरे दुग्ध संघ प्रदेश में विद्यमान हैं उनमें पिछले 10 वर्षों में भैंस का जो दूध है उसका रेट पर फेट केजी बढ़ा दिया है, लेकिन गाय का नहीं बढ़ाया है. हम जो बेसहारा और आवारा पशु को देखेंगे तो सारे के सारे गौवंशी हैं न भैंसवंशी हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कि गाय के दुध का वाजिब दाम नहीं मिलना, इसका सबसे बड़ा कारण है और जो उनके बैलों को, जो इनके केड़ें हैं खेतों में न जोतना इसका सबसे बड़ा कारण है. अगर वही उपयोगी होता तो किसान उसे छोड़ता क्यों. जितनी अभी तक बातें आयी हैं, वह उन बेसहारों को संभालने की बातें आ रही हैं. हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि वह बेसहारा न बनें. वह किसी किसान के पास न आते हुए रोड पर न जायें. इस ओर यदि हमारा प्रयास होगा तो शायद वह ज्यादा सार्थक होंगे. इसके लिये हम उन किसानों को स्वावलंबन की ओर उनको बढ़ायें, कैसे वह अपनी इॅकानामी को गाय से और उन जानवरों से बढ़ायें, इस और हमें विचार करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

मेरा आपसे, इस अशासकीय संकल्प के माध्यम से, सरकार से यह निवेदन है कि अगर गाय रोड पर हैं, क्योंकि हजारों गायों की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है. यह हम सब रात को देखते हैं और हालत यह है कि रात के समय यदि उनको खेत में सूखी जगह नहीं मिलती है तो सारी गायें रोड पर आकर बैठ जाती हैं, क्योंकि गिले में जानवर नहीं बैठता है. इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि गायों

के दूध का रेट बढ़ाया जाये, ताकि किसान कभी भी मजबूरी में गायों को नहीं छोड़े. उनको कभी रोड पर नहीं लाये. इस अशासकीय संकल्प के माध्यम से मैं तिवारी जी को और सारे वक्ताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह समस्या सबकी है और निश्चित रूप से हम सब इस बारे में चिन्तन कर रहे हैं कि इसके संबंध में कोई रास्ता निकलेगा. गाय और गौवंशी जितने जानवर हैं, उनके लिये उपाय निकलेगा, हम उनकी रक्षा कर पायेंगे और किसान उनको अपने पास रख पायें. आपने समय दिया उसके लिये धन्ययवाद.

श्री दिव्यराज सिंह (सिरमौर):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय शंकरलाल तिवारी जी ने जो आज यह अशासकीय संकल्प लाया है. उसके संबंध में, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष मेरी विधानसभा सिरमौर जो कि रीवा जिले की एक छोर की विधानसभा है और उस विधानसभा में अधिकांश जंगली एरिया विधानसभा में लगता है. उसके कारण यह देखा जा रहा है रीवा जिले के अधिकांश जो भी आवारा पशु हैं, वह जंगल की तरु खदेड़ दिये जाते हैं और उसी माध्यम से हमारी विधान सभा में सारे आकर बस गये हैं. हमारे जवाँ ब्लाक में अगर शाम को हम निकल जायें तो 200-200 मूड़ा गायें आवारा घूमती हुई दिखाई देती हैं. इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं कि जहां मेरे पूर्वजों को गौरक्षा के लिये महारानी विक्टोरिया तक ने विक्टोरिया क्रास दिया था और आज हम इस समय पर आ गये हैं कि हम अपनी गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं. हमारी तरफ से वह यू.पी की बार्डर से होते हुए पहले वह कटने के लिये जाती थी.परंतु अब यू.पी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी है तो उसमें अब काफी हद तक उस पर रोक हो गयी है.परंतु हम अपनी गाय को किस तरह से संरक्षित करें और कैसे उसकी एक माईक्रो स्ट्रेज्डी बनायें कि हर गांव में हम अपनी गाय का संरक्षण कैसे करें. मेरे क्षेत्र में दूध का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है. परन्तु जब तक हम उनकी क्रास ब्रीडिंग नहीं करायेंगे अगर सही तरीके से जो पुराने जानवर हैं, उनको कैसे नये तरीके से, सही तरीके से यूटिलाईज़ करें, उनको हम नये ब्रीड से जुड़वायें, जिससे अच्छी नस्ल के जानवर उससे निकलकर आयें. इसके साथ-साथ एक चीज़ करने की और आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी गायें हैं, उनकी टेगिंग कराने की बहुत आवश्यकता है. क्योंकि जब तक उनकी टेगिंग नहीं होगी तो यह पता नहीं हो पाता है कि यह जानवर किसका है. जब हम जानवर की टेगिंग कर लेंगे तो यह निश्चित हो जायेगा कि यह जानवर इस व्यक्ति का है और उसमें से जो बचेंगे, उनको हम

आवारा पशु के अंतर्गत ले आयें. जब आवारा पशओं का डेटा कलेक्ट हो जायेगा कि वास्तव में इतने आवारा पशु हैं, इन पशुओं की कोई देखरेख करने वाला नहीं है. उनको एक अभ्यारण में भेज दें. माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र अतरैला में आये थे और उन्होंने वहां पर घोषणा भी की थी कि हम यहां पर एक अभ्यारण भी खोलूंगा. मैं चाहता हूं कि अभ्यारणों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाये कि जो बिल्कुल लावारिस पशु हों, वहां पर उन जानवरों को ले जाया जाये. वहां पर उनका संरक्षण कराया जाये और सेल्फ ग्रुप के माध्यम से गांव के सारे किसानों से हम योगदान लें.

श्री दिव्यराज सिंह- इस माध्यम से गौ-सेवा भी हो जायेगी और साथ ही साथ ऐसी गायें जो पूरी तरह से लावारिस हैं, उन्हें हम जंगली जानवर का भी दर्जा दिला सकेंगे जिससे कि उन्हें जंगलों में शिफ्ट किया जा सकेगा. हमारे कई राष्ट्रीय उद्यानों में वन विभाग की ऐसी जमीनें हैं जहां बाड़े बनाकर ऐसी लावारिस गायों को रखा जा सकता है. यदि ऐसी कोई योजना हम बनाते हैं तो हमारी लावारिस गौ-माता और परेशान किसानों को नुकसान से बचाया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त गाय को संरक्षित कर उसकी नस्ल में सुधार भी लाया जा सकेगा. इन सभी बिंदुओं पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता था. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद.

श्री के.पी.सिंह (पिछोर)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के संबंध में मेरा संपूर्ण सदन से अनुरोध है कि यह समस्या किसी एक अंचल की नहीं है. अपितु मालवा, विंध्य, चंबल, बुंदेलखंड और पूरे मध्यप्रदेश में यह समस्या है. मैं समझता हूं कि मात्र सदन में संकल्प पारित करने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसमें एक कमेटी बनायें. सदन में आज अलग-अलग तरह के सुझाव आये हैं. इस सुझावों को नकारा भी जा सकता है. तिवारी जी, का संकल्प मुख्यत: गौ-रक्षा के संबंध में नहीं था. उनका मत है कि किसान हजारों एकड़ जमीन में खेती नहीं कर पा रहा है इसलिए किसान परेशान है.

उपाध्यक्ष महोदय- गाय भी परेशान है और किसान भी परेशान है.

श्री के.पी.सिंह- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा के उपरांत यह तथ्य सामने आया कि गाय और किसान दोनों ही परेशान हैं. पिछले 14 वर्षों से किसान हितैषी सरकार इस प्रदेश में है और गौ-माता की रक्षा करने वाली सरकारी भी पिछले 14 वर्षों से है. फिर भी पिछले 14 वर्षों से दोनों समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा है. यह इतना आसान नहीं है, जितना की हम सोच रहे हैं कि संकल्प पारित हो गया तो समाधान भी हो जाएगा.

मंत्री जी, आप इसमें एक कमेटी बनाईये. 1-2 मंत्री जिन्हें आप साथ में रखना चाहें, उन्हें उस कमेटी में रखिये और कुछ विधायकों को भी उसमें शामिल करिये. मेरा अनुरोध मात्र इतना है कि इस समस्या का समाधान केवल संकल्प पारित करने से नहीं होगा. इसके लिए कमेटी बनाई जाये. सौभाग्य से गौ-संवर्द्धन आयोग के अध्यक्ष भी आज विराजमान हैं. उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाये और सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें. जैसा कि अभी हमारे सदस्यों ने कहा कि प्रह्लाद पटेल जी 1000 गायों के लिए गौ-शाला संचालित करने की कोशिश की वहां 20000 गायें आ गई. इसी तरह से मालवा में और भी स्थानों पर प्रयास किए गए लेकिन हम जितनी गायों की व्यवस्था वहां करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा गायें वहां पहुंच जाती हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समस्या का समाधान इतना आसान नहीं है. कांजी हाऊस से भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है. आज मानव समाज की प्रवृत्ति बन चुकी है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसमें उसका लाभ न हो. मानव की इस प्रवृत्ति का उपचार ढूंढना इतना आसान नहीं है कि संकल्प पारित कर दिया और सारी जवाबदारी सरकार पर डाल दी. मंत्री जी, आप एक कमेटी बनायें और मालवा, विंध्य, बुंदेलखंड और अन्य सभी क्षेत्रों में रिसर्च करवायें कि इसका समाधान क्या हो सकता है. यदि आप रिसर्च करवाकर कोई समाधान ढूंढेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल आये. वरना संकल्प तो पारित हो ही जायेगा. तिवारी जी, ने कहा है कि सत्तापक्ष का संकल्प है, आपका बहुमत है, हम सभी भी सहमत हैं. बहुमत से संकल्प पास हो जाएगा और सर्वसम्मति से भी पास हो जायेगा. लेकिन संकल्प मात्र पारित करने से इसका समाधान नहीं हो पायेगा. माननीय मंत्री जी, यदि इस समस्या को लेकर वास्तव में आपके मन में चिंता है और आप इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा रिसर्च करवाईये कि इसका समाधान क्या हो सकता है. यह इतना आसान नहीं है कि कह दिया कि अतिक्रमण हटा दो. क्या आज गांव में रह रहे किसानों को हटाया जा सकता है ? बरसों से किसान वहां खेती कर रहे हैं. इधर सरकार व्यवस्था कर रही है. जो जहां बसा है, जो जहां रह रहा है, जो जहां खेती कर रहा है उनको हम पट्टे दे देंगे और इधर आप कहेंगे कि उनको हटाइए तो उनको हटाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं. इस समस्या का समाधान अगर ढूंढना है तो समाधान पर गहन विचार हो, एक रिसर्च हो और फिर बैठक हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अगर ऐसी कोई योजना बनाई जाएगी तो ही इस संकल्प का मतलब है वरना संकल्प आए तमाम संकल्प हम पारित करते हैं और उन संकल्पों का जो भी नतीजा निकलता है इसका नतीजा भी चुनाव आते आते तक आ जाएगा. हमारे एक विधायक आर.डी. प्रजापति जी यही कह रहे हैं कि मैं तो वायदा करके आया था

तो वह तो बेचारे जीतकर ही नहीं आएंगे उनने पहले ही कह दिया है कि मैं तो इसी एजेंडे पर चुनकर आया था. ऐसे और भी कई विधायक हो सकते हैं जो इसी एजेंडे पर चुनकर आए हों वह तो क्षेत्र में ही नहीं जा पाएंगे. जहां तक रोजड़ों की बात है, रोजड़ों की समस्या पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है. वन मंत्री शेजवार जी ने ध्यानाकर्षण चर्चा में जवाब दिया था कि पांच रोजड़े वन विभाग ने पकड़े. हम और आप सब वाकिफ हैं कि सिर्फ पांच रोजड़े वन विभाग ने सालभर में पकड़े तो इस समस्या का समाधान कितने सालों में होगा.

अध्यक्ष महोदय-- के.पी. सिंह जी यहां पर रोजड़ा िवषय नहीं है.

श्री के.पी. सिंह-- यह उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं कि वन विभाग की जो किताब आई थी उसमें लिखा था कि पांच रोजड़े हमने सालभर में पकड़े इस तरह से इसका समाधान नहीं हो सकता है. मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इसमें ठीक से विचार करें संकल्प तो पारित है ही. माननीय सदस्यों ने और सभी ने बात की है अगर आपके दिमाग में इसके लिए अच्छी समाधानकारक योजना हो तो उसे लागू करें तभी कोई अर्थ है. आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी -- उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय के.पी. सिंह जी ने जो बात कही चरनोई की भूमि निरंतर बट्टे पर दे रहे हैं वर्ष 1998 में वर्ष 2003 से और आज भी लेकिन जो मूक हैं, जो अपनी बात यहां कह नहीं सकते हैं और जो भाषा नहीं बोल सकते हैं उनकी बात कौन कहेगा यह बहुत अच्छी बात कही कि चरनोई की भूमि निश्चित रूप से बचनी चाहिए.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही है पहले चरनोई की भूमि दी जाती थी वर्ष 1998 से वर्ष 2003 तक अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है. 2 प्रतिशत रिजर्व रखकर ही आवंटन होता है.

श्री अजय सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 प्रतिशत भी क्यों उसको बढ़ाकर 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत कर दें.

कुंवर सौरभ सिंह सिसोदिया (बहोरीबंद) -- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तीन फसल हो सकती हैं लेकिन ऐरा प्रथा के कारण दो ही हो पा रही हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- मैं के.पी. सिंह जी से जानना चाह रहा था कि आपके शिवपुरी जिले में ऐरा प्रथा को क्या कहते हैं.

श्री के.पी. सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो सारे जानवरों के लिए हर गांव में एक आदमी नियुक्त करते थे और वह जानवरों को जंगल में ले जाता था.

उपाध्यक्ष महोदय-- यह तो हमारे यहां भी होता था.

श्री के.पी. सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, ऐरा प्रथा नहीं बोलते हैं हमारे यहां तो सारे गांव के जानवर इकट्ठे होते हैं और उनको जंगल ले जाया जाता है लेकिन वह प्रथा खत्म हो चुकी है क्योंकि जमीन ही नहीं बची है तो कहां ले जाएं. अब तो उन्हें आवारा ही छोड़ दिया गया है.

कुंवर सौरभ सिंह सिसोदिया -- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह प्रथा आगे बढ़कर अब जानवरों का रूप वनचर में परिवर्तित हो गया है. वनचर मतलब ऐसी गाय ऐसे जानवर जो लगातार दो-तीन जनरेशन से बांधे ही नहीं गए हैं. उनसे बहुत नुकसान हो रहा है. सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है. वहां पर भी दूध का सेवन सीधे नहीं किया जाता है. दूध का प्रोडक्ट बनाकर घी या चीज़ के रूप में लिया जाता है क्योंकि जो वहां की विकसित गाय हैं उनके दूध में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो बहुत नुकसानदायक होता है परंतु जो हमारे यहां की देसी गाय हैं इन गायों में वह तत्व नहीं पाया जाता है. जैसा कि के.पी. सिंह जी कह रहे थे जब तक मिल्करूट की व्यवस्था नहीं बनेगी, जब तक जानवर प्रोडक्टिव नहीं होगा तब तक संकल्प का कोई औचित्य नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक एक आदमी के पास 40-40 नग जानवर हैं और उसके पास एक पांच फुट की रस्सी नहीं है जहां लगाना है जानवर को लगाया और जहां चाहा उसे छोड़ दिया. पूरे जानवर रोड पर दिखाई देते हैं. मैं यही चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि एक कमेटी बने जिसमें प्रोडेक्टिव काम हो सिर्फ संकल्प मात्र तक ही अपना काम न रह जाए. आपने बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय तिवारी जी बहुत अच्छा संकल्प लाए. केदारनाथ शुक्ल जी ने ऐरा और अन्य बातों को बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया. मुझे याद है वर्ष 2015 में डॉ. गोविन्द सिंह जी भी ऐसा ही कुछ संकल्प लाए थे. उस समय नरोत्तम मिश्रा जी ने उत्तर में कह दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और बात खत्म हो गई थी. वर्ष 2017 में तिवारी जी विन्ध्य संभाग की ऐरा प्रथा के हिसाब से लाए. लेकिन चर्चा में यह देखा गया कि समस्या पूरे मध्यप्रदेश में है. आदरणीय के.पी. सिंह जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि इसके लिए समिति गठित की जाए.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि हर संभाग की अलग-अलग समस्या है. हम लोग ऐरा प्रथा से पीड़ित हैं अन्य लोग किसी और तरीके से जानवरों से पीड़ित हैं. यदि खेती को सही में लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, हमारे यहां तो खेती धंधा ही नहीं बचा है तो लाभ की तो बात ही छोड़ दीजिए. किसी के यहां लाभ कम हो रहा है तो ज्यादा होना है. इसका संभागवार

समाधान निकालें. मंत्री महोदय का तो यह उत्तर आयेगा कि हमने रीवा में इतनी गौशाला बना दी हैं और सतना में इतनी गौशाला बना दी हैं क्योंकि रीवा-सतना की बात है. गौशाला बनाने से काम नहीं चलने वाला है. के.पी. सिंह जी ने अच्छा सुझाव दिया है उस सुझाव के तहत मध्यप्रदेश स्तर पर अलग-अलग अंचलों के हिसाब से इस पर माननीय मंत्री महोदय कोई ऐसी कल्पना करें जिससे आने वाले समय में किसान भी खुश रहे और गौमाता को भी सुनिश्चित घर मिले. उपाध्यक्ष महोदय, Artificial Insemination बहुत ही आवश्यक है. क्योंकि नस्ल बिगड़ती जा रही है. हमने अपने क्षेत्र में कुछ साल पहले Artificial Insemination के माध्यम से कोशिश की थी. रेमण्ड वालों की एक संस्था थी उसने जिन गांवों में Artificial Insemination centres खोले थे वहां ऐरा प्रथा समाप्त हो गई थी. क्योंकि उनके जो बच्चे पैदा हुए वे अच्छी नस्ल के हुए, दुधारु हुए तो लोगों को लगा इसमें फायदा है. आज हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है इसलिये समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है.

श्री कुंवर विक्रम सिंह (राजनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शंकरलाल तिवारी जी जो संकल्प लेकर आए हैं, वह बहुत अच्छा संकल्प है. आज यह पूरे मध्यप्रदेश की ज्वलंत समस्या है. मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल दो बातें ही कहना चाहूँगा. एक तो पहले जिस प्रकार से बैलों को बधिया किया जाता था. अब इन रोजों को, आवारा पशुओं को और बुल्स को बधिया किया जाएगा तो यह समस्या धीरे-धीरे घटती जाएगी. दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि Artificial Insemination की जो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है वह बिलकुल सही बात है. We need to change the breed to higher yielding. जब हायर यील्ड में ब्रीड परिवर्तित होगी तब लोग उसकी वेल्यू को समझेंगे. Today's people are thinking that buffalo is a higher yielding and more paying in aspect to cows. आज आवश्यकता है कि नस्ल सुधार होना चाहिए. और रोजों के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय--आप फिर रोजों पर आ गए आवारा पशुओं की बात हो रही है. उसके लिए आप एक अलग से संकल्प ले आइए. मंत्री जी रोजड़ों के बारे में जवाब देंगे नहीं आत्म संतुष्टि के लिए कहना है तो कह लीजिए.

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुंवर विजय शाह)--उपाध्यक्ष महोदय, नस्ल सुधार की तो सभी में जरुरत है.

कुँवर विक्रम सिंह-- माननीय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूँगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी आपको रोज का जवाब कुछ देंगे नहीं.

कुँवर विक्रम सिंह-- एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- आत्म संतुष्टि के लिए कहना है तो कह लीजिए.

कुँवर विक्रम सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रोजों के लिए एक ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि एक अच्छा बड़ा बाड़ा बनाया जाए, उसमें हांक करके इनको किया जाए और वहाँ पर इनकी ब्रीडिंग हो, अगर सरकार इनका परमिट नहीं दे सकती है तो कम से कम यह तो कर सकती है, करोड़ो रुपये बर्बाद होते हैं, जो फण्ड्स लैप्स हो जाते हैं, वापिस चले जाते हैं, इस विभाग का फण्ड बढ़ा करके, इस व्यवस्था को किया जाए. यह वन विभाग के द्वारा किया जा सकता है. आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद. मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- धन्यवाद.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता, शंकरलाल जी तिवारी के द्वारा "ऐरा प्रथा" के ऊपर जो संकल्प लाया गया है, वास्तव में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण संकल्प है और इस संकल्प पर और इससे मिलेजुले विषयों पर अनेक हमारे माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, पूरा उत्तर हमारे माननीय मंत्री जी अंतर सिंह आर्य साहब देंगे. मैं तो अपने कृषकों को, खुले मवेशियों से होने वाली फसलों की नुकसानी, वन्य प्राणियों के, वन क्षेत्र से बाहर निकल कर, जैसे हिरण हैं, रोजड़े हैं और अन्य जो हैं, यहाँ तक कि जंगली सुअर, इनसे होने वाली जो नुकसानी है, इस तक ही अपनी बात को रखना चाहूँगा.

उपाध्यक्ष महोदय, एक अच्छा संयोग है कि हमारे पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई, हमारे सांसद, परम सम्माननीय ज्ञान सिंह जी, यहाँ विद्यमान हैं और हमारे गुरू, गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं. ऐसा संयोग कम आता है. उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय हो गया है, मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा. मुझे शहडोल लोकसभा चुनाव के बाद बाँधवगढ़ विधान सभा चुनाव में जाना पड़ा और बाँधवगढ़ विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जब मैंने देखा तो लोकसभा में मानपुर में मुझे काम दिया गया था और विधान सभा में बाँधवगढ़ में काम करने को कहा गया था. 23 और 24 जनवरी को, जब चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी थी, मैंने बाँधवगढ़ उमरिया क्षेत्र का प्रवास किया, तो किसानों ने एक बात रखी, उनकी समस्या ने मुझे हिला दिया. उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए तालाब बना दिया, आपने हमारे खेत तक नहरें पहुँचा दीं, आपने हमको अनुदान पर बीज दे दिया, ट्रेक्टर दे दिया, सब कुछ हमको प्रशिक्षित कर दिया. फसल लहलहाती आ भी गई और वन्य प्राणियों

ने चर लिया तो बचा क्या? इसमें से निकल कर आया कि हमको क्या करना चाहिए. उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर और उनकी कार्यशैली पर विश्वास करते हुए घोषणा की कि बीस करोड़ रुपया इस, जो वन का होता है कोर आफ बफर, तो कोर तो उनका रिजर्व क्षेत्र है, बफर होता है जिसमें हम, वन और किसान हैं. हमने तय किया है कि उमरिया बाँधवगढ़ रिजर्व टायगर का सर्वाधिक जहाँ से वन्य प्राणी निकलता है, वहाँ पर हम अण्डर ग्राउण्ड बीम डालेंगे, जिससे कि सुअर बाहर नहीं निकल सकें और चेनलिंग लोहे के पोल पर लगाएँगे और फिर सोलर वायर लगाएँगे. सोलर वायर लगाने से, सोलर नली से करंट आएगा, तो वन्य प्राणी की मृत्यु भी नहीं होगी और वन्य प्राणी वहाँ से भाग जाएगा. इस तरह के विकल्प पर हमको विचार करना पड़ेगा. हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से, हमने इस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाना चालू किया है. इस सत्र के बाद मैंने 2-3 दिन वहाँ रहने का तय किया है. हमारे माननीय सांसद जी से मार्गदर्शन लेंगे. हमारे जन प्रतिनिधियों से लेंगे,हमारे विशेषज्ञों से लेंगे और हम वहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हम एक-एक व्यक्ति को लाभ नहीं दे सकते लेकिन ऐसे बड़े क्षेत्रों को जब हम घेर लेंगे तो वन्य प्राणी अपने स्थान पर सुरक्षित रहेंगे और हमारा खेत भी बचाया जा सकेगा. इस तरह के और बहुत से विकल्प हो सकते हैं जिसके ऊपर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले हर एक ग्राम पंचायत में आवारा पशुओं को एक जगह बंद किया जाता था अब उसको बंद करने की स्थिति बची नहीं है क्योंकि हम जनप्रतिनिधि लोग हैं. चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, हमें जनता के बीच में वोट लेने जाना है हम किस-किस से बुराई लेंगे इसीलिये कोई-न-कोई नीति बनाने की आवश्यकता पड़ेगी. मुझे लगता है हमारे मंत्री आर्य जी बड़े वरिष्ठ एवं अनुभवी हैं. मुझसे सीनियर हैं उनके साथ हम बैठेंगे और इस पर काम करेंगे. वह अपने विभाग का उत्तर तो देंगे लेकिन इस सरकार का दृष्टिकोण मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं. हम चाहते हैं. हम करेंगे भी कि मध्यप्रदेश में जितने भी खुले मवेशी हैं,जितने भी वन्य प्राणी हैं, उनसे हम अपने किसानों की फसलों को बचा सके. कुछ हमारे सदस्यों ने और विशेष तौर से हमारी भाभी जी ने जो गेहूँ की नरवाई जलाने की बात कही,अब गेहूँ की नरवाई जलाने से वहाँ का प्राकृतिक संतुलन, जैविक संतुलन, नैसर्गिक संतुलन तो अपने आप में बिगड़ता ही है लेकिन कभी-कभी लगी हुई फसलें भी जल जाती हैं और भूसे की कमी हो जाती है इसीलिए हमने नरवाई को कलेक्ट करने के लिए जो हमारे यंत्र हैं उनको राज्य का टॉप अप देकर 75 परसेंट अनुदान पर हम अब किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं. इसमें भारत सरकार का 50 और मध्यप्रदेश सरकार का 25 परसेंट होगा यदि और जरूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ाएंगे लेकिन नरवाई ना जले. यदि नरवाई

जलती है तो प्राकृतिक नुकसान तो होता ही है हमारे मवेशियों का चारा भी समाप्त होता है. उसको बंडल बना कर के फ्यूल के रूप के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो मैंने अपने विभाग में जो हम कर सकते थे उसको करना प्रारंभ किया है.

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर नियम कुछ सख्त कर दिये जायें चूंकि सलाह देने के बाद और काफी निवेदन करने के बाद भी नरवाई का जलना नहीं रुकना रहा है. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आपने अनुदान किया है लेकिन इसके लिए और भी थोड़ा सा प्रावधान बढ़ा दें तो शायद ठीक रहेगा.धन्यवाद.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वर्मा भाभी का सुझाव का हम सम्मान करते हैं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं. हम सख्ती तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन किसानों को भावनात्मक रूप से जोडेंगे और ऐसा संदेश पहुंचाएंगे कि वह नरवाई ना जलायें जिससे हमारे अपने मवेशियों के लिए हम चारा उपलब्ध करा सके. इसके साथ-साथ कुछ और विषय हैं उनकी बातें हम अपनी बैठक में करेंगे लेकिन मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार को कोई नीति बनाने की आवश्यकता है. इस समस्या पर जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, के.पी. सिंह भैया ने कहा. मैं श्योपुर गया हूँ, शिवपुरी गया हूँ, पूरे मध्यप्रदेश में हम लोग गये हैं. उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा आपके अपने क्षेत्र में भी यह समस्या है. हमारे 230 विधानसभा क्षेत्रों में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ यह समस्या ना हो. शहरों में मवेशी हम पालते हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा है कि मेरे बी-28 बंगले में हमने 4 गाय पाली हैं लेकिन उनको हम खुला नहीं छोड़ते हैं. आपने गाय रखी है उसके दूध का सेवन करिये, घी बनाइए लेकिन उसको सुरक्षित भी रखिये लेकिन हम लोग दूध निकालने तक ही सीमित रहते हैं बाद में पशुओं को खुला छोड़ देते हैं. इसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा और मैं सदन के साथियों से कहना चाहता हूं कि यदि आप सही में गौ संवर्धन करना चाहते हैं तो देशी गाय पालिये. देशी नस्ल पालिये, देशी गाय के दूध का सेवन करिये और गौमाता की रक्षा करके हमारे संकल्प को आप पूरा करिये. यह सरकार पूरी वचनबद्धता के साथ आपके साथ है.

पशुपालन मंत्री(श्री अंतर सिंह रावजी आर्य)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी जो अशासकीय संकल्प लाया गया है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है. मैं समझता हूं कि यदि यहाँ पर आधे से अधिक अगर विधायक मौजूद होते तो बजट सत्र पर जितना वह नहीं बोलते उतना इस विषय के ऊपर चर्चा करते और हमारे माननीय 12 विधायकों ने ऐरा प्रथा को लेकरसमस्या और सुझाव सदन में रखे हैं. पिछले कई सत्र में चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे

प्रतिपक्ष हो, अनेक विधायकों ने प्रश्न के माध्यम से चाहे वह तारांकित प्रश्न हो या अतारांकित प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में ये बातें रखी हैं और यह वास्तव में किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है. अधिकतर मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से और दक्षिण हिस्से के इलाकों में यह सबसे बड़ी गंभीर "ऐरा प्रथा" की समस्या है. माननीय शुक्ल जी, माननीय तिवारी जी और हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने विस्तृत रूप से शासन को सुझाव दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रथा और गौवंश की बात को लेकर बहुत ही गंभीर हैं. इन सब बातों की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगर जिले में इन समस्याओं का निदान करने के लिए गौ-अभ्यारण्य की घोषणा की थी और उस घोषणा को हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं. अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय गुरूजी गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष जी भी यहां बैठे हैं. आगर सुसनेर में गौ-अभ्यारण्य देखने मैं स्वयं गया था. हमारे अधिकारी थे. वहां पर पूरी तरह से गौ-अभ्यारण्य पूरा हो चुका है. दो-तीन महीने बाद या बारिश के बाद उस गौ-अभ्यारण्य को हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं. वहां पर 472 हेक्टेयर जमीन में यह अभ्यारण्य बना हुआ है. वहां पर हम पांच हजार गौवंश रखने की व्यवस्था कर रहे हैं और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि विंध्य क्षेत्र रीवा संभाग के अंदर भी यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीवा दौरे के समय वहां पर गौ-अभ्यारण्य खोलने की घोषणा की थी. जैसे ही आगर के गौ-अभ्यारण्य का उद्घाटन हो जाता है, तो हम रीवा गौ-अभ्यारण्य का प्रावधान करके उसको भी चालू करने का प्रयास करेंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या के निदान के लिए नर्मदा सेवा यात्रा के समापन के बाद में एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने सुझाव दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में कांजी हाउस और गौशाला होना चाहिए. माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा यात्रा के समापन के बाद विभिन्न विभागों की एक नर्मदा सेवा मिशनकारी योजना की शुरूआत की है. उसी के अंतर्गत हमारा पशुपालन विभाग नर्मदा के दोनों किनारे के आने वाले ग्रामों में 535 ग्राम पंचायतों के अंदर प्रत्येक 5 पंचायत के बीच में एक कांजी-हाऊस सह गौशाला कार्ययोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बनी हुई है, उसके अंदर 107 गौशालाओं की शुरुआत विभिन्न चरणों में शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्रत्येक गौशाला में शेड बनाने, पानी की व्यवस्था तथा अन्य चीजों पर 20 लाख रुपये का खर्चा आ रहा है और हम उसे कांजी-हाऊस के साथ-साथ गौशाला से जोड़ रहे हैं, उसमें प्रत्येक गौशाला के अंदर 100 गोवंश रखने की व्यवस्था की गई है और इस गौशाला का संचालन स्वयंसेवी संस्था, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत करेगी. गोवंश के गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए प्रत्येक गौशाला को पशुपालन विभाग से हम 2 लाख रुपये देने की व्यवस्था कर रहे

हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पायलेट प्रोजेक्ट तैयार किया है और इसके चालू होने के बाद इसका कैसा रिजल्ट रहेगा, अन्य क्षेत्रों में हमारी इसी आधार पर कार्ययोजना बनेगी ताकि इन चीजों का समाधान हो सके. माननीय तिवारी जी ने यह सुझाव दिया कि इस अभ्यारण्य को मनरेगा से भी जोड़ना चाहिए, मैं आपको सदन में बताना चाहूँगा कि अभी 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पशु संवर्धन बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी भी उपस्थित थे और उसमें इन सब बातों के ऊपर हमारी चर्चा हुई है.

माननीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय श्री के.पी. सिंह जी ने जो सुझाव दिया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी उसका समर्थन किया है कि यह जो "ऐरा प्रथा" की समस्या है, इसका हमें स्थाई हल निकालने की जरूरत है, संकल्प यहां आया है, परंतु जो सुझाव दिया है, मैं सदन में राज्य स्तर की सर्वदलीय कमेटी की घोषणा करता हूँ, इस कमेटी के माध्यम से जब हमारी बैठक होगी उस कमेटी में हमारे कृषि मंत्री होंगे, हमारे गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष तो रहेंगे ही, मैं स्वयं रहूंगा और हमारे अन्य दलों के विधायकों का भी उसमे चयन किया जाएगा और प्रदेश स्तर की यह कमेटी होगी और यह कमेटी अलग-अलग क्षेत्र की अलग-अलग समस्याओं पर विचार करते हुए एक स्थाई हल निकल सके, उस आधार पर हम यहां पर निर्णय लेंगे. जो यह अशासकीय संकल्प लाया गया है, यह सदन के सभी सदस्यों की चिंता है, पूरे मध्यप्रदेश के कृषकों की चिंता है. उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या ने यहां पर बात रखी थी कि जो हार्वेस्टर से चारा, जो हम गेहूँ निकालते हैं उसमें जो भूसा रहता है.वह खेतों में रह जाता है, उसको जला दिया जाता है और इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने जो नरवाई जलाई जाती है, उसको बंद करने के लिये एक घोषणा की थी, क्योंकि पर्यावरण विभाग भी मेरे ही पास है, इसके ऊपर पूर्ण रुप से प्रतिबंधित कर दिया है, यह मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में चारे की कोई समस्या न रहे. इसके ऊपर पर्यावरण विभाग ने कार्यवाही की है. इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरुरत है. जैसा कि तिवारी जी ने बोला कि इसको मनरेगा से जोड़ना चाहिये. हमारे विभाग के प्रमुख सचिव भी यहां पर बैठे हैं. बोर्ड की बैठक में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग,कृषि विभाग एवं अन्य जितने भी हमारे जो सदस्य बोर्ड के अन्दर हैं, उसमें यह निर्णय किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है, उसके लिये कृषि विभाग को भी हम जोड़ लें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी इसमें जोड़ लें, ताकि इसकी स्थाई समस्या का समाधान हो सके. मैं सदन में यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के कलेक्टर ने मनरेगा के अंतर्गत कांजी हाउस बनाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है,

उसमें करीब 26 या 30 कांजी हाउस बने हुए हैं. मैं तिवारी जी को आश्वास्त करता हूं कि उनकी इच्छा है कि आप हमारे रीवा संभाग के अंदर आयें और वहां पर संभाग स्तर के जन प्रतिनिधि और कुछ अधिकारियों की बैठक करें. मैं तिवारी जी को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में हम आपको सूचना देकर सम्पर्क करके रीवा संभाग की बैठक लेंगे. वहां कमिश्नर, कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ,ग्राम पंचायत से संबंधित अधिकारी होंगे, उनके साथ हमारी बैठक होगी, इसमें समाज, कृषकों को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि गौवंश या भैंसवंश है, वे बेचारे मूक हैं, बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम पशु पालकों के बीच में इस मामले को लेकर ज्यादा प्रचार प्रसार करें. पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा तक इसकी प्रचार-प्रसार की व्यवस्था होना चाहिये. मैं आने वाले समय में रीवा में जरुर आऊंगा और इस प्रकार की बैठक हम रखेंगे, ताकि जिस प्रकार से मुरैना कलेक्टर ने वहां पर जो कार्य किया है, उसी की भांति हमारे रीवा संभाग में भी यह कार्यक्रम तय हो. इसके लिये मैं वहां जरुर जाकर बैठक लूंगा और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करुंगा. कई माननीय सदस्यों ने और भी अनेकों यहां पर सुझाव दिये हैं. कृषि विभाग एवं वन विभाग से भी संबंधित कुछ बातें आई हैं. हमारे विभाग के माध्यम से इस अशासकीय संकल्प का हवाला देते हुए हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि माननीय सदस्यों की जो चिंता है, उसके ऊपर विचार होना चाहिये. मैं तिवारी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आपकी भावना है, उस भावना को हमारी सरकार पूरा करेगी. बस मुझे इतना ही कहना है.

उपाध्यक्ष महोदय -- तिवारी जी, क्या आप अपने संकल्प को वापस लेना चाहते हैं.

श्री शंकरलाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जो बातें कहीं हैं, निश्चित रुप से यह सार्वभौमिक विषय था और मैंने रीवा संभाग को इसमें इसलिये लिया कि वहां पर यह बहुत अधिक है. मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में अधिक है. सच में यह प्रदेश की समस्या है और जिस गंभीरता से अभी मंत्री जी ने बैठक की बात की है.

श्री अंतर सिंह आर्य --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यहां पर समिति बनाने की घोषणा की है. हमारी समिति के जो भी माननीय सदस्य होंगे, उनका जैसा भी जो सुझाव होगा सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करेगी और मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि यहां पर आज जिन माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की है, क्योंकि यह कोई वाद विवाद का विषय नहीं है. सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष सभी सहमत हैं. इस कारण मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप यह संकल्प वापस ले लें.

श्री शंकर लाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार आगे बढ़ चुकी है. सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ऐरा प्रथा के मामले को हम स्थायी रूप से समिति बनाकर और स्थानीय स्तर पर जाकर के इस काम को आगे बढ़ायेंगे सच में यह काम कठिन है लेकिन यह काम बहुत आवश्यक है . माननीय मंत्री जी के आदेश पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी की मोहर लगी हुई है और इस विश्वास से की इस ऐरा प्रथा पर जो गंभीरता सदन में सभी पक्षों ने दिखाई है और सभी विधायकों ने जो बात कही है. मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय की मोहर के साथ में, माननीय मंत्री जी की घोषणा का स्वागत करते हुए, संकल्प वापस करता हूं इस विश्वास से की ऐरा प्रथा जो कि किसान के पेट के लिए बहुत गंभीर बात है उस पर सरकार आगे बढ़ेगी और निराकरण करने तक पहुंचेगी, धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय -- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति देता है.

संकल्प वापस हुआ

(2) ग्रामीण इलाकों के विभिन्न ग्रामों की बड़ी आबादी वाली बसाहटों/ मजरों / टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना.

श्री के. पी. सिंह (पिछोर) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि- सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विभिन्न ग्रामों की बड़ी आबादी वाली बसाहटों/ मजरों / टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाय.

उपाध्यक्ष महोदय -- संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री के पी सिंह -- उपाध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा के कार्यकाल के समय में मैं यह संकल्प लाया था और तत्समय माननीय नरोत्तम मिश्र जी, आज हमारे सामने विराजमान नहीं है, उन्होंने उसका जवाब दिया था जवाब सरकार की तरफ से आया था कि हम 6 माह के अंदर, यह बात विधान सभा के रिकार्ड में होगी, सारे कलेक्टरों को निर्देश करेंगे और सारे ऐसे मजरे टोले जिनकों गांवों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है. उनके प्रस्ताव मंगाकर उनको मजरे टोलों से गांव में घोषित कर देंगे. 5 साल तो उस कार्यकाल के निकल गये हैं, पिछली विधान सभा की बात कर रहे हैं, यही सरकार थी यह ही मुख्यमंत्री थे और इस विधान सभा के भी चार साल निकलने को हैं. बाकी जिलों की तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या हुआ, हो सकता है उनके प्रभार का जिला और उनका गृह जिला जहां के वह मंत्री थे वहां पर हो सकता है कुछ हुआ होगा. जहां तक मुझे याद है उस समय वर्मा जी राजस्व मंत्री हुआ करते थे. लेकिन हमारे जिले में हमारे आसपास के जिलों में जितनी मुझे जानकारी है, वहां पर कुछ भी ऐसा

नहीं हुआ है. इसलिए मुझे इस संकल्प को पुन: लाना पड़ा है और लाने का कारण भी हम जितने लोग ग्रामीण विधान सभा से चुनकर आते हैं, शहरी विधान सभाओं में तो इस तरह की समस्या नहीं है. केन्द्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वह सभी ग्राम केन्द्रित हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कुछ मजरे जो कि राजस्व रिकार्ड में मजरे के रूप में दर्ज हैं उनको भी शामिल किया गया है लेकिन इसके बाद में भी बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं. जिनका कोई नाम ही नहीं है और जनसंख्या का लगातार दबाव पूरे देश में और प्रदेश में ग्रामीणों को अपने गांव से अलग हटकर अपनी दूसरी बसाहट में बसने को मजबूर होना पड़ रहा है. लगातार जनसंख्या बढ़ रही है. जिस गांव की जनसंख्या 500 थी आज वहां दो हजार, तीन हजार और चार हजार की स्थिति बन रही है. गांव में सीमित आबादी की जगह थी तो स्वाभाविक रूप से नये परिवार जो बन रहे हैं उनको गांव से अलग होकर अलग बसना पड़ रहा है और यह पूरे मध्यप्रदेश में हो रहा है यह कोई अकेले शिवपुरी जिले या मेरी विधानसभा की बात नहीं है और कहीं-कहीं ऐसी स्थिति हो गई है कि गांव छोटे से रह गये हैं और मजरों की आबादी गांव से चौगुनी हो गई है. चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की महती योजना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो और चाहे आंगनबाड़ी के केन्द्र हों, चाहे उनके भवन हों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लाभ से हमारे ग्रामों की बहुत बड़ी आबादी वंचित रह रही है और कहीं-कहीं तो और विचित्र विडंबना हो रही है कि किसान अगर अपनी मालिकाना हक की जमीन पर बस गये हैं, पहले तो जमीन की बहुत बड़ी कीमत नहीं थी लेकिन अब कभी-कभी ऐसे मसले भी सामने आ जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसके नाम से वह जमीन है वह बाकी लोगों से कहता है कि या तो हमारी जमीन का पैसा दो, नहीं तो यहां से भागो. इससे एक जुड़ा हुआ मसला है कि उन मजरों की आबादी भी घोषित नहीं हो पाई और जब आबादी घोषित नहीं हो पाई तो मालिकाना हक आज भी किसी-न-किसी भू-स्वामी के नाम पर है. तो वहां भी झगड़े फसाद की स्थिति बनती है, सुविधाओं से भी वंचित हैं, आपस में वैमनस्यता भी हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध है कि इसमें शीघ्रता की जाए. शीघ्रता इसलिये की जाए कि जिन सरकारों ने यह व्यवस्था कर दी अपने मजरों को ग्राम घोषित कर दिया या उनको किसी-न- किसी तरह से कानून के दायरे में लाकर उनका नामकरण कर दिया, उनको तो फायदा केन्द्र सरकार की योजनाओं का मिल जाता है लेकिन हमारे जो मजरे-टोले हैं जिनका नामकरण नहीं है, राजस्व में ग्राम दर्ज नहीं हैं उनको यह लाभ नहीं मिल पा रहा है. चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो. हमने कांग्रेस सरकार के जमाने में शिक्षा गारंटी स्कूल

खोले थे. हर मजरे की जहां 20-25 संख्या विद्यार्थियों की थी वहां स्कूल खुल गए. इसी सरकार के विजय शाह जी आजकल स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, मुझे लगता नहीं कि विजय शाह जी के जमाने का आदेश होगा इनके पहले के मंत्री जी को शायद समझाया गया होगा कि ऐसे मजरे-टोले जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है उन स्कूलों को बंद कर दो. ऐसा हुआ है मैं बताउंगा आपको आदेश की कॉपी दूंगा. अब उन मंत्री जी ने यह क्यों कर दिया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे उन्होंने क्यों किया लेकिन ऐसा आदेश यहां से गया कि जिन मजरे-टोलों में स्कूल हैं अगर उनमें 20-25 के आस-पास बच्चे हैं तो वे स्कूल ही बंद कर दो.

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री विजय शाह जी चूंकि कुछ ज्यादा गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं इसलिये मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, माननीय श्री गुप्ता जी आप ही सुन लेना कि उन स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हो गया. अब आदेश जारी हो गया जो 3-3, 4-4 साल के बच्चे स्कूलों में जाना चालू हुए थे, क्या उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूलों में जाएंगे ? एक तरफ तो केन्द्र सरकार मध्याह्न भोजन के जरिये और हमारी सरकार भी सुनिश्चित कर रही है कि ज्यादा-से-ज्यादा हमारी आबादी शिक्षित हो. लेकिन दुर्भाग्य से वहीं दूसरे विभाग इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया संख्या नहीं है तो स्कूल बंद कर दो. बिल्डिंग बनी हैं लेकिन उन बिल्डिगों का क्या होगा ? मैंने किसी कलेक्टर से पूछा कि इन भवनों का क्या होगा तो कलेक्टर का जवाब था कि सरकार ने कहा है कि बिल्डिगों का उपयोग तुम जानो यह हमारा काम नहीं है, लेकिन ऐसे स्कूलों को बंद कर दो जहां पर संख्या कम है. तो यह बड़ी विचित्र स्थिति इन मजरों की हो रही है, इसलिए यह संकल्प मैं यहां माननीय मंत्री जी लाया हूं. आप जवाबदार हैं और अभी तक आपका जितना अनुभव है कि जो विभाग आपके पास में रहता है. सदन में उस पर आप कहते हैं तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसका क्रियान्यवन हो. चूंकि जिनको यह अधिकार दिये गये हैं, वह कलेक्टरों को दिये गये हैं कि कलेक्टरों को प्रस्ताव बनाना है और वे सीधे-सीधे आपके अधीन नहीं हैं. सरकार के अधीन तो हैं और आपकी बात को कितना तवज्जो देंगे, इस बात का भी मैं बहुत ज्यादा आंकलन नहीं कर सकता. लेकिन मैं आपसे उम्मीद पालता हूं कि जिस तरह से आपका स्वभाव है कि अगर आपको लगता है कि यह बात गलत है और यह गलत हो रहा है तो आप उसमें पूरी तरह से जैसे भी हो सकता है, व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं. इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए. यह बहुत बड़ी आबादी सुविधाएं से वंचित हो रही है, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे केन्द्र सरकार की योजना हो, उनको अगर आप सुविधा दिलाना

चाहता है तो इन मजरों को एक संख्या निर्धारित करके, आपने नियम बनाए होंगे, मैंने बहुत ज्यादा उसका अध्ययन नहीं किया है. चाहे आप 200-250 की आबादी करें, चाहे 500 की आबादी करें तो एक निश्चित आबादी कर दीजिए कि आदिवासियों की इतनी या किसी वर्ग की भी आप अलग से निर्धारित करना चाहें तो छोटी-छोटी बस्तियों को भी उसमें समाहित कर सकते हैं. बहुत सारे मजरे टोले जो आपकी योजना चल रही है जिसका नाम शायद अटल ज्योति योजना है, और एक और कोई योजना है, उसमें भी मैंने ठेकेदारों को बुलाकर पूछा कि ये मजरे आप क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जिन मजरों का नाम ही नहीं है, उनको हम कहां लिखें? इनका नाम ही पता नहीं है तो हम लिखे क्या? हम काम कर देते हैं तो हमारा भुगतान नहीं होता. ऐसे बहुत सारे हर विधायक के क्षेत्र में मजरे, टोले हैं जिनके वास्तव में नाम है ही नहीं तो वे काम भी कैसे करें? ठेकेदारों के सामने यह समस्या है. विभाग कहता है कि इसका नाम नहीं है, हम इसे रिकॉर्ड कहां करें? कभी कभी तो राजस्व ग्राम के कम्प्यूटर में उस मजरे के नाम नहीं है तो वहां भी दर्ज करने की समस्या पैदा होती है तो इसलिए इनका नामकरण करना जरूरी है. बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही हम नामकरण संस्कार करते हैं. ये जो हमारे बच्चे हैं, जिनको पैदा हुए वर्षों गुजर गये, कई कई मजरे तो 50-50 साल, 25-25 साल के हो गये, उनका आज तक नाम ही नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है..

उपाध्यक्ष महोदय - आपकी नजरे इनायत तो इस दिशा में हुई, आप तो सीधे देख रहे थे, आसंदी को देखते ही नहीं है.

श्री के.पी. सिंह - नहीं, नहीं. उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह आपके माध्यम से ही कह रहा हूं. चूंकि उम्मीद कर रहा हूं हमारे कुछ सत्तापक्ष के सदस्य हैं क्योंकि यह मामला किसी अकेले एक क्षेत्र का नहीं है तो सब लोग मिलकर इस बारे में सोचेंगे, सरकार भी सोचेगी और सरकार पर दबाव डालेंगे तो शायद यह दुर्व्यवस्था के शिकार जो लोग हो रहे हैं. जो बिना नाम के हमारे तमाम मजरे, टोले असुविधाओं के शिकार हैं, जो सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उस बारे में सरकार अगर कोई निर्णय करेगी तो इस संकल्प का कोई अर्थ निकलेगा. वरना पिछले समय भी यह संकल्प आया था, उस संकल्प को पास हुए जहां तक मुझे अंदाज है करीब-करीब 8 से ज्यादा साल हो सकते हैं. चूंकि सही तारीख मुझे याद नहीं है. अब उस समय जब 6 महीने का वायदा था तो 6 महीने के वायदे में 8 साल से ऊपर गुजर गये और एक जवाबदार मंत्री ने यहां अपना जवाब दिया था. उनका कहना था कि नियमों में प्रावधान है, अब सिर्फ कलेक्टरों को यह करना है. अब इसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत समझ में नहीं आती कि नियमों में कोई अलग से व्यवस्था करना है तो

माननीय मंत्री जी और उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप उचित समझेंगे तो आप भी इसमें कुछ निर्देश देना चाहेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस संबंध में तत्काल किसी निर्णय की आवश्यकता है, जिससे इन मजरे, टोलों की समस्याएं जो हैं उनको उससे निजात दिला सकें और इसी उम्मीद के साथ मैं यह संकल्प यहां पर लाया हूं. समस्त उपस्थित सदस्यों से भी प्रार्थना है कि इसमें आप सब सहयोग करेंगे और यह व्यथा आप सबके इलाके की भी है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह संकल्प यहां पर रखा है और उम्मीद करता हूं कि यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाय, चूंकि नियम पहले से बने हुए हैं सिर्फ उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है. सरकार पर कोई बाध्यता नहीं आ रही है. नियम पहले से हैं. सिर्फ उनका क्रियान्यवन नहीं हो रहा है और क्रियान्वयन के लिए अगर संकल्प पारित होता है तो उसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है कि जिस तरह से श्री तिवारी जी को संकल्प वापस लेने के लिए कहा गया है. मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मुझसे इस संकल्प को वापस लेने को नहीं कहेंगे. चूंकि क्रियान्वयन भर की बात है, कोई नया कानून नहीं बना रहे हैं. (किसी माननीय सदस्य के बैठे-बैठे कुछ कहने पर) मैं फैसला नहीं कर रहा हूं. मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं. अगर आपको अनुरोध ही खराब लग रहा है तो फिर आपकी मर्जी है. उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र पटेल(इछावर)-- उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय के पी सिंह जी के साथ मेरा भी संकल्प लगा था. मैं इस अशासकीय संकल्प लाने के पहले की कुछ स्थितियां बताना चाहता हूं. मैंने जिला योजना समिति में मेरे जिले और मेरी विधान सभा के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची कलेक्टर को दी थी. वहां पर उस बारे में सुनवाई नहीं हुई. मैं उन 4 गांव का उल्लेख करना चाहता हूं. एक गांव का नाम खजूरिया डेंगी लेकिन वह वास्तव में दो गांव है और उनकी दूरी आपस में 2 किलोमीटर से ज्यादा है. डेंगी की जनसंख्या लगभग 500 से भी ज्यादा है लेकिन एक नाम खजूरिया डेंगी होने के कारण उसको एक ही गांव माना जाता है. दो अलग अलग गांव नहीं माने जाते हैं. इसके कारण जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं उनका उल्लेख मैं बाद में करुंगा. इसी तरह खारी गांव का सेमलघाटा गांव है उसकी भी दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा होने के बाद भी आज तक वह गांव घोषित नहीं हुआ. इसी तरह नयापुरा गांव है जो कलारिया पंचायत में आता है उसकी भी यही स्थिति है. एक गांव जूनापानी है उसकी जनसंख्या हजार के लगभग है लेकिन वह भी आज तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुआ.

उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले यह विषय जिला योजना समिति में उठाया. उसके बाद पिछले सत्र में 22.2.2017 को मैं एक ध्यानाकर्षण लेकर आया था जिसका जवाब माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी ,मंत्री जी ने दिया था. मुझे जानकारी मिली की श्री के पी सिंह साहब पिछले सत्र में भी यह विषय लेकर आये थे और जिस तत्कालीन राजस्व मंत्री का वह जिक्र कर रहे वह मेरी इसी इछावर विधान सभा के थे जहां का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. वहां के चार गांव की स्थिति मैं आपके सामने रख रहा हूं. अगर उन चार गांवों का कुछ नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में नहीं हुआ होगा. खैर ! मेरे ध्यानाकर्षण के बाद माननीय उमाशंकर गुप्ता जी ने एक पत्र भी हम सबको लिखा है जिसमें अपने-अपने गांव की उनने सूची भी मांगी है कि आपके यहां ऐसे कौन-कौन से गांव हैं उनकी सूची उपलब्ध करायें ताकि ये गांव राजस्व गांव बन सकें. मैंने वह सूची जिला कलेक्टर और माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रुप से भी दी है.

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो नियम गाईड लाइन में बने हैं उसमें 2 किलोमीटर की दूरी और उस गांव की जनसंख्या लगभग 200 से ज्यादा होना चाहिए और उस गांव में जो मजरा है, टोला है या जिसका राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं है-अनाम है, वहां पर रहने वाले लोगों के पास 200 एकड़ के लगभग काश्तकारी की जमीन होना चाहिए. यह गाईड लाइन बनी हुई है. लेकिन अगर कोई गांव वहां बस गया है और उसकी जनसंख्या 200 नहीं होगी तो उसका क्या होगा? या दो किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहां पर जमीन नहीं होगी तो उनका क्या होगा? क्या उनको राजस्व ग्राम नहीं बनाया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से अनुरोध है कि एक किलोमीटर का नियम हो और वहां की आबादी 200 से अगर ज्यादा हो गई होगी तो निश्चित रुप से उसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाये. मुझे यह भी पता है कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि कहीं 50 लोग रह रहे होंगे और वह राजस्व ग्राम घोषित हो जाये यह संभव नहीं है इसलिए आप 200 की आबादी का क्राइट एरिया रख सकते हैं. आदिवासी क्षेत्र में थोड़ा भार कम कर सकते हैं क्योंकि बहुत से आदिवासी भाई जगह जगह रहते हैं. उनकी आबादी अगर कम हो तो उनके लिए एससी/एसटी का नियम हो सकता है. लेकिन जहां सामान्य की आबादी हो वहां पर 200 की आबादी और 1 किलोमीटर की दूरी का क्राइट एरिया रख सकते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय के पी सिंह जी ने बाकी समस्याएं तो बता दी हैं. लेकिन जो बड़ी समस्या है वह सड़क की है. हमने प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना में सडकें बना दी हैं. प्रधान मंत्री सड़क योजना में 250 से ऊपर और मुख्यमंत्री सड़क योजना में 0-250 तक सड़कें

बना दीं. लेकिन जो इस तरह के गांव हैं, वहां पर कोई सड़क नहीं बनी हैं. पंचायत के पास इतना बजट नहीं होता है कि वहां के लिए मेटल या सेमी मेटल रोड्स बना सकें. सबसे मुख्य समस्या वहां पर सड़क की आती है. ऐसे बहुत से मजरे-टोले हैं वहां आंगनबाडियां तो बन गई हैं लेकिन सड़क नहीं बनीं.

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जैसा आदरणीय के पी सिंह जी ने कहा कि वहां बिजली की भी समस्या रहती है. बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली नहीं है. आज के समय में अगर हम बिजली नहीं दे पायें तो यह सबसे बड़ी समस्या वहां के लिए हो सकती है.

उपाध्यक्ष महोदय,इसके पहले भी केपी सिंह जी अशासकीय संकल्प लेकर आये थे. मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि आज आप यहां से घोषणा करें कि जो भी गांव है जिनकी दूरी मूल गांव से 1 किलोमीटर हो और 200 की जनसंख्या हो वह राजस्व ग्राम घोषित हो ताकि उन्हें सड़क,बिजली और स्कूली शिक्षा का फायदा मिले. धन्यवाद.

श्री गोविन्द सिंह पटेल(गाडरवारा) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय के.पी.सिंह जी द्वारा रखा या है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं. वास्तव में मजरों,टोलों में बहुत सी समस्याएं हैं. पहले जो मजरे,टोले बसे हुए हैं उनमें दो-चार मकान थे लेकिन वे अब बड़े हो चुके हैं. तो वहां सड़क की समस्या होती है. प्रधानमंत्री सड़क योजना या मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत उन्हीं ग्रामों में सड़क बनाई जाती है जो राजस्व ग्राम हों और राजस्व ग्राम न होने के कारण उन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा जाता है दूसरे जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है उसमें राजस्व ग्राम घोषित होना चाहिये. वैसे 24 घंटे बिजली हर गांव में मिलती है लेकिन जो मजरे,टोले हैं उनकी बसाहट कितनी भी हो चुकी हो लेकिन वहां अभी तक 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है. यदि वे राजस्व ग्राम हो जायेंगे तो उन्हें 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी क्योंकि हर जगह बिजली मिलने के कारण वे दुखी होते हैं कि हम भी यहां के नागरिक हैं, वोट डालते हैं तो हमें 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही. तो ऐसे मजरे,टोले जहां की जनसंख्या की पात्रता आती है, 200 की जनसंख्या या 2 कि.मी. की मूल गांव से जिनकी दूरी है और जिन किसानों का रकबा है, वह पात्रता भी रखते हैं उन्हें राजस्व ग्राम हो जाना चाहिये. वहां शाला भवन भी होने चाहिये और जो अन्य सरकारी सुविधाएं जो अभी उन्हें नहीं मिल रही हैं तो उन्हें वह मिलना चाहिये. मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं वहां सिर्फ एक राजस्व ग्राम घोषित हुआ है. एक पना गांव का धानाटोला है, वह राजस्व ग्राम में परिवर्तित हुआ. उसका फायदा यह हुआ कि वहां प्रधानमंत्री सड़क योजना स्वीकृत हो गई और वह सड़क वहां बन भी गई. वहां लगभग एक हजार की आबादी रहती थी,

उनको फायदा हुआ. वह मूल गांव से 4 कि.मी. दूर था लेकिन सड़क न होने के कारण वहां के लोग परेशान थे. वहां सड़क बन चुकी है. ऐसे कुछ मजरे,टोले वहां और हैं जिनकी मूल गांव से दूरी की पात्रता आती है उनको राजस्व ग्राम बनना चाहिये. एक वहां चांदनखेड़ा गांव है,जो चीचली विकासखण्ड में आता है, उसका नाम है डंगियाटोला, जिसकी जनसंख्या 1 हजार है. उसकी दूरी 3 कि.मी. है. वह राजस्व ग्राम बन जाये. दूसरा छेनाकछार का नयाखेड़ाटोला गांव है जिसकी जनसंख्या 500 है, उसकी दूरी 3 कि.मी. है. वह राजस्व ग्राम बन जाये. एक है पमोरीकला जो सांईखेड़ा ब्लाक में आता है उसका टोलापड़ेला गांव,उसकी जनसंख्या 700 है और उसकी दूरी ढाई कि.मी. है. एक मड़गुला गांव जो सांईखेड़ा ब्लाक में आता है, उसका माटियाटोला गांव है, जिसकी जनसंख्या 500 है और दूरी 2 कि.मी. है और एक है रिछावर गांव का नागरटोला, जिसकी जनसंख्या 500 है और दूरी 3 कि.मी. है तो ये मजरे,टोले राजस्व ग्राम की पात्रता रखते हैं तो इनको राजस्व ग्राम बना दिया जाये और वनवासी क्षेत्र में बहुत से ऐसे टोले हैं जहां शिक्षा गारंटी भवन भी बने हैं और वहां बसाहट भी है तथा 200 से ऊपर की बसाहट वहां है, तो उनको भी राजस्व ग्राम बना दिया जाये, तो मूलभूत सुविधाएं जो राजस्व ग्राम को मिलती हैं वे उनको भी मिलने लगेंगे.उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया धन्यवाद.

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे(अटेर) - आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय के.पी.सिंह जी को और आदरणीय शैलेन्द्र पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को अशासकीय संकल्प के माध्यम से सदन में लेकर आये हैं. मुझे ध्यान है मैं जब उपचुनाव जीतकर आया और आते ही मैं माननीय मंत्री जी से मिला तो सबसे पहली बात जिस पर मैंने उनसे चर्चा की थी वह यही बात थी. मैंने उनको बताया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं,ऐसे कई मजरे,टोले,बसाहटें हैं जहां पर आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है. जिसका मुख्य कारण यही है कि वह राजस्व ग्राम नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने मुझसे बैठकर चर्चा की और इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में कई बातें भी हुईं. मैं 15-20 मिनट मंत्री जी के साथ बैठा और मैं इस उम्मीद के साथ आज इस सदन में अपनी बात कह रहा हूं. मंत्री जी के के स्वभाव से मैं परिचित हूं. बहुत तेजतर्रार मंत्री हैं,बहुत जानकार मंत्री हैं, और जो काम अपने करवाने होते हैं, वे करवा लेते हैं. अन्य मंत्रियों की तरह नहीं, जहां विभाग के अधिकारी मंत्रालय चला रहे हैं, तो मैं उनसे इस उम्मीद के साथ यह बात कह रहा हूं कि यह ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य मुद्दा है. चूंकि आप शहर से चुनाव लड़ते हैं शायद आप इस बात को उतना नहीं समझ पायें लेकिन हम लोगों के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. जब हम गांव में वोट मांगने जाते हैं तो हम लोग सभी से एक

भाव से वोट मांगते हैं चाहे वह एक छोटे से मजरे,टोले का व्यक्ति हो, चाहे वह राजस्व ग्राम का व्यक्ति हो, लेकिन जब विकास की बात आती है,उस तक लाभ पहुंचाने की बात आती है तो अधिकारी लिखकर दे देते हैं कि राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण यहां हम आंगनवाड़ी नहीं दे सकते. राजस्व ग्राम न होने के कारण हम यहां स्कूल नहीं दे सकते. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अस्वीकृत किया जाये, मुख्यमंत्री सड़क योजना को अस्वीकृत किया जाये. हर चीज में जैसे कि अछूतों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है. मैं समझता हूं कि ऐसा (XXX) नहीं होना चाहिये. जैसे वह लोग हैं वैसे ही बाकी लोग हैं और यहां तो मेरी विधान सभा में कई जगह ऐसी स्थिति है जैसे दीनपुरा, खोड़की की बात की जाये या पचौरन के पुरा की बात की जाये, यह ऐसे मजरे टोले हैं जिनकी जनसंख्या आज की तारीख में रेवेन्यू विलेज से ज्यादा हो चुकी है मतलब पुत्र पिता से बड़ा हो चुका है, लेकिन पुत्र का नामकरण आज तक नहीं हुआ जैसा कि के.पी. सिंह जी ने कहा अगर उनकी भाषा में मैं कहूं तो इन गांवों को विकास से वंचित रखने का क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा और इस तरह के इश्यू कोई आज का मुद्दा तो यह है नहीं, यह तो बहुत सालों से चला आ रहा है. जब मेरे पूज्य पिताजी जीवित थे, उनके माध्यम से 46 प्रस्ताव अटेर विधान सभा में सड़क निर्माण के लिये दिये थे और मुझे ध्यान है उसमें से 41 प्रस्ताव अस्वीकृत होकर आये थे यह कहते हुये कि यह रेवेन्यू विलेज नहीं होने के कारण, मेरा तो काम है, हम विधायक हैं, हम विपक्ष में हैं हम तो प्रस्ताव देंगे, लेकिन क्रियान्वयन करना आपका काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है वह हमारे हाथ में नहीं है नहीं तो हम आपको करके दिखाते अगर आज हमारी सरकार होती तो आप हमसे बोलते हम आपको वह करके देते, लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है इसलिये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उस गांव का बेटा होने के नाते, विधान सभा का एक मतदाता होने के नाते, विधायक होने के नाते मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह ही कर सकता हूं कि आप इस समस्या को समझें और इसमें सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो शायद आप और हम देख नहीं पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे हैं वह मुद्दा यह है जैसे अब चौमासा आने वाला है इस बारिस में पूरी जो सड़कें रहेंगी वह पूरी कीचड़ से भर चुकी होंगी. अंदर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया वह 108 पर फोन करेगा, आदरणीय मैं आपको बताना चाहता हूं वह 108 अंदर जा नहीं सकती, पहले तो वह 108 अंदर जायेगी नहीं और अगर वह 108 जाने की कोशिश करेगी तो वह कीच होने के कारण अंदर पहुंच नहीं सकती और ऐसे कई लोगों ने मेरे क्षेत्र में जान गंवाई है. वहां पर ऐसी महिलायें हैं जिनकी गांव के अंदर डिलेवरी करनी पड़ी यह बहुत शर्मनाक बात है. यह कहीं न कहीं चाहे, अनचाहे एक पाप हो रहा है. इस पाप का भागीदार मैं तो

हूं ही लेकिन मुख्य भागीदार आप और मुख्यमंत्री जी इसके बनेंगे क्योंकि करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो सिर्फ प्रस्ताव भेजना है और माननीय मंत्री जी आपसे मेरा यह भी अनुरोध है कि आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं तो आपको उस नाते मुझे डबल देखना पड़ेगा और मैं आपका भतीजा हूं कहीं न कहीं तो उस नाते भी आपको मेरी विधान सभा को देखना पड़ेगी क्योंकि मेरे पास बहुत अल्प अवधि बची हुई है. आपको अटेर विधान सभा की ओर देखना पड़ेगा, मेरे पूज्य पिताजी भी बीमार रहे तब भी वह विकास से वंचित रहा, उसके बाद जैसे ही उप चुनाव की बारी आई तो मुख्यमंत्री जी ने आकर के बड़े धड़ल्ले से वहां घोषणायें कीं और वह (XXX) के साथ कीं. मैं यहां पर बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं बड़े (XXX) के साथ कीं.

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुंवर विजय शाह)-- आप अशासकीय संकल्प पर बोलिये, आप भाषण दिये जा रहे हैं, हम केवल आपके पिताजी का सम्मान कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है.

उपाध्यक्ष महोदय-- हेमंत जी आप विषय से मत भटकिये.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)-- उपाध्यक्ष जी, इस बात को कार्यवाही से निकाला जाये.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे-- आप उपाध्यक्ष जी को बताइये मत कि क्या करना है आप अनुरोध कर लीजिये, उन्हें जो करना होगा वह कर लेंगे. उपाध्यक्ष जी, आप देख लीजियेगा जो नियम कहता है उसके हिसाब से कर लीजिये, लेकिन आप उनको कृपया निर्देशित मत कीजिये.

उपाध्यक्ष महोदय-- ठीक है, उस शब्द को निकाल दीजिये.

श्री हेमंत सत्यदेव कटारे-- उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि जो ढाई सौ या उससे अधिक जनसंख्या के ये जो मजरे टोले हैं उनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया जाये. जो वहां पर इस तरह की समस्यायें हैं उनसे पार पाने के लिये जो भी कदम उठा सकते हैं माननीय मंत्री जी उस दिशा में आगे बढ़ें और जिस तेजतर्रार तरीके से उन्होंने गृह मंत्रालय को संभाला था उसी तरीके से इस मंत्रालय को भी देखें और हमारे भिंड जिले को जो कि ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है खास तौर से अटेर विधान सभा उसमें सबसे पिछड़ी हुई विधान सभा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में, आने वाले एक वर्ष में इसमें काम होगा, आगे प्रगति होगी. बहुत-बहुत धन्यवाद.

……

(XXX) : आदेशानुसार रिकार्ड से निकाला गया.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय के.पी.सिंह जी को और शैलेन्द्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस प्रस्ताव को, उस अशासकीय संकल्प को यहां प्रस्तुत किया जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और माननीय राजस्व मंत्री जी लगातार चिंतित हैं और पिछले दिनों बातें चर्चा में आई भी थी कि इसका किस प्रकार से समाधान जो गाइडलाइन है जो मानदण्ड हैं उनको संशोधित करते हुये किया जाये. मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 18 जुलाई को अभी 3 दिन पहले ही मेरी शून्यकाल की सूचना थी जिसमें मैंने भी इस बात को उठाया था कि मेरी विधान सभा क्षेत्र का पालसोड़ा, अजनोटी और आक्यउमाड़ा यह तीन गांव ऐसे बच रहे हैं . वह जो मजरे टोले गांव है, वहां एक नई विसंगति और एक नई परेशानी सामने आ गई है. मजरे टोले कोई नई बात नहीं है वह बहुत पुराने समय से चले आ रहे है. आन लाईन और आफ लाईन जब से व्यवस्थायें प्रारंभ हुई है तब से हितग्राहीमूलक योजनाओं में उन पात्र लोगों को दिक्कत आ रही है. उदाहरण के लिये जैसे सायकिल किसी बेटे बेटी को मिलना है तो चूंकि ग्राम पंचायत का मुख्यालय है उस पर तो आफ लाईन थे तब भी मिल जाती थी लेकिन आन लाईन होने के कारण अब राजस्व गांव में उन पात्र बेटे बेटियों को वह तमाम सुविधायें सुनिश्चित नहीं हो पा रही हैं.

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुंवर विजय शाह)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो सायकिलें बटेंगी अगर वह 2 किलोमीटर दूर है और वह टोले मजरे भी हैं तो उनको भी सायकिल प्रदान की जायेगी, ऐसे नियम जारी कर दिये गये हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- माननीय मंत्री जी इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इसीलिये कह रहा था कि लगातार विसंगतियां आ रहीं थी . जो हितग्राही है उसको तो इन योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिये मजरा टोला है या राजस्व ग्राम है इससे क्या मतलब है.

श्री के.पी.सिंह -- माननीय मंत्री जी, आन लाईन में आप मजरे का नाम क्या लिखेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- मंत्री जी उसका कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है.

श्री के.पी.सिंह -- मंत्री जी, यह समस्या आगे आयेगी इसलिये मेरी जिज्ञासा है कि आप उस मजरे का नाम क्या लिखेंगे, अगर नाम नहीं लिखेंगे तो कम्प्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा.

कुंवर विजय शाह- किस गांव से रिलेटेड है, उसमें कैटेगिरी दे रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी यही मांग है कि कम्प्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. क्योंकि कोड होता है, जो कोड होता है वह ग्राम पंचायत के हिसाब से

होता है राजस्व ग्राम के हिसाब से कोड जारी होता है. मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं.

श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा- यशपाल भैया उसका कम्प्यूटर कोड कैसे होगा.

उपाध्यक्ष महोदय- राजेन्द्र जी कृपया आपस में बात न करें.

कुंवर विजय शाह - आप मेरी बात सुनें, आप तो सायकिल से मतलब रखो. कौन देगा, कब देगा.

श्री के.पी. सिंह -- मंत्री जी आपने तो यहां पर कह दिया लेकिन जो कम्प्यूटर में फीड करने वाले हैं वे कह देंगे कि कोड नहीं है तो नहीं मिलेगी.

कुंवर विजय शाह -- कक्काजू, अपन 28-30 साल से इस सदन के सदस्य हैं.

श्री के.पी. सिंह -- आप हमारी छोड़ो बाकी लोगों की चिंता करो.

कुंवर विजय शाह-- जो माननीय उपाध्यक्ष जी के सामने विजय शाह ने घोषणा कर दी वह तो होगी.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं कि हितग्राही मूलक योजना का लाभ राजस्व ग्राम का व्यक्ति हो या मजरे टोले का हो उन सबको मिलना चाहिये यह मेरा सुझाव है. आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा(धार) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करती हूं. भाई यशपाल सिंह जी ने जो बातें यहां पर रखी हैं उनकी सभी बातों का समर्थन करते हुये मैं केवल एक सुझाव मंत्री जी को देना चाहती हूं कि मेरी विधानसभा में 300 तक की आबादी के सभी गांव प्रधान मंत्री सड़क से जुड़ चुके हैं लेकिन कुछ गांव जो मजरे टोले के नाम से वंचित हैं क्योंकि जब मजरे टोले बने थे तो 100 और 50 की आबादी के थे आज वही 500 से अधिक की आबादी के हो गये हैं. उनको न तो मूलभूत सुविधायें प्राप्त हो रही हैं , मानवता के नाते भी हम उनको मूलभूत सुविधायें नहीं दे पा रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, नल जल योजना जो मुख्यमंत्री जी कल्पनाशील योजना है उनका भी लाभ नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी योजना का लाभ उनको नहीं दिला पाते हैं तो मेरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव जैसे पाथलिया, शंकरपुरा, गोविंदपुरा, नयापुरा और कृष्णापुरा ऐसे कई गांव है जो 500 से अधिक की आबादी के हैं इनको राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का कष्ट करें क्योंकि यह पूरे प्रदेश की समस्या है, मैंने जो गांव के नाम बताये हैं इस पर ध्यान देते हुये मंत्री जी इनको अतिशीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करेंगे तो मुझे लगता है कि हम

इंसानियत और मानवता के साथ में इंसाफ कर पायेंगे. माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी, मैंने भी आपको प्रस्ताव दिये हुये हैं 7-8 मजरों के.

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) --जी. जब आसंदी की उदारता किसी मामले में होती है तो मैं समझ जाता हूं कि उनका समर्थन है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है, इसका विरोध कोई कर ही नहीं सकता. सभी के लिये चिंता का विषय है लेकिन हम सब जैसा जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं भी गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं, संवेदनशील है और उन्होंने भी इस संबंध में चिंता की है. उनकी इस संबंध में एक घोषणा है. घोषणा क्रमांक 0969 और उसको ध्यान में रखते हुये ही राजस्व विभाग के द्वारा 11. जनवरी, 2010 और 8 जुलाई, 2011 को सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लेख किया गया है कि शासन के पत्र के बिंदू तीन में उल्लेख है कि धारा 71 से 85 के लिये मजरे टोलों को पृथक राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु प्रक्रियात्मक प्रावधान इन धाराओं के अधीन बने नियमों में है अतएव उक्त प्रावधानों का पालन करते हुये त्वरित परीक्षण कर अपने जिले के मजरे टोलों को पृथक राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में समुचित कार्यवाही करें. यह जो क्राईटेरिया है यह जो मापदंड हैं वह पूरे करना चाहिये जैसे नंबर (1) मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 किलोमीटर या उससे अधिक होना चाहिये (2) पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो तथा पृथक हुये उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होना चाहिये और तीसरा है पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की चतुर्थ सीमाएं मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलना चाहिए. मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमाएं मूल ग्राम के अंदर ही स्थिति न रहे, यह क्राइटेरिया के आधार पर हमने प्रस्ताव मांगे थे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सदस्यों को शायद यह जानकर हर्ष होगा कि 51 जिलों में से 44 जिलों से प्रस्ताव कलेक्टरों ने हमारे पास भेजे हैं, जिनका परीक्षण हो रहा है और हम उनकी अधिसूचना जारी करेंगे. पृथक राजस्व ग्राम सृजित करने के परिणामस्वरूप नवीन ग्राम और पुराने ग्रामों को पुनरीक्षित अधिकार अभिलेख तैयार कराने हेतु भू-राजस्व संहिता की धारा 108 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की अधिसूचना जारी करने के लिये प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं. हमारे यहां से अधिसूचना जारी होती है. हमारे द्वारा 44 जिलों में 585 मूल ग्रामों में 680 मजरे टोलों को चिन्हांकित किया गया है. कुल 585 मूल ग्राम और 680 मजरे टोले इस प्रकार 1265 ग्रामों के अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य कराया जा रहा है. इस

हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 18/01/2016 में दिये गये निर्देशानुसार शासन द्वारा इस काम को समय सीमा में करने के लिये सभी कलेक्टरों को निर्देशित भी किया गया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने भी एक महीने पहले माननीय सभी विधायकों को एक पत्र लिखा था कि अगर ऐसी कहीं कोई समस्या है तो वह बताएं और इसका उल्लेख श्री शैलेन्द्र जी ने किया भी था. अगर कहीं ऐसी समस्या है तो उससे संबंधित प्रस्ताव कलेक्टर को दें.

श्री वेलसिंह भूरिया - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी को चिट्ठी प्राप्त हो गई है.

श्री उमाशंकर गुप्ता - अगर चिट्ठी प्राप्त होने के बाद उसका रिस्पांस भी मिल जाए तो काम जल्दी हो जाएगा.

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा - माननीय मंत्री जी उसके क्रायटेरिया में संशोधन करने की आवश्यकता है. क्राइटेरिया बहुत हार्ड है और राजस्व अधिकारी इस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती से पालन करते हैं

श्री उमाशंकर गुप्ता - मैंने यह भी लिखा है कि अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना है या आपको कोई कठिनाई आ रही है तो हमें बताएं. इस क्रायटेरिया के सभी गांवों को हम राजस्व ग्राम बना देंगे और हमारे पास इससे संबंधित 44 जिलों के प्रस्ताव आ भी गये हैं तथा सात जिलों के प्रस्ताव भी हम बहुत जल्दी मंगा लेंगे. मुझे विश्वास है कि दिसंबर 2017 तक इस क्राइटेरिये के अंतर्गत मध्यप्रदेश में जो भी मजरे टोले हैं, उन सबको हम राजस्व ग्राम बना देंगे. लेकिन अगर इस क्राइटेरिये से हटकर कोई मामलें ऐसे हैं तो मैंने इस संबंध **में** सुझाव मांगें हैं और कलेक्टरों से भी कहा कि आपको कहीं कोई सुझाव समझ आए तो हमें दीजिए. लेकिन पहले मेरा आग्रह यह है कि इस क्राइटेरिये के अंतर्गत जो मजरे टोले हैं इनको राजस्व ग्राम घोषित कर दें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रत्येक माननीय विधायक से आग्रह है कि इसके अतिरिक्त उन्हें कहीं पर लगता है कि मजरे टोलों की दूरी कम है लेकिन राजस्व ग्राम बनना चाहिए तो वह अपने-अपने जिले और क्षेत्र के संबंध में लिखकर देंगे तो हम अलग-अलग प्रकरण के बारे में निर्णय कर लेंगे क्योंकि सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं होती है. कहीं आदिवासी क्षेत्र होता है जहां मजरे टोलों की दूर-दूर होते हैं, कहीं सघन होते हैं हमने इसलिए प्रस्ताव लिखित में माननीय विधायक से मांगे हैं और कलेक्टर्स को भी इस संबंध में कहा है कि आपके जो प्रस्ताव आएंगे उनको हम गंभीरता से ही लेंगे और यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. हमारी यह

कोशिश है कि हमारे जो मजरे टोले हैं, यह शासकीय योजना और शासकीय सहायताओं के लाभ से वंचित नहीं रहे. इस संबंध में हम संबंधित विभागों के साथ बैठकर बातचीत भी करेंगे और शीघ्र से शीघ्र जो भी मजरे टोले इस लायक हैं और इस क्रायटेरिये में आएंगे उन मजरे टोलों को हम दिसंबर 2017 के पहले तक राजस्व ग्राम घोषित कर देंगे (मेजों की थपथपाहट). बाकी इससे हटकर कुछ सुझाव आएंगे तो उस पर भी हम विचार करेंगे. चूंकि हम यह नियम और प्रक्रिया चला ही रहे हैं इसलिए मैं श्री के.पी.सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं कि इसमें कोई अतिरिक्त निर्णय नहीं होना है, इसका क्रियान्वयन ही होना है इसलिए संकल्प को वापस ले लें हमारी सरकार आपकी भावना के अनुरूप ही काम कर रही है. बहुत - बहुत धन्यवाद.

5.29 **आसंदी से घोषणा**

सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

5.30 **अशासकीय संकल्प (क्रमश:)**

उपाध्यक्ष महोदय - क्या माननीय सदस्य इस संकल्प को वापस लेने के पक्ष में हैं.

श्री के.पी.सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहूँगा. मंत्री जी, आपकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको 44 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं एवं आपको 44 जिलों से 680 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. अब माननीय विद्वान सदस्य सिसौदिया जी 44 जिलों से और उस समय विद्वान सदस्य आप जरा अंदाज करिये कि 44 जिलों से 680 प्रस्ताव, मतलब एक जिले से 10 प्रस्ताव हैं.

श्री उमाशंकर गुप्ता - एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये. इसमें कोई पाबन्दी नहीं है कि एक जिले से 2 या 10 आएंगे.

श्री के.पी.सिंह - मेरी पूरी बात सुन लीजिये.

श्री उमाशंकर गुप्ता - मेरा एक निवेदन सुन लें, जो आप कह रहे हैं कि मैंने माननीय विधायकों को भी पत्र लिखा है कि अगर वह है तो एक कॉपी कलेक्टर को दे दे और हमें भेज दे.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - मेरी विधानसभा में तो सिर्फ 3 गांव बच रहे हैं.

श्री के.पी.सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूँ. आपको 44 जलिों से 680 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब एवरेज आपको एक जिले से 10-12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. अगर एक जिले में 5 विधानसभा हैं तो एवरेज निकालेंगे तो 2-3 से ज्यादा नहीं होते. मैं आज बता रहा हूँ तथा ऐसे और भी माननीय विधायक होंगे, जहां सघन क्षेत्र नहीं है, वहां अगर आंकलन करेंगे तो सैकड़ों की संख्या बनती है, मैं हजार-हजार की आबादी की बात कर रहा हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय - के.पी.सिंह जी, आप आसंदी को संबोधित कीजिये. आप वहां सीधे बात करते हैं. आप थोड़ा टर्न हो जाइये.

श्री के.पी.सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे. मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि इसमें कलेक्टरों ने उतनी गंभीरता से प्रस्ताव तैयार नहीं किये, जितनी गंभीरता से हम लोग सोच रहे थे. यह हकीकत है. मैं और आप चाहेंगे तो जिन जिलों के आपके प्रस्ताव होंगे, उन्हीं जिलों में से आप मुझे एक जिले की लिस्ट दे दीजिये. मैं उन्हीं जिलों से निकालकर आपको बता दूँगा कि ये भी इस लायक थे कि इन्होंने नहीं दिए. ऐसे कामों में किसी की कोई ज्यादा रुचि नहीं होती है. जब कलेक्टर्स से नीचे मामला जाता है तो उनकी तो और ही इस कार्य में कोई रुचि नहीं होती है तो उनकी सेहत को क्या फर्क पड़ना है. हम विधायक तो कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल रूप से चूँकि हमारी जवाबदारी है, हम तो रुचि लेंगे और लिस्ट भी दे देंगे. लेकिन ये मामले ऐसे हैं कि जिनमें प्रशासकीय कर्मचारी और अधिकारियों की बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है. यह लापरवाही का ही परिणाम है कि आपको मात्र 680 प्रस्ताव आए. आप किसी मंत्री जी, जो आपके सबसे करीबी विधायक हों, उनको जरा कह दीजिये कि उनकी अपनी विधानसभा में आपके मापदण्डों को छांटकर ले आएं, मैं समझता हूँ मंत्री जी इसमें कम से कम आपकी संख्या का दो गुना एवं चार गुना का इजाफा होगा, इसमें निर्णय आपको करना है.

श्री उमाशंकर गुप्ता - उपाध्यक्ष महोदय, क्या अभी आपका कुछ रह गया है.

श्री के.पी.सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध सुन लीजिये. मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आप, मंत्री जी स्वयं जिलों में दौरा करें. आपने स्वयं कहा है कि 7 जिले रह गए हैं, 7 जिलों में जाकर बैठक करें, संभाग मुख्यालय में बैठक करें. इस बात की ताकीद करें कि इसमें

लापरवाही न बरतें, जब सरकार ने नियम बनाया है. जब आप यह तक कह रहे हैं कि सरकार के नियमों में कोई शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो हमें प्रस्ताव भेजें, हम शिथिल करेंगे. जब आपकी मंशा और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके संभागीय एवं जिला मुख्यालयों पर स्वयं जाइये और वहां विधायकों को भी मीटिंग में बुलाइये, वे अपनी लिस्ट लेकर आएंगे, कलेक्टर्स उनका जवाब देंगे. जब आपको पता लगेगा कि वास्तव में इन्होंने कितनी ईमानदारी से प्रस्ताव तैयार किए हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भोपाल में बैठकर निर्देश जारी कर दीजिये. यहां से जो उनको भेजना है, भेज देंगे और यदि नहीं भेजना होगा तो नहीं भेजेंगे. जैसे 7 जिलों में हुआ, उन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजा तो नहीं भेजा. आप इस स्थिति का वास्तव में आंकलन करना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह करने का प्रयास कीजिये, निर्णय करना आपका काम है. मुझे जो अपनी बात रखनी थी, अपना दर्द पिछले कई वर्षों से जबसे सदन में आया हूँ, यह तभी से ही है. यह मेरा 5वीं बार है. मैंने हर समय कोशिश की है एवं व्यक्तिगत रूप से हमारी सरकार के जमाने में भी राजस्व मंत्री जी को समझाने की कोशिश की थी और अभी 3 बार से, जब से अपोजिशन में हूँ तब से यह मेरा तीसरी बार का संकल्प होगा. मैं यह संकल्प तीसरी बार इसलिए लाया कि सरकार जब भी इसे गंभीरता से ले और जब भी सरकार को लगे कि हमें इसमें कुछ करना चाहिए तो वे करें. यदि वे नहीं करेंगे तो जैसा है, वैसा चल ही रहा है, 2017 तथा 2018 भी हो ही जाएगा. उसके बाद भी गांव, मजरे सलामत रहेंगे.

श्री उमाशंकर गुप्ता - उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली बार अशासकीय संकल्प नहीं लाना पड़े और आपने जो सुझाव दिया है, हम उसका भी पालन करेंगे. लेकिन मैं आपके माध्यम से, जो माननीय सदस्य यहां हैं एवं जिनको मैंने पत्र लिखे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी, एक कठिनाई जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वह दूरी की है, बाकी 200 एकड़ जमीन वह सब तो ठीक है लेकिन अगर एक किलोमीटर विचार करेंगे.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी और विसंगति आएगी, हम उसमें निर्णय ले लेंगे, पहले उन गांव में जहां वर्षों से लंबित है कर देंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हम संभागों में भी जाएंगे. अभी एक बात केवल जानकारी के लिए देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस 15 दिन में दो बार केवल राजस्व समस्या को लेकर ही कलेक्टरों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की हैं और वे स्वयं इस बात की मॉनीटिरिंग कर रहे हैं कि सीमांकन, बंटवारा, कम्प्यूटराइज्ड हो रहा है कि नहीं. इस विषय को हम उसमें भी रखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी. शिवपुरी जिले का तो मैं

आदरणीय के.पी. सिंह जी से कहता हूं कि चार्ट बनाकर मुझे दे दें, एक जिला आपको दिया हम सारे गांव को मजरे करा लेंगे, इसलिए आग्रह करता हूं कि आप इस संकल्प को वापस ले लें.

श्री शैलेन्द्र पटेल(इछावर) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 200 एकड़ का जो नियम है, बहुत सी ऐसी जगह है प्रत्यक्ष रूप से मैं देखकर आया हूं कि वहां पर आबादी तो ज्यादा है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, इस नियम में भी कहीं न कहीं हमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे दिशा निर्देश आप आसंदी से देने का कष्ट करें.

उपाध्यक्ष महोदय - क्या माननीय सदस्य इस संकल्प को वापस लेने के पक्ष में हैं.

श्री के.पी. सिंह - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जब आश्वस्त किया है कि हम एक साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया को पूरी कर देंगे और आपने भी 1 किलोमीटर वाली बात रखी है और 200 एकड़ वाली बात माननीय शैलेन्द्र पटेल जी ने रखी है, इसमें भी आपने संशोधन का जो आश्वासन दिया है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुझे संकल्प वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है. सरकार जैसे चाहे वैसे निर्णय करें, लेकिन हमारे परेशानी को समझे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही करें, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप क्रियान्वयन की दशा में पूरी पहल करें और धरातल पर जाकर काम कराए. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प वापस लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय - क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति देता है.

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई)

संकल्प वापस हुआ

(3) <u>केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना.</u>

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर)- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि -

"सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये."

अध्यक्ष महोदय - संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अशासकीय संकल्प न केवल मध्यप्रदेश से है, बल्कि सम्पूर्ण देश से जुड़ा है, मेरा यह संकल्प संवेदनाओं से भी जुड़ा है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुकंपा नियुक्ति को केन्द्र सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ जोड़ा गया है. मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो प्रथम नियुक्ति होती है, शिक्षक-शिक्षिकाओं की, उसकी गुणवत्ता को देखते हुए बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता कर दी गई है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं. लेकिन एक शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है. ऐसा कोई शिक्षक शिक्षिका नहीं होगी, जो शिक्षक शिक्षिका के पद पर जो बी.एड. एवं डी.एड. कर रखा है और दौराने सेवा उसकी मृत्यु से पूर्व वह अपने पात्र योग्य बेटे बेटी को यह कह कि तुम जल्दी से पढ़ाई कर लो और बी.एड. एवं डी.एड. की तैयारी भी कर लें, क्योंकि पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाएंगे और तुम्हे बी.एड. एवं डी.एड. की नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, ऐसा कोई प्रसंग नहीं हो सकता है, यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा पड़ा है.

5:39 बजे {सभापति महोदय (श्री के.पी. सिंह) पीठासीन हुए}

सभापति महोदय, अनुकंपा नियुक्ति केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार में देने का प्रावधान है. शिक्षा में ऐसा उदाहरण भी है कि जिसकी पत्नी विधवा हो गई है शिक्षक पति चल बसा. एक तरफ भारत सरकार का शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, दूसरी तरफ वह पत्नी मात्र आठवीं या दसवीं पास है और वह विधवा हो गई अब उसके ऊपर शिक्षा का अधिकार का कानून आवें और उससे कहा जाए कि तुम आगे पढ़ो, ग्रेज्युशन करो, बी.एड. एवं डी.एड. करो तब तुमको नौकरी मिलेगी. यह बहुत लंबा अंतराल हो जाएगा, उसका कोई बेटा-बेटी भी नहीं है. वह अकेली विधवा महिला है. ऐसे में सदन क्या विचार करता है तथा हमारा क्या विचार है ? हम भारत की सरकार को किस प्रकार से किस प्रकार से प्रस्ताव को अनुशंसित कर सकें. हमने यहां भी देखा है कि हम जनप्रतिनिधि लोग हैं सदन में हमारे वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं. हमने पुलिस विभाग में नाबालिग बच्चों को बाल पुलिस के रूप में देखा है. आपका बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव है. मैं जब पढ़ता था तो तब किसी छोटे पुलिस कर्मचारी को देखता था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि आठ-दस साल का बच्चा पुलिस की गणवेश में, लेकिन उसको नियुक्ति दे दी जाती थी. इसी प्रकार से सभापति महोदय, कोई ऐसा कर्मचारी जो दिवंगत हो जाता है दफ्तर में उसकी नौकरी लगती थी उसके

परिवार के योग्य बेटे-बेटी की उसको टायपिंग नहीं आती थी उसको यह कहकर रख दिया जाता था कि छः महीने, एक साल का समय आपको दिया जाता है टायपिंग की परीक्षा पास कर के इस पद की प्राप्ति कर सकते हैं. इसको एक अवसर दिया जाता था.

माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प के माध्यम से यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु के बाद भले ही उनको डीएड, बीएड करने की अनिवार्यता का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है. तो एक विकल्प तो पूछा जा सकता है कि आप डीएड एवं बीएड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ग्रेज्यूएट ही नहीं हैं. आपने आठवीं एवं दसवीं के बाद से पढ़ना ही बंद कर दिया है. क्या आप भृत्य की नौकरी स्वीकार कर लेंगे ? क्या आप बाबू बनना पसंद करेंगे ? क्या अन्य पद पर चौकीदार के रूप में आपकी पदस्थापना की जा सकती है ? जहां तक मेरी जानकारी है कि अनुकंपा नियुक्ति में यदि 7 साल का अंतर आ जाता है. 7 साल के बाद परिवार में अनुकंपा नियुक्ति में भी दिक्कत आती है, ऐसी मेरी जानकारी है. मुझे पता नहीं है कि इसमें आगे क्या है ? लेकिन इस संकल्प के माध्यम से निश्चित रूप से शिक्षक-शिक्षिकाओं की मृत्यु के उपरांत कोई विकल्प की भी बात करनी पड़ेगी. सिर्फ शिक्षा का कानूनन अधिकार बन गया उस अधिकार के तहत डीएड एवं बीएड अनिवार्य है. मैं समझता हूं कि प्रथम नियुक्ति के लिये डीएड एवं बीएड की आवश्यकता निरूपित की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में डीएड एवं बीएड का महत्व है. मैं इस बात को स्वीकार करता हूं. केन्द्र की अनुशंसा विकल्प नौकरी को दिये जाने को लेकर के और शिक्षा विभाग में पड़े अनेक रिक्त पद हैं. ऐसे रिक्त पद जो भर्ती हो नहीं पा रहे हैं. अगर परिवार में अनुकम्पा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिये ऐसा कोई अनुबंध करें कि शिक्षक बनाने के बजाय आपको उप संचालक शिक्षा के दफ्तर में बैठना पड़ेगा या आपको मिडिल स्कूल में, हायर सेकेण्डरी स्कूल में, कहीं क्लेरीकल में तथा ऑफिस में बैठना पड़ेगा तो इससे मैं समझता हूं कि कोई रास्ता साफ हो सकता है. चूंकि बार-बार इस बात को लेकर के उदाहरण देकर के बैठे रह जाएंगे कि केन्द्र की सरकार ने शिक्षा के अधिकार का अधिनियम लागू कर दिया है तद्परांत डीएड, बीएड होना आवश्यक है और उसके कारण से मुझे नहीं पता कि कितने आंकड़े होंगे. पूरे मध्यप्रदेश में सैकड़ों ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं दिवंगत हो गये हैं, इस कानून के बनने के बाद जिनके परिवार टक-टकी लगाये बैठे हैं कि उनको अनुकम्पा नियुक्ति मिल जाए, लेकिन उनके बेटे-बेटी अथवा उनकी विधवा पत्नी डीएड एवं बीएड नहीं कर पाये उसके कारण से उनको जो कानून अधिकार है अनुकम्पा नियुक्ति का, यह सारे के सारे प्रकरण अटके पड़े हैं. यह माननीय शिक्षा मंत्री ही बता पाएंगे कि पूरे मध्यप्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर के इस

अधिनियम के बाद कितने पात्र लोग अथवा कितने चाहने वाले लोग जिनके घर का मुखिया चला गया है. वह चाहे शिक्षक हो अथवा शिक्षिका हो, लेकिन उनकी विधवा पत्नी अथवा परिवार में बेटा-बेटी अनुकंपा नियुक्ति को प्राप्त करने के लिये सरकार की तरफ से चाहे भारत की सरकार हो अथवा राज्य की सरकार हो, उसकी तरफ वह निगाह लगाये बैठे हैं इसलिये मेरा जो अशासकीय संकल्प है, उस कानून के तहत एक विकल्प के रूप में या एक सुझाव के रूप में इसको मेरी ओर से इस सदन में प्रस्तुत किया गया है तो मैं समझता हूं कि अन्य सदस्यगण भी भाग लेंगे तो विचार उसमें प्राप्त होंगे. आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद.

श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा (सोनकच्छ)--माननीय सभापति महोदय, इस अशासकीय संकल्प की नितांत आवश्यकता थी. यह केवल मध्यप्रदेश का ही विषय नहीं है अपितु पूरे भारत वर्ष का विषय है. शिक्षक परिवार के लोग अनुकम्पा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. यह अशासकीय संकल्प मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ प्रयास है. क्योंकि किसी व्यक्ति का परिवार से चला जाना, जो कमाने वाला परिवार का सदस्य हो, उसके बाद उस परिवार की क्या स्थिति होती है. हम सब लोगों को उसका गहराई से अनुभव है. इसमें संशोधन की आवश्यकता है और मेरा सदन के सभी सदस्यों से और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इसमें आवश्यक संशोधन करे. ताकि जो लोग इस संकल्प के माध्यम से नौकरी की टकटकी लगाये प्रतीक्षा कर रहे हैं ,आशावादी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं. उन लोगों को भी राहत मिल सके.

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हम जो शिक्षा का कानून अधिकार अधिनियम है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं. वह अपनी जगह है. जब हम लगातार अपनी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमको इस प्रकार की समस्या बताते हैं कि हमारे परिवार में जो शिक्षक थे वह एक्सपायर हो गये हैं. अब हमारे सामने आजीविका की दिक्कत है, हम अपना जीवन-यापन कैसे करेंगे अब हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया है. मैं यशपाल जी का धन्यवाद् करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय को यहां पर अशासकीय संकल्प के माध्यम से रखा है. मेरा इसमें माननीय मंत्री जी से भी आग्रह है कि इसमें बहुत गहराई और मानवीय संवेदनाओं से विचार करके, इसमें क्या-क्या संशोधन के साथ हम केन्द्र को अपनी अनुशंसा भेज सकते हैं, वह हमें भेजना चाहिये और इस अशासकीय संकल्प की जो भावना है, वह वह मूर्तरूप ले सके. ऐसा इसमें प्रयास होना चाहिये. ताकि जो परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिये टकटकी लगाये देख रहा है, उसको अनुकंपा नियुक्ति मिल सके. यह जरूरी नहीं है कि वह टीचर में ही भर्ती हो, उनकी जो योग्यता है, उसके अनुसार उनको काम दिया जा सकता है. सभापति महोदय, जैसा कि

यशपाल जी ने कहा कि 7 साल का समय बहुत लम्बा होता है. उनको उसी समय जब बीएड और डीएड की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी, क्योंकि हमने वास्तव में पुलिस में और अन्य जगह भी देखा है कि 6-8 साल के बच्चों को पुलिस की नौकरी में और अन्य नौकरियों में भी नियुक्ति होते देखा है. मेरा आपके माध्यम से इतना ही आग्रह है कि इसमें हमारी सरकार को केन्द्र को आवश्यक संशोधन करके अनुशंसा भेजना चाहिये. आपने मुझे इस अशासकीय संकल्प पर बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र पटेल (इछावर):-माननीय सभापति महोदय, बड़ा ही अच्छा संकल्प माननीय यशपाल जी आज लेकर आये हैं. यह बहुत ही व्यावहारिक समस्या है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कई बार यह शिकायतें आती हैं. एक तो मेरे मामाजी का ही मामला है, उनके बेटे एक्सपायर हो गये और उनका बेटा लगातार इस ओर प्रयास कर रहा है. लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है. मैं समझता हूं कि यह अधिकार केन्द्र सरकार को है, क्योंकि राईट टू एजुकेशन का निर्णय संविधान के अनुरूप भारत सरकार करेगी. लेकिन एक सुझाव मध्यप्रदेश की सरकार की तरफ से, हम सब की तरफ से केन्द्र सरकार को जाये कि इस बिल में संशोधन किया जाये. उसमें संशोधन के बाद इस तरह का रिलीफ परिवारों को दिया जाये. ताकि कोई भी परिवार सफर नहीं करे.

5.48 बजे { उपाध्यक्ष महोदय(डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह)पीठासीन हुए.}

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात और है, शिक्षा विभाग का ध्यानाकर्षण इसी बात को लेकर लगाया था कि राईट टू एजुकेशन में नर्सरी क्लास में जो दाखिले की जो जो उम्र है, वह पांच वर्ष कर दी गयी है. जबकि राईट टू एजुकेशन में साढ़े तीन साल है, जब केन्द्र सरकार का बिल पास हुआ उसमें यह दिया गया था. लेकिन मध्यप्रदेश में जो गरीब और निर्धन बच्चे हैं, जो राईट टू एजुकेशन में प्रायवेट स्कूल में भर्ती होते हैं उनकी एज लीमिट को बढ़ा दिया गया है, उसको साढ़े तीन साल की जगह पांच साल कर दिया गया है. जबकि हमारे यहां पर नियम है कि 6 साल की उम्र में पहली क्लास हो जानी चाहिये, ताकि 18 वर्ष की आयु तक वह चलते-चलते 12 वीं कक्षा को उत्तीर्ण कर ले. लेकिन अगर बच्चे का पांच साल की उम्र में नर्सरी में दाखिला होता है तो वह निश्चित रूप से वह 12 वीं क्लास 20 साल की उम्र में करेगा और ऐसे निर्धन परिवार के जो बच्चे हैं, वह कॉम्पीटिव एक्ज़ाम से बाहर हो जायेंगे, यह इस संकल्प का विषय तो नहीं है. लेकिन आपके माध्यम से शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं. ताकि वह राईट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चों का नर्सरी में एडमिशन की जो लीमिट थी, उसको वापस घटाया जाये, ताकि

उनको लाभ मिले. मैं पुन: यशपाल जी को भी और राजेन्द्र जी को भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सबकी तरफ से भारत सरकार को यह सुझाव जाये कि जितने भी इस प्रकार के मामले आते हैं, जिसमें किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार में कोई बीएड, डीएड नहीं हो तो कोई उनके परिवार में से कोई एक बार विभाग में आ जाते हैं और उसके बाद में वह नौकरी के दौरान बीएड,डीएड कर लें. इस तरह का कोई प्रावधान हो तो उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी. उनको नौकरी मिल जायेगी, चाहे किसी भी रूप में मिले वह वहां पर काम कर सकें. आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं.

श्री मुरलीधर पाटीदार (सुसनेर)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यशपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उन्होंने सदन में रखा है. प्रदेश के लगभग हर ब्लॉक में 6-7 प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें लोग हमारे सामने आकर कहते हैं कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है. मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अनुकंपा नियुक्ति में दो बिंदुओं की अनिवार्यता है. एक तो व्यापम द्वारा आयोजित टी.ई.टी. परीक्षा पास होने की शर्त है और दूसरा बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता है. जबकि इन दोनों ही बिंदुओं पर हम छूट दे सकते हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या हम सौ प्रतिशत शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन कर रहे हैं ? यदि हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सौ प्रतिशत पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में छूट दे सकते हैं और थोड़े से उदार हो सकते हैं. शिक्षक का परिवार बहुत ही छोटे तबके का होता है, उसकी तनख्वाह बहुत अधिक नहीं होती है. यदि परिवार का मुखिया चला जाये तो उस परिवार की क्या दशा होगी, इसकी कल्पना हम यहां बैठकर नहीं कर सकते हैं. यह मानव संवेदना से जुड़ा हुआ मुद्दा है. हमें इस पर गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरा एक और विनम्र आग्रह है. हमारे मंत्री जी बहुत ही बोल्ड हैं और अलग से निर्णय लेने की उनमें हिम्मत है. मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक पूर्व आई.ए.एस. का जब निधन हो गया था तो उनकी बेटी को केबिनेट ने प्रोफेसर बना दिया था. वह आई.ए.एस.था इसलिए उसके लिए अलग नियम और एक आम परिवार, शिक्षक परिवार, गरीब परिवार जो ग्रामीण अंचलों में नौकरी करता है, यदि वह मरता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं है. आम लोगों में इस बात का अच्छा संदेश नहीं जाता है. इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि व्यापम की टी.ई.टी. परीक्षा पास करने और बी.एड./डी.एड. करने के मामले में छूट

देने के संबंध में ठोस निर्णय लिया जाये. यदि व्यापम की परीक्षा लेना आवश्यक है तो बाद में भी परीक्षा ली जा सकती है और बी.एड. एवं डी.एड. के लिए भी उसे बाद में 3 से 5 साल का मौका दे सकते हैं. हमारे शासकीय बी.एड. एवं डी.एड. कॉलेज हैं. यदि सरकार चाहे तो उन कॉलेजों में 5-10 प्रतिशत का कोटा अनुकंपा नियुक्ति से आये हुए लोगों के लिए आरक्षित कर उन्हें प्राथमिकता से वहां प्रशिक्षण दिलवा सकती है. वास्तविकता यह है कि विभाग इस मामले में संजीदा ही नहीं है. विभाग यदि ठोस कार्यवाही करे तो निश्चित रूप से ऐसा निर्णय लिया जा सकता है. मैं पुन: माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई बड़ा निर्णय इस मामले में लें और केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजें जिससे कि अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिल सके. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं.

श्री के.पी.सिंह (पिछोर)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यशपाल जी द्वारा जो संकल्प लाया गया है, उससे संबंधित दिक्कतें बहुत सी जगहों पर हैं. मेरा मंत्री जी से एक आग्रह है और एक सुझाव भी है कि जब शेष सभी विभागों में किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है तो फिर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति वाले प्रकरणों में ही ऐसी अनिवार्यता क्यों है. इसके पूर्व में भी हमारे ऐसे बहुत से शिक्षक जिन्हें फिज़िकल एजूकेशन अथवा किसी विशेष विधा की जरूरत होती है तो उन्हें डेपुटेशन पर भेजा जाता था. शिवपुरी में एक फिज़िकल कॉलेज है. वहां शिक्षा विभाग के लोग डी.पी.एड. और सी.पी.एड. का विभागीय प्रशिक्षण लेने जाते हैं. तो फिर हमने अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऐसी बाध्यतायें क्यों रखी हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूलत: मेरा विचार तो थोड़ा और आगे का है. आपने कई नियम बना दिए हैं लेकिन व्यावहारिक स्थिति क्या है ? वह वर्ग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है. 75-90 हजार रूपये और पूर्व के वर्षों में लगभग 1 लाख 20 हजार रूपये तक की राशि बी.एड./डी.एड. करने के लिए लगती थी. लोगों से राशि कुछ इस प्रकार वसूली जाती है कि पहले 75 हजार रूपये में सौदा तय कर लिया जाता है और फिर जब मार्कशीट लेने की बारी आती है या फाइनल परीक्षा की बारी आती है तो उनसे कहा जाता है कि 20 हजार रूपये और रखिये तब आपको परीक्षा में बैठने देंगे. हमारे सामने ऐसे कई प्रकरण आते हैं जिनमें हमें स्वयं मदद करनी पड़ती है. बी.एड. एवं डी.एड. की आपके द्वारा जो बाध्यता रखी गई है तो वह गरीब परिवार जिसके पास संसाधन नहीं है. 75-90 हजार रूपये किसी गरीब विधवा महिला के पास कहां से अतिरिक्त हो सकते हैं ? जो कुछ मृत्यु के बाद पैसा मिलता है वह बहुत सारी परम्पराओं का निर्वाह करने मे चला जाता है. वास्तव में इस दिशा में आपको निर्णय करना चाहिए और इसके आगे उन

गरीब परिवारों के बारे में सोचें तो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं जो रोजाना मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं उनके पास तो 75 हजार रुपए और 90 हजार रुपए की कल्पना नहीं की जा सकती. आप ट्राइबल विभाग के इंचार्ज रहे हैं ट्राइबल विभाग कितने बच्चों की मदद कर पाता है कितने लोगों को डी.एड. या बी.एड. के लिए फायनेंस कर पाता है न के बराबर एक जिले में मुश्किल से दस बीस होंगे. इसलिए आपको उन सब वर्गों के लिए भी सोचना चाहिए और अनुकंपा नियुक्ति पर तो आपको विचार करना ही चाहिए लेकिन उन वर्गों को जो वर्षों से इसी वजह से शिक्षा विभाग की नौकरी में नहीं जा सके कि वह डी.एड. नहीं हैं. व्यापम की परीक्षा तो जैसे तैसे पास भी कर लेते हैं क्योंकि वह टेस्ट ठीक है वह तत्काल बिना किसी फीस के हो जाता है लेकिन उनके सामने वही समस्या है कि डी.एड. या बी.एड. नहीं है. इस वजह से उनकी मार्किंग नहीं होती है. डी.एड. या बी.एड. की मार्किंग न होने के कारण वह लिस्ट में नहीं आ पाते हैं. यह विडंबना बड़ी विचित्र है. मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि आप उसी वर्ग से आते हैं और उस वर्ग की चिंता भी कर सकते हैं आप उस वर्ग के हालात भी समझते हैं. हम लोग व्यक्तिगत रूप से कितनी मदद कर सकते हैं चाहे आप अपने क्षेत्र में करें या मैं अपने क्षेत्र में करूं.व्यक्तिगत रूप से उतनी मदद नहीं की जा सकती है. आप उन्हें नौकरी में तनख्वाह नहीं दीजिए आप केवल भोजन के लिए स्टायफंड दे दीजिए जैसे कि 10 हजार रुपए या 15 हजार रुपए तनख्वाह है तो उसमें वह 1000 रुपए में अपने भोजन की व्यवस्था कर लेंगे. ट्रेनिंग के दौरान तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह काम नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं. उनका पेट के लायक गुजारा हो जाए उतने में वह ट्रेनिंग करके आ जाएंगे और आपके नियम की सार्थकता भी हो जाएगी पूर्ति होने के बाद उनको संशोधन की आवश्यकता भी नहीं है. सिर्फ सरकार के द्वारा थोड़ी सी मदद करने की आवश्यकता है. आपने बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार (नीमच)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अशासकीय संकल्प माननीय यशपाल सिंह जी लाए हैं. इस प्रकार की नियुक्तियां जब होती हैं उसमें मानवीय संवेदना की बहुत आवश्यकता होती है. बचपन में मेरे पिताजी शांत हो गए थे और जब अनुकंपा नियुक्ति का मामला आया तो मेरी चप्पलें घिस गईं मगर अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई. मैंने एम.ए. बी.एड. एल.एल.बी. किया उसके बाद कहीं न कहीं भाग्य चलता ही है तो राजनीति में आया परंतु इसमें जैसे मृतक शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को नियुक्तियों के मामले में कहीं न कहीं संवेदना होनी चाहिए और इसमें डी.एड. या बी.एड. की आवश्यकता नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब तक व्यक्ति यह कोर्स करेगा तब तक कई परिस्थितियां उसके ऊपर से निकल जाती हैं. डी.एड. या बी.एड.

करने में आने- जाने में और फीस में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक भी खर्च होता है और वह परिवार उस समय वहन नहीं कर पाता है. यह मामला संवेदनाओं से भरा हुआ है इस पर कहीं न कहीं माननीय मंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए और यदि केन्द्र से भी इसमें कुछ लेने की आवश्यकता है तो आपको इस अशासकीय संकल्प पर विचार करना चाहिए और दृढ़ता के साथ जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं उन परिवारों में यदि डी.एड. या बी.एड. नहीं किया है तो भी उन्हें पद पर नियुक्ति देना चाहिए. आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद.

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुंवर विजय शाह) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय आज इस विधान सभा में हमारे माननीय विधायक यशपाल जी माननीय के.पी.सिंह जी, माननीय राजेन्द्र जी, माननीय शैलेन्द्र सिंह जी और दिलीप सिंह परिहार जी ने जिस विषय पर इस अशासकीय संकल्प पर जो विचार रखे हमारा शासन हमारी सरकार, इस विषय को इससे कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रही है और इसका उदाहरण है मैं आपको बताउंगा कि हम लोगों ने इस विषय में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वास्तव में यह चिंता का विषय है लेकिन हमारी मर्यादाएं हमारी सीमाएं वह सुनिश्चित हैं और इस कारण से अभी जब हमने विभाग की समीक्षा अशासकीय संकल्प आने के पहले इसी विषय पर दो तीन बार की सालभर के अंदर कि क्या कारण है कि जिस परिवार का मुखिया अगर असमय ईश्वर को प्यारा हो जाता है तो उसके बाल बच्चों को कटोरा लेकर भीख मांगने की आवश्यकता न पड़े क्योंकि यह वह परिवार हैं शिक्षाकर्मी, हमारे मास्टर सहायक अध्यापक अगर अचानक परिवार के मुखिया की मौत हो गई तो वह अपने आपको असहाय और बेसहारा महसूस करता है और इसके लिए हमारे पास स्थान भी है लेकिन जब से आर.टी.ई. एक्ट आया है इसमें संवैधानिक मर्यादाएं हैं. उसके अनुसार जब तक व्यक्ति डी.एड, बी.एड नहीं होगा वह मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय स्कूल में कर्मचारी नहीं बन सकता है. इसके लिए हम लोगों ने बार-बार दिल्ली में जाकर केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की है. मैंने स्वयं ने जिन तारीखों में जाकर बात की है, पत्र लिखे हैं उसका मैं हवाला देना चाहूँगा. 11 जुलाई और 11 मई को माननीय मंत्री जावड़ेकर जी से राज्यमंत्री कुशवाह जी से इन सारे मामलों को मैंने पूरी गंभीरता के साथ और सदन की भावना को ध्यान रखते हुए चर्चा की. जो मेरी भावना है वही सदन की भावना है. उन परिवारों को नौकरी मिलना चाहिए. मैंने दो बार निवेदन किया, न सिर्फ निवेदन किया बल्कि मेरे पास हमारे मुख्य सचिव का पत्र है, 16 फरवरी 2017 का. इसमें भी भारत सरकार से निवेदन किया गया है. मेरे पास जिलेवार सूची है इसमें 540 लोग हैं यह वे लोग हैं जिन्हें वास्तव में नौकरी की आवश्यकता है और यह डी.एड, बी.एड नहीं हैं. इस पत्र के माध्यम से भी हमने निवेदन किया है

जैसा कि आपने कहा कि बचपन में दूसरे विभागों में नौकरियां मिल जाया करती थीं और उनको समय दिया जाता था. हमने भी निवेदन किया है कि इनको 2-3 वर्ष का समय दिया जाए. इन 2-3 वर्ष में यह डी.एड., बी.एड. कर लेंगे अगर 2-3 वर्ष में यह नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा देंगे. इसके लिए पहले भी हमारे पी.एस. ने पत्र लिखा है. पूरी गंभीरता के साथ हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं. जहां तक सवाल है कि अब नौकरी नहीं मिल रही है तो विभाग क्या करे. विभाग के मुखिया के नाते और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के बाद हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी कारण से उसे नौकरी नहीं दे सकते हैं तो क्यों न हम उसे 4-5 लाख रुपए दे दें, ताकि वह कोई छोटा-मोटा रोजगार, व्यवसाय करके अपने परिवार का लालन-पालन कर सके. यह प्रस्ताव भी हमने वित्त विभाग को भेजा है. प्राकृतिक आपदा होती थी तो पहले उसमें 10,000 रुपए ही मिलते थे लेकिन माननीय गुप्ता साहब ने उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है. किसी की असमय मृत्यु भी उस परिवार के लिए प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है. यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय है. मैं यशपाल सिंह जी को और सदन के सारे सम्माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय को उठाकर हमें आगे कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया है. केवल शिक्षक संवर्ग ही नहीं, अध्यापक संवर्ग ही नहीं हमारे रुटीन के भी जो प्रिंसीपल हों, लेक्चरार हों उनको भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं. इसके लिए मुझे लगता है कि हम सहर्ष रुप से इसको भारत सरकार को भेजें और सदन की भावना से, सरकार की भावना तो उसके साथ-साथ है ही, सदन की भावना से भी भारत सरकार अवगत हो और अगर वहां से कोई दिशा-निर्देश आएंगे तो ही हम कुछ करने की स्थिति में रहेंगे. अगर वहां से कोई दिशा-निर्देश नहीं आते हैं तो आर्थिक रुप से पैकेज देने की व्यवस्था बहुत जल्दी यह सरकार करने जा रही है. मुझे लगता है इससे ज्यादा इस विषय में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है. बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री के.पी. सिंह --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात जो मैंने रखी है. जैसे वह व्यापम पास हो गया आप उसे नौकरी में न रखें. सरकार 4-5 लाख का पैकेज देना चाहती है यदि सरकारी कॉलेजों में इनको रिजर्वेशन मिल जाए जो फीस जमा करने की स्थिति में नहीं हैं. एकमुश्त रकम आप दे ही रहे हैं. बेहतर यह हो कि आप उनकी फीस जमा कर दें, भोजन की व्यवस्था कर दें उतने में उनका काम हो जाएगा.

कुंवर विजय शाह--उपाध्यक्ष महोदय, अनुकम्पा नियुक्ति वाले मैटर्स पर जो पीड़ित परिवार हैं अगर वे डी.एड., बी.एड करना चाहते हैं. इस बारे में माननीय के.पी. सिंह जी ने जो सरकारी कॉलेज वाला सुझाव दिया है उस पर हम विचार कर लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि-

"सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड.एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए."

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया हाँ कहें.....

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलना चाहता हूँ. प्रस्ताव मैंने रखा है...

उपाध्यक्ष महोदय-- बोलिए.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- उपाध्यक्ष महोदय, 540 की संख्या पूरे मध्यप्रदेश में कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है. डी.एड. और बी.एड. कर करके शिक्षक और शिक्षिकाएँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाएँ, यह आवश्यक तो है, लेकिन उस परिवार का सदस्य यदि डी.एड. और बी.एड. नहीं कर पाया है और शिक्षक, शिक्षिकाओं, की मृत्यु पर यदि हम उनको विकल्प की नौकरी दे दें, उनसे आप च्वाईस ले लें.

कुँवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- मेरा सुझाव है. मेरा राज्य सरकार को सुझाव है.

कुँवर विजय शाह-- मैं आपकी बात ही रख रहा हूँ..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- मेरा राज्य सरकार को सुझाव है....

कुँवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष जी, चूँकि यह बहुत भावनात्मक मेटर है और कई बार हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, हम इसमें आगे बढ़कर एक और कार्यवाही करना चाहते हैं कि अगर, इन लोगों की एक समय सीमा होती है कि निश्चित समय सीमा में आप नौकरी पर आ जाइये. अगर कोई उस समय सीमा से गुजर गए हैं और अगर वह कहीं से डी.एड., बी.एड., कर रहे हैं और समय सीमा गुजर गई है तो वह भी हम शिथिल कर देंगे. अगर वे डी.एड., बी.एड., कर लेते हैं तो वापस हमारे पास आ जाएँ हम कर देंगे.

श्री दिलीप सिंह परिहार-- बहुत से लोग नाबालिग भी होते हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ही एक ध्यानाकर्षण में आपने पूरे मध्यप्रदेश के डी.एड. और बी.एड. कॉलेज की जाँचों की और परीक्षण की घोषणा की है. के.पी.सिंह साहब ने जो एक प्रस्ताव रखा, वह मेरे भी मन में था, कि शासकीय डी.एड. और बी.एड. कॉलेज में उस मृतक शिक्षक, शिक्षिकाओं के योग्य, पात्र, बेटे, बेटी को, जो नौकरी चाहती

है, पत्नी विधवा है, तो उसको निःशुल्क रूप से आप शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है. उसको कम से कम उसकी फीस...

कुँवर विजय शाह-- मैंने निःशुल्क नहीं कहा, मैंने बोला विचार करेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- विचार करेंगे. कुछ तो आपको विचार करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- उपाध्यक्ष महोदय, उसका एडमिशन ही तो नहीं होगा...(व्यवधान)..उसके प्रवेश की व्यवस्था करा दें...(व्यवधान)..गवर्नमेंट कॉलेजों में उसके प्रवेश की व्यवस्था होना चाहिए. फीस तो वहाँ कम लगती है. उसको प्रवेश ही नहीं मिलता है. उसमें यह दिक्कत है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- उपाध्यक्ष महोदय, उसको प्रवेश की व्यवस्था मिल जाए, उसको सहारा मिल जाए, सरकार उसके शिक्षण की व्यवस्था में थोड़ी सी उदारता दिखा दे, यही तो मेरा कहना है और क्या दिक्कत है.

कुँवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने तो इससे और बढ़ कर भी भारत सरकार को कहा है कि अगर सीट नहीं है, मान लीजिए जितने डी.एड., बी.एड., कॉलेज हैं और उसकी सीट फुल हो गई है तो हमें तो आप अनुमति दें, हम सेकण्ड शिफ्ट में भी डी.एड., बी.एड., कॉलेज चलाना चाहते हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- पर आपका जो प्रस्ताव है कि चार-पाँच लाख रुपये का पैकेज दे दिया जाएगा. उपाध्यक्ष महोदय, चार-पाँच लाख रुपये में उस विधवा की जिन्दगी नहीं निकलेगी. इसके बजाय उसको अगर आप कहीं नौकरी में लेने का प्रयास करेंगे या उसको कहीं आप उसके बेटे को शिक्षक बनाने की बात करेंगे.....फिर भी आपने जो हमारे सुझाव को स्वीकार किया, भारत सरकार तक आपने चिट्ठी लिखने का हमको आश्वासन दिया और जो आपने उदारता दिखाई उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ.....

कुँवर विजय शाह-- उपाध्यक्ष महोदय, इसको हम भारत सरकार को भेज देते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- सहमत हैं मंत्री जी.

श्री के.पी.सिंह-- इसको वापस नहीं लेना, इसको भारत सरकार को जाने दीजिए...(व्यवधान)..

श्री मुरलीधर पाटीदार-- माननीय मंत्री जी के साथ सदन के सारे विधायक जाएँ प्रकाश जी जावड़ेकर के पास. ..(व्यवधान)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- वापस का सवाल नहीं, उन सुझावों के साथ....(व्यवधान)..

श्री के.पी.सिंह-- इसको तो जाने दीजिए जो हमने सुझाव दिया है..(व्यवधान)..

श्री शंकरलाल तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, जो चार-पाँच लाख वाली बात आई है यह उचित नहीं है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहूँगा. जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिए हैं, भारत की सरकार को इसके आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करें और राज्य सरकार की ओर से जो आप उनको अनुदान दे रहे हैं, या उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, उस आशय के साथ आप अनुशंसा करने की कृपा करें.

श्री शंकरलाल तिवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, उनको चार-पाँच लाख का झुनझुना नहीं, उनको नौकरी दी जाए.

उपाध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि-

"सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड.एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए."

कुँवर विजय शाह-- माननीय उपाध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से भारत सरकार को भेज देंगे.

सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय-- विधान सभा की कार्यवाही सोमवार दिनाँक 24 जुलाई 2017 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 6.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार दिनाँक 24 जुलाई 2017 (2 श्रावण शक् संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपालः अवधेश प्रताप सिंह

दिनाँकः 21 जुलाई 2017 प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा